29वा वार्षिक प्रतिवेदन 2012-2013

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

(निःशक्तजन कार्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

(आई.एस.ओ. 9001:2008 संस्थान)

मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद - 500 009, आंध्र प्रदेश, भारत

फोन : 040-27751741-745 फैक्स : 040-27750198

ई-मेल : nimh.director@gmail.com

वेबसाइट : www.nimhindia.org; www.nimhindia.gov.in

nqa. ISO 9001 Registered

मुख पृष्ट एवं ऊपर : प्रशिक्षण क्रियाकलापों में शामिल राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के विशेष शिक्षा केन्द्र के विद्यार्थी

29वा
वार्षिक प्रतिवेदन
2012-2013

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

(निःशक्तजन कार्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

(आई.एस.ओ. 9001:2008 संस्थान)

मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद - 500 009, आंध्र प्रदेश, भारत

फोन : 040-27751741-745 फैक्स : 040-27750198

ई-मेल : nimh.director@gmail.com

वेबसाइट : www.nimhindia.org; www.nimhindia.gov.in

विषय सूची

विवरण	पृष्ठ सं.
अध्याय	
1. **परिचय**	5
1.1 संस्थान के बारे में	
1.2 मंदबुद्धिता और उसकी व्यापकता	
2. **उद्देश्य**	7
2.1 उद्देश्य	
2.2 संगठनात्मक व्यवस्था	
2.3 क्षेत्रीय केन्द्रों के क्रियाकलाप	
3. **मानव संसाधन विकास**	10
3.1 दीर्घकालीन पाठयक्रम	
3.2 शैक्षणिक कार्यक्रमों का विवरण	
3.2.1 एम.फिल -पुनर्वास मनोविज्ञान	
3.2.2 एम.एस.सी. डिसेबिलिटि स्टडीस् (अर्ली इंटरवेंशन)	
3.2.3 मास्टर इन डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन (एम.डी.आर.ए)	
3.2.4 एम.एड. - विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन)	
3.2.5 प्रारंभिक अंतराक्षेपण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	
3.2.6 विशेष शिक्षा में बी.एड. (मानसिक मंदन)	
3.2.7 प्रारंभिक बाल्यावस्था विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (मानसिक मंदन)	
3.2.8 डी.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन)	
3.2.9 व्यावसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा (मानसिक मंदन)	
3.2.10 समुदाय आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा	
3.3 प्रमाण-पत्र पाठयक्रम	
3.4 अल्पकालीन पाठयक्रम	
4. **अनुसंधान और विकास**	15
4.1 अनुसंधान परियोजनाएँ (2012-13)	
4.2 अनुसंधान प्रकाशन	
4.3 संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशालाएँ	
5. **राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के प्रकाशन**	21
5.1 प्रकाशन	
5.2 वितरण	
5.3 रा.मा.वि.सं. प्रकाशनों का डिजिटीकरण	
6. **सेवा प्रतिमान**	22
6.1 सेवाएँ	
6.2 सामान्य सेवाएँ	
6.3 विशेष सेवाएँ	
6.4 परिवार कुटीर सेवाएँ	
6.5 विशेष शिक्षा केन्द्र	
6.6 अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम	
6.7 राहत देखभाल सेवाएँ	
6.8 रा.मा.वि.सं. के सामान्य सेवाओं पर क्लाईंटों का पुनर्निवेशन	
7. **रा.मा.वि.सं. मॉडल विशेष शिक्षा केन्द्र, नई दिल्ली**	38
7.1 स्कूल के क्रियाकलाप	
7.2 शैक्षणिक दौरे तथा वनविहार	
7.3 अन्य घटनाएँ	

विवरण	पृष्ठ सं.

8. **परामर्शी तथा तकनीकी समर्थन** 41
   - 8.1 भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सहायता अनुदान पाने के लिये गैर सरकारी संगठनों के आवेदनों का तकनीकी मूल्यांकन
   - 8.2 भारतीय पुनर्वास परिषद्
   - 8.3 विशेष रोजगार कक्ष

9. **दस्तावेजीकरण व प्रचार-प्रसार** 42
   - 9.1 पोस्टर्स एवं फ्लिप चार्ट
   - 9.2 वेबसाईट डिजिटीकरण

10. **विस्तार तथा आउटरीच कार्यक्रम** 43
   - 10.1 विकलांग व्यक्तियों के लिए यंत्र / उपकरणों का क्रय तथा फिटिंग सहायता योजना
   - 10.2 उत्तर पूर्व क्षेत्र में कार्यक्रम
   - 10.3 समुदाय आधारित कार्यक्रम
   - 10.4 अभिमुखी कार्यक्रम
   - 10.5 प्रदर्शनियाँ

11. **अन्य क्रियाकलाप व कार्यक्रम** 49
   - 11.1 राष्ट्रीय / क्षेत्रीय/ राज्य स्तरीय कार्यक्रम
   - 11.2 विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस समारोह
   - 11.3 रा.मा.वि.सं. का वार्षिक दिवस समारोह
   - 11.4 विद्यार्थियों का विस्थापन (इन्टर्नशिप)
   - 11.5 गणतंत्र दिवस परेड में सहभागिता
   - 11.6 महत्वपूर्ण व्यक्तियों की भेंट

12. **प्रशासन** 55
   - 12.1 स्टाफ की संख्या
   - 12.2 नियुक्तियाँ / सेवा निवृत्तियाँ
   - 12.3 सतर्कता एकक के क्रियाकलाप और उपलब्धियाँ
   - 12.4 हिन्दी कार्यान्वयन
   - 12.5 भवनों का निर्माण (संपदा)
   - 12.6 परिषद् की बैठकें
   - 12.7 सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

13. **संस्थान की समितियाँ** 59

14. **लेखें तथा वित्त** 60

परिशिष्ट

1. रा.मा.वि.सं. आर्गनोग्राम चार्ट 72
2. अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 73
3. एडिप योजना निरीक्षण का विवरण 78
4. उत्तर-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम 83
5. महापरिषद के सदस्यों की सूची 89
6. कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों की सूची 91
7. शैक्षणिक समिति के सदस्यों की सूची 92

छायाचित्र 93

परिचय

1.1 संस्थान के बारे में

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1984 में पंजीकृत सोसाईटी है। एक शिखर संस्थान के रूप में स्थापित इस संस्थान की क्रियाएँ त्रिभागीय हैं, अर्थात् देश भर में मानसिक मंदन के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान एंव सेवाएँ। पिछले 29 वर्षो से मनसिक मंद व्यक्तियों को सशक्त बनाने हेतु संस्थान क्षमता के निर्माण में लगातार प्रगति करता आ रहा है।

मानसिक विकलांगता के क्षेत्र में नवीन विकास एवं विगत कुछ वर्षो की प्रवृत्तियों के आधार पर नवोन्मेषण एवं नये कार्यक्रमों का संचालन अपने अनुसंधान व विकास कार्यक्रमों के जरिये आयोजन के लिए संस्थान प्रयासरत है। अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विभिन्न कार्यकलाप, संस्थान के विश्वस्तरीय योगदान को प्रतिबिंबित करते है। एन.आई.एम.एच. के क्रियाकलाप युनाइटेड नेशन्स कनवेंशन ऑन दी राइट्स ऑफ पर्सन्स् वीद डिसेबिलिटीज् (यू.एन.सी.आर.पी.डी) के अधिदेश तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रचलित संवैधानिक अधिनियम एवं राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार कार्यान्वित किये जाते हैं।

एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में, मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों की जिन्दगी में समानता और गरिमा लाने के लिए अपने कार्य के प्रत्येक पहलू में गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित करता है और इसका समर्थन आई.एस.ओ.9001:2008 के प्रमाणिकता द्वारा सिध्द हो जाता है।

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान मानसिक मंद व्यक्तियों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार लाने की अपनी प्रयासों में मानव संसाधन विकास अनुसंधान एवं विकास तथा चिकित्सा पर सेवाओं में प्रतिपादित प्रगति की है।

1.2 मंदबुद्धिता और उसकी व्यापकता

मानसिक मंदन, विश्व के अत्यंत जटिल व चुनौती पूर्ण समस्या के क्रम में है। यह एक बहु आयामी तथ्य है जिसमें जीव-मनोवैज्ञानिक सामाजिक अभिकर्ताएँ सम्मिलित हैं।

यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिमाग का विकास रुक गया हो या अपूर्ण हो, जिसके विशिष्ट लक्षण हैं- विकास के दौरान कुशलताओं में क्षति जो कि, व्यक्ति के समग्र बुध्दि अर्थात्, संज्ञानात्मक, भाषा कौशल, गति कौशल और सामाजिक कौशल के विकास में योगदान करते हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 2003 में प्रकाशित 58 वाँ सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या के प्रति एक लाख व्यक्तियों में से 94 व्यक्ति मानसिक मंदन या मंदबुध्दिता से ग्रस्त पाए गए हैं। इसका मतलब हैं, अभी देश भर में 11.3 लाख व्यक्ति इस विकलांगता से ग्रस्त हैं। मानसिक मंदन / विकलांगता लैंगिकता व कुल व्यक्तियों संबंधी जानकारी विवरण **तालिका-1** में दी गयी है। एन.एस.एस.ओ के 58वा राउन्ड में विकलांगता एवं मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों की अनुमानित संख्या **तालिका 1.1** में प्रस्तुत है।

तालिका-1 : पूरे भारत में प्रत्येक लिंग व प्रत्येक क्षेत्र में प्रति एक लाख व्यक्तियों में मंदबुध्दिता से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या

व्यापकता /व्यक्ति	कोई विकलांगता*			मंदबुद्धिता		
	पुरूष	स्त्री	कुल	पुरूष	स्त्री	कुल
100000	2000	1493	1755	115	72	94

*कम से कम एक मंदबुध्दि, दृष्टिहीन, हियरिंग, स्पीच व लोको मोटर विकलांगता।

तालिका 1.1 : विकलांग व्यक्तियों की अनुमानित संख्या

विकलांगता की श्रेणी	पुरूष	स्त्री	कुल
कोई विकलांगता	1,08,91,300	75,99,700	1,84,91,000
मंदबुद्धि	6,25,800	3,68,900	9,94,600
जनसंख्या*	54,69,16,600	38,50,51,500	105,72,48,100

* सर्वेक्षण के अनुपात में परियोजित जनसंख्या के लगभग अनुमानित संख्या।

तालिका 2 में एन.ए.एस.ओ 58 वें सर्वेक्षण के अनुसार प्रति एक लाख व्यक्तियों में इसकी व्यापकता का विवरण प्रस्तुत किया गया है। यह पाया गया है कि, देश में लक्ष्यद्वीप, गोवा एवं केरल में मानसिक मंदन की व्यापकता अधिक है। जब कि, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा एवं सिक्किम राज्यों में इसकी व्यापकता कम पाई गई है।

तालिका 2 : प्रत्येक राज्य / संघ राज्य में हर एक लाख व्यक्तियों में से मंदबुध्दि व्यक्तियों की संख्या

राज्य	व्यापकता	राज्य	व्यापकता
गोवा	240	मध्य प्रदेश	72
केरल	194	विहार	70
मिजोरम	127	चंडीगढ़	64
हिमाचल प्रदेश	118	मेघालय	63
पंजाब	116	झारखंड	63
प.बंगाल	114	नागालैंड	54
तमिलनाडू	113	मणिपुर	47
जम्मू व कश्मीर	104	असम	45
उत्तराखंड	104	दिल्ली	44
उड़िसा	104	सिक्कीम	39
महाराष्ट्र	99	त्रिपुरा	24
कर्नाटक	98	अरूणाचल प्रदेश	11
पांडेचरी	95	**संघ राज्य (यू.टी.)**	
संपूर्ण भारत	94		
गुजरात	93	**संघ राज्य**	**व्यापकता**
हरियाणा	92	लक्ष्यद्वीप	249
उत्तर प्रदेश	92	संपूर्ण भारत	94
आँध्र प्रदेश	90	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	78
छत्तीस गढ़	84	दादर एवं नगर हवेली	67
राजस्थान	82	दमन व दीयू	58

उद्देश्य

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान आरंभ से ही, मानसिक मंद व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विविध गतिविधियों का प्रस्ताव रखा। तदनुसार, निम्नलिखित लक्ष्य एवं उद्देश्यों को तैयार की

1. मानसिक मंद व्यक्तियों के शिक्षा व पुनर्वास के सभी पहलुओं में अनुसंधान कार्य संचालित करना, समर्थन देना, समन्वयन करना या आर्थिक सहायता करना।
2. साधनों का प्रभावी मूल्यांकन/ उपयुक्त शल्य या चिकित्सीय प्रक्रियों या नए साधनों का विकास के नेतृत्व करने वाले जीव-आयुर्विज्ञान अभियांत्रिकी में अनुसंधान का संचालन, समर्थन, समन्वयन या आर्थिक सहायता करना।
3. मानसिक मंद व्यक्तियों के शिक्षा, प्रशिक्षण या पुनर्वास को प्रोन्नति देने के लिए प्रशिक्षकों व शिक्षकों को, अधिकारियों की नियुक्ति, व्यावसायिक परामर्शदाता या अन्य कोई कार्मिक जो संस्थान आवश्यक समझती हो, को प्रशिक्षण देना।
4. मानसिक मंद व्यक्तियों को शिक्षा, पुनर्वास चिकित्सा पहलुओं को प्रोन्नति देने के लिए बनाए गये कोई भी या सभी तरह के साधनों के प्रोटोटाईप की तैयारी व वितरण कार्य करना, प्रोन्नत देना या आर्थिक सहायता करना।

उपर्युक्त लक्ष्य व उद्देश्यों से, निम्नलिखित क्रियात्मक उद्देश्य विकसित हुए:

2.1 उद्देश्य

- मानसिक विकलांग व्यक्तियों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए जनशक्ति को तैयार करना तथा मानव संसाधनों का विकास करना
- देश में मानसिक मंदन के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य की पहचान, संचालन एवं समन्वयन करना
- मानसिक विकलांग व्यक्तियों के लिए भारतीय संस्कृति के अनुरूप देखभाल तथा योगीकरण के लिए समुचित आदर्शों का विकास करना
- मानसिक मंदन के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को परामर्शी सेवाएँ प्रदान करना
- मानसिक मंदन के क्षेत्र में प्रलेखीकरण तथा सूचना केन्द्र के रूप में सेवाएँ प्रदान करना
- आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा कम आय वर्ग के लोगों को समुदाय आधारित पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करना
- मानसिक विकलांगता के क्षेत्र में विस्तार तथा पहुँच के बाहर लोगों तक पहुँचने के कार्यक्रमों का संचालन करना

2.2 संगठनात्मक व्यवस्था

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान का मुख्यालय सिकंदराबाद, आँध्र प्रदेश में स्थित है। संस्थान में छह विभाग अर्थात्, प्रौढ स्वतंत्र जीवन यापन विभाग, सामुदायिक पुनर्वास तथा परियोजना प्रबंधन, पुस्तकालय एवं सूचना सेवाएँ, आयुर्विज्ञान/डॉक्टरी सेवाएँ, पुनर्वास मनोविज्ञान तथा विशेष शिक्षा विभाग हैं। संस्थान के तीन क्षेत्रीय केन्द्र, दिल्ली, कोलकता तथा मुम्बई में स्थित हैं। रा.मा.वि.सं. का आदर्श विशेष शिक्षा केन्द्र नई दिल्ली में स्थित है।

संस्थान की मूल गतिविधियों को प्रशासन अनुभाग समर्थन देता है। संस्थान के समग्र क्रियात्मकता को दर्शाता हुआ संगठनात्मक चित्र **परिशिष्ट- 1** पर दिया गया है **(पृष्ठ सं.72)**

2.3 क्षेत्रीय केन्द्रों के क्रियाकलाप

2.3.1 क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली (क्षे.के. नई दिल्ली)

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली की स्थापना फरवरी 1986 में कस्तूरबा निकेतन, लाजपतनगर, नई दिल्ली - 110 024 में हुई। अच्छे से अच्छे शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के लिए, यह केन्द्र भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित दो दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है जहाँ हर एक व्यावसायिक मानसिक मंदन के क्षेत्र में अपनी क्षमता का विकास कर सकता है।

- एक वर्षीय बी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (मेंटल रिटार्डेशन)
- दो वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन (स्पेशल एजुकेशन)

इस केन्द्र द्वारा हर वर्ष मानसिक मंदन के क्षेत्र के व्यावसायिकों के लिए अल्पकालीन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र द्वारा विकासात्मक विलम्बता/मानसिक मंदन से ग्रस्त क्लाइंटों को सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। इस केन्द्र द्वारा जागरूकता शिविर तथा जाँचपडताल शिविर भी अपने विस्तार तथा आउटरीच क्रियाकलापों के अंतर्गत आयोजित किये जाते हैं। मानसिक मंदन के क्षेत्र में कार्यरत् स्थानीय गैर सरकारी संगठनों को तकनीकी सहायता भी केन्द्र द्वारा प्रदान की जाती है । केन्द्र द्वारा 'अंकुर' नामक प्रारंभिक अंतराक्षेपण केन्द्र की स्थापना 1990 में की गई जहाँ पाँच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं द्वारा हर महीने में लगभग 50 क्लाइंट लाभान्वित होते हैं। विभिन्न व्यावसायिक कालेजों से अपने इन्टर्नशिप हेतु आये हुए विद्यार्थियों को क्षेत्रीय केंद्र, दिल्ली द्वारा सहायता भी प्रदान की जाती है।

2.3.2 क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता मार्च 1986 में राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान के परिसर, बनहुगली, बी.टी.रोड, कोलकता 700 090 पर स्थापित हुआ। यहाँ केन्द्र द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित तीन दीर्घकालीन पाठयक्रम चलाये जाते हैं:

- एक वर्षीय बी.एड. स्पेशल एजुकेशन (एम.आर.)
- दो वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन (स्पेशल एजुकेशन)
- एक वर्षीय डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन (एम.आर.)

केन्द्र द्वारा व्यावसायिकों एवं अभिभावकों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है। मानसिक मंदन के जोखिम वाले बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए प्रारंभिक पहचान तथा अंतराक्षेपण के लिए विशेष क्लिनिक है। इस केन्द्र में विशेष शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक अंतराक्षेपण के क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। मानसिक मंदन तथा संबंधित क्षेत्र में स्नातक तथा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट भी दिया जाता है। इस केन्द्र द्वारा जागरूकता शिविर एवं जाँच शिविरों का आयोजन भी किया जाता है। मानसिक मंदन के क्षेत्र में कार्यरत् गैर सरकारी संगठनों को भी तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

2.3.3 क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई (क्षे.के. नवी मुम्बई)

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र, मुम्बई की स्थापना 1987 में ए.वाई.जे.एन.आई.एच.एच. कैम्पस में हुई थी । पश्चिम क्षेत्र अर्थात्, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गोवा, लक्षद्वीप तथा दमन व दीयू की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह केन्द्र प्रारंभ किया गया है। क्रियाकलापों का विस्तार करने के उद्देश्य से इस केन्द्र को नवी, मुम्बई को 2004 में स्थानान्तरित किया गया। अब यह केन्द्र दो किराये के स्थान, अर्थात् बेलापुर तथा खारघर में चलाया जाता है। प्रशासनिक कार्यालय, पुस्तकालय तथा दीर्घकालीन व अल्पकालीन पाठयक्रम बेलापुर कार्यालय में तथा सामान्य व विशेष सेवाएँ खारघर कार्यालय में चलाये जाते हैं यह केन्द्र तीन दीर्घ कालीन कार्यक्रम चलाता है,

- बी.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन)
- डिप्लोमा इन एर्लीचाइल्ड हुड स्पेशल एजुकेशन
- डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन

केन्द्र द्वारा, विशेष शिक्षा, मनोविज्ञान व व्यवहार प्रबंधन, वाणी व भाषा एवं व्यावसायिक चिकित्सा में गुणवत्ता मूल्यांकन तथा अंतराक्षेपण सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। यहाँ अल्पकालीन कार्यक्रम अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम तथा शिविरों का आयोजन भी किया जाता है। क्षेत्रीय केन्द्र अपने ही प्रेमिसेस नवी मुम्बई में निर्माण कर रहा है जहाँ मानव संसाधन विकास के लिए अत्युत्तम सुविधाएँ दी जा सकती हैं तथा मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए सेवाएँ प्रदान किया जा सकती है।

2.3.4 राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान-मॉडल विशेष शिक्षा केन्द्र, नई दिल्ली (रा.मा.वि.सं. एम.एस.ई.सी. नई दिल्ली)

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान मॉडल विशेष शिक्षा केन्द्र, भारत सरकार द्वारा 1964 में कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर-।।, नई दिल्ली 110 024 में स्थापित किया गया था। मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए विशेष तथा विस्तृत सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से इस केन्द्र का आरंभ किया गया है। यह केन्द्र 1986 से संस्थान के अधीन कार्य कर रहा है। इस केन्द्र में मानसिक मंद व्यक्तियों को गुणवत्ता सेवाएँ प्रदान करने के लिए योग्यता प्राप्त व्यावसायिक हैं। मानसिक मंद व्यक्तियों को अपने भीतर की सामर्थ्यता को अत्यधिक मात्रा में विकास करने के लिए शिक्षा व प्रशिक्षण दिया जाता है। इस स्कूल के छात्रों की संख्या 77 है (53 अनावासीय और 24 आवासीय)। क्रियाकलापों में मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, अभिभावक परामर्श, घरेलू प्रशिक्षण, व्यावसायिकों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अभिभावक एवं सहोदर के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण के लिए बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट है। केन्द्र में दाखिल किये गये विद्यार्थियों के लिए नियमित पाठचर्या व सहपाठचर्या क्रियाकलाप आयोजित किये जाते

मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य, सभी स्तरों पर सामर्थ्य विकास तथा क्षमता निर्माण हासिल करने की ओर लक्षित है। अपने मुख्य उद्देश्य के रूप में, अपने मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों द्वारा लोगों में सामर्थ्य विकास तथा जनशक्ति के सृजन के लिए निरंतर प्रक्रिया पर रा.मा.वि.स. कार्यरत् है । समाज के और वैयक्तिक हितार्थ ज्ञान, कुशलताएँ, अभिवृत्ति तथा क्षमताओं की निरंतर वृध्दि के लिए, अवसरों का समर्थन करने एवं उन्हें बनाए रखने की दृष्टि से संस्थान की नीति एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई।

मानव संसाधन विकास के अंतर्गत मुख्य गतिविधियाँ दीर्घावधि पाठयक्रम, अल्पावधि पाठयक्रम, प्रशिक्षण कार्यशालाओं तथा व्यावसायिक संस्कृतिग्रहण के लिए निरंतर शिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान बौद्धिक विकलांगता के क्षेत्र में जागरूकता निर्माण तथा गहरा सोच विचार करने के लिए संबंधित मुख्य विषयों पर व्यावसायिकों, अभिभावकों तथा मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

मानव संसाधन विकास का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र, मानसिक मंद व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करना एवं जनशक्ति का विकास करना है। यह अनुमान लगाया गया है कि, एक शिक्षक (विशेष शिक्षक) मानसिक मंदन से ग्रस्त लगभग 10 बच्चों को प्रभावशाली ढंग से संभाल सकता है। मानसिक मंदन से ग्रस्त 70% से अधिक बच्चे इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार 80,000 शिक्षकों की जरूरत होगी। चूँकि, मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों के प्रबंधन के लिए एक बहुविषयक टीम की आवश्यकता होती है, इसके अलावा अन्य व्यावसायिकों की भी आवश्यकता होती है। हमारे देश में 7000 से कम प्रशिक्षित शिक्षक हैं और यही स्थिति अन्य पुनर्वास व्यावसायिकों की भी है। इस अन्तराल को कम करने लिए, इस क्षेत्र में मानव संसाधन विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है।

3.1 दीर्घकालीन पाठयक्रम

मानव संसाधन विकास की प्रोन्नति के लिए, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने अपने मुख्यालय तथा क्षेत्रीय केन्द्रों में भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित 10 दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों (4 डिप्लोमा पाठ्यक्रम, 1 स्नातक पाठ्यक्रम और 5 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जिसमें एक एम.फिल. कार्यक्रम सम्मिलित है) का संचालन किया। इस क्षेत्र में पाई गई जरूरत के अनुसार इन पाठ्यक्रमों की पहचान की गई और उन्हें विकसित किया गया।

वर्ष	पाठयक्रम	अंतर्ग्रहण क्षमता	नामांकन
2011-12	10	394	316(80.2%)
2012-13	10	415	325(78.3%)

वर्ष 2012-13 के दौरान 415 सीटों में 325 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया और पाठयक्रम-वार प्रवेश लिये गये नामांकन के ब्यौरे **तालिका-3** में दर्शाये गये हैं।

तालिका 3 : दीर्घकालीन पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या -2012-13

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	केन्द्र	अवधि (वर्ष)	संबद्ध विश्वविद्यालय	2012-13	
					प्रवेश की क्षमता	दाखलें
1	एम.फिल.पुनर्वास मनोविज्ञान	रा.मा.वि.सं. मुख्यालय	2	उस्मानिया विश्वविद्यालय	15	13 (86.7%)
2	मास्टर्स इन डिसेबिलिटि रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन	रा.मा.वि.सं. मुख्यालय	2	जवाहरलाल नहेरू तकनीकी विश्वविद्यालय	15	5 (33.3%)
3	एम.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन)	रा.मा.वि.सं. मुख्यालय	1	उस्मानिया विश्वविद्यालय	31	30 (96.8%)
4	एम.एससी डिसेबिलिटि स्टेडी (अर्ली इंटरवेशन)	रा.मा.वि.सं. मुख्यालय	2	उस्मानिया विश्वविद्यालय	15	8 (53.3%)
5	पी.जी.डिप्लोमा इन अर्ली इंटरवेशन	रा.मा.वि.सं. मुख्यालय	1	उस्मानिया विश्वविद्यालय	15	2 (13.3%)
6	बी.एड.विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन)	रा.मा.वि.सं. मुख्यालय	1	उस्मानिया विश्वविद्यालय	25	22 (88.0%)
		मुम्बई		मुम्बई विश्वविद्यालय	25	23 (92.0%)
		कोलकाता		प.बंगाल विश्वविद्यालय	25	25 (100%)
		दिल्ली		गुरु गोबिंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय	25	25 (100%)
7	डिप्लोमा इन अर्ली चाईल्डहुड स्पेशल एजुकेशन (मानसिक मंदन)	रा.मा.वि.सं. मुख्यालय	1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	25	23 (92.0%)
		मुम्बई			31	19 (61.3%)
8	डी.एड. स्पेशल एजुकेशन (मानसिक मंदन)	दिल्ली	2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	25	25 (100%)
		कोलकाता			31	31 (100%)
9	डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन (मानसिक मंदन)	रा.मा.वि.सं. मुख्यालय	1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	25	19 (76%)
		मुम्बई			31	14 (45.2%)
		कोलकाता			31	31 (100%)
10	डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन	रा.मा.वि.सं. मुख्यालय	1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	25	10 (40.0%)
	कुल:	**17***			**415**	**325 (78.3%)**

* कुल मिलाकर, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा 17 दीर्घ कालीन पाठ्यक्रमों का संचालन करता है।

3.2 शैक्षणिक कार्यक्रमों का विवरण

3.2.1 एम.फिल -पुनर्वास मनोविज्ञान

यह दो वर्ष का पाठयक्रम उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से संबध्द है । इस पाठयक्रम की अभिकल्पना उच्च संवर्ग के पुनर्वास मनोवैज्ञानिकों को तैयार करना है जो मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों को व्यापक सेवाएँ प्रदान करने के लिए मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने की योग्यता रखेंगे एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं में अनुसंधान करेंगे । पाठयक्रम में न्यूरोबायोलजी, मनोविज्ञान, विशेष शिक्षा, वाणी-भाषा चिकित्सा विज्ञान, भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, समुदाय आधारित पुनर्वास जैसे विषयों का समावेश है।

3.2.2 एम.एस.सी. डिसेबिलिटि स्टडीस् (अर्ली इंटरवेंशन)

वर्ष 2009-10 के दौरान आरंभ किया गया यह दो वर्षीय पाठयक्रम उस्मानिया विश्वविद्यालय से संबध्द है। इस पाठयक्रम का मुख्य उद्देश्य जोखिम तथा विकलांग शिशुओं तथा बच्चों का प्रारंभिक पहचान व प्रारंभिक अतराक्षेपण में कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कुशलता व तकनीकी के आंतरण हेतु सक्षम व्यावसायिकों को तैयार करना है।

3.2.3 मास्टर इन डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन (एम.डी.आर.ए)

यह दो वर्ष का पाठयक्रम जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय से एम.ओ.यु पर है और इसे 2004-05 के दौरान शुरु किया गया था। चार सेमिस्टर पध्दति का इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा देश भर में स्थित विकलांगता पुनर्वास तथा अनुसंधान संगठनों के सफलता पूर्वक प्रबंधन के लिए अर्हता प्राप्त और सक्षम व्यावसायिकों को तैयार करने के लिए अभिकल्पित किया गया है।

3.2.4 एम.एड. - विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन)

एक वर्ष की अवधि का एम.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन) पाठ्यक्रम का लक्ष्य विशेष शिक्षा में संकाय स्तर पर व्यावसायिकों को तैयार करना है।

3.2.5 प्रारंभिक अंतराक्षेपण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

विकासात्मक विलंबों से ग्रस्त बच्चों को यदि आरंभ में ही परख लिया जाए और उन्हें आरंभिक आयु में ही व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान कर दी जाएँ तो उनमें उल्लेखनीय सुधार होगा। इन सेवाओं की प्रकृति अंतर्विषयक और अधिगम में होलिस्टिक होती है जो बच्चों को विकास, शारीरिक चिकित्सा विज्ञान, व्यावसायिक चिकित्सा, वाक् चिकित्सा विज्ञान, तथा परिवार अंतराक्षेपण को आवरित करती है। यह पाठ्यक्रम उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से संबध्द है।

दीर्घ कालीन कार्यक्रम - कक्षए चलाई जा रही हैं

3.2.6 विशेष शिक्षा में बी.एड. (मानसिक मंदन)

विभिन्न स्तरों पर विशेष अध्यापकों की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान विशेष शिक्षा में बी.एड. (मानसिक मंदन) पाठ्यक्रम को उस्मानिया विश्वविद्यालय के संबद्ध से अपने मुख्यालय में तथा पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय के संबंधन में कोलकता स्थित क्षेत्रीय केन्द्र में, मुम्बई विश्वविद्यालय से संबद्ध में नवी मुम्बई क्षेत्रीय केन्द्र में तथा गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के संबंधन से नई दिल्ली के क्षेत्रीय केन्द्र में एक वर्षीय विशेष शिक्षा में बी.एड. (मानसिक मंदन) कोर्स का संचालन करता है।

3.2.7 प्रारंभिक बाल्यावस्था विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (मानसिक मंदन)

प्रारंभिक बाल्यकाल विशेष शिक्षा (ई.सी.एस.सी) 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर ध्यान देता है और लक्ष्य वर्ग की योग्यता के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये विविध तरीकों और अभिगमों का उपयोग करता है। यह मानव संसाधन के प्रशिक्षण की माँग करता है जो घर आने वाला निरीक्षक या भ्रमणकारी शिक्षक होता है। या जो नियमित विशेष प्री-स्कूलों में अक्षमताओं से ग्रस्त बच्चे को संभालने परिवारों के पास स्वयं जाता है। प्रारंभिक बाल्यकाल विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम में डिप्लोमा राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद, क्षेत्रीय केन्द्र, मुम्बई में संचालन किया जा रहा है।

3.2.8 डी.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन)

यह दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, मानसिक मंदन तथा अन्य सह विकलांगताओं से ग्रस्त बच्चों के जाँच पडताल, मूल्यांकन शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए विशेष शिक्षकों को तैयार करने की ओर लक्षित है। परीक्षाओं के संचालन का कार्य भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा मनोनीत है और इन परीक्षाओं का संचालन राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान को सौंपा गया।

3.2.9 व्यावसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा (मानसिक मंदन)

यह एक वर्षीय कार्यक्रम मानसिक मंदन के क्षेत्र में व्यावसायिक अनुदेशकों को तैयार करता है और रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद तथा क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता तथा मुम्बई में चलाया जाता है।

3.2.10 समुदाय आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा

यह एक वर्षीय पाठयक्रम समुदाय आधारित पुनर्वास (सीबीआर) कार्यक्रमों, मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण, शिक्षा, पुनर्वास, मानसिक अक्षमताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये रोजगार जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह अक्षमता के क्षेत्र में समुदाय आधारित पुनर्वास (सीबीआर) क्षेत्र की प्रबंधन तकनीकियों से संबंधित सभी क्षेत्रों की प्रोन्नति व अनुसंधान संचालित करेगा। यह सामाजिक पुनर्वास के लिए अक्षमताओं से ग्रस्त लोगों के लिए विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए अंतरण-विषयक प्रतिमानों और कौशलों का विकास करना इस पाठ्यक्रम का लक्ष्य है।

3.3 प्रमाण-पत्र पाठयक्रम

इस क्षेत्र से प्राप्त पुनर्निवेशन यह दर्शाता है कि, मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों के पुनर्वास में कार्यरत् विशेष शिक्षक व संबंधित व्यावसायिकों को मूल्यांकन, चिकित्सा व नौकरी विस्थापन पर गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान एक महीने की अवधि के 3 ऐसे कार्यक्रमों का संचालन किया गया जिससे 27 व्यावसायिक लाभान्वित हुए, विवरण **तालिका 4** में प्रस्तुत है।

तालिका 4: वर्ष 2012-13 के दौरान आयोजित प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम

क्र. सं	कार्यक्रम का नाम	आयोजक	दिन	अवधि	लाभन्वित
1	चिकित्सा विज्ञान पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	1 महीना	3 से 28 दिसम्बर, 2012	14
2	समाविष्ट शिक्षा	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	15 दिन	6 से 28 दिसम्बर, 2012	08
3	प्रारंभिक हस्तक्षेप पर व्यावसायिकों के लिए प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद	1 महीना	2.7.2012 से 27.7.2012 तक	05
				कुल	**27**

3.4 अल्पकालीन पाठयक्रम

मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों को उनके प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की पूर्ती के लिये पुनर्वास क्षेत्र में काम करने वाले व्यावसायिकों और कार्मिकों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण हेतु लघु- अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अभिकल्पना आवश्यक रूप से की जाती है। संस्थान ने वर्ष 2012-13 के दौरान वर्ष भर में 1293 लाभार्थियों को आवरित करते हुए 45 अल्पकालीन कार्यक्रमों का आयोजन किया । कार्यक्रम और लाभदायकों का अनुपात निम्नानुसार है।

वर्ष	कार्यक्रम	लक्ष्य	व्यावसाईक	अनुपात
2011-12	48	--	839	1:17
2012-13	45	950	1293	1:29

भारतीय पुनर्वास परिषद के पंजीकृत व्यावसाईकों के लिए एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए संचालित किये गये सारे लघु अवधि कार्यक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद् (आर.सी.आई) के निरंतर पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम के समस्तरीय होते हैं। लघु-अवधि पाठ्यक्रमों के ब्यौरे **परिशिष्ट-2** में दिये गये हैं। **(पृष्ठ सं. 73)**

सी.आर.एण्ड पी.एम. में सी.बी.आर. कार्यक्रम के सहभागी

एस.टी.पी. सहभागियों को शारीरिक चिकित्सा सेवाओं का अभिमुखीकरण

अनुसंधान और विकास

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में अनुसंधान एवं विकास एक है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान में पिछले 29 वर्षों के अनुसंधान परियोजना के विश्लेषण से यह पता चलता है कि, अनुसंधान एवं विकास का मुख्य केन्द्र बिंदु अनुप्रयुक्त अनुसंधान है। मूल अनुसंधान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, संस्थान के शैक्षणिक परिषद् एवं एथिक्स समिति जैसे पदधारित समितियों द्वारा परियोजनाओं को परियोजित किया गया व अनुमोदन किया गया। परियोजना शैक्षणिक समिति को प्रस्तुत करने से पहले, प्राथमिक तौर पर विभागीय स्तर तथा संकाय बैठक के स्तर पर चर्चा की जाती है। इसके बाद, सभी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को एथिक्स समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। अभी तक, संस्थान ने स्वयं अपनी निधियों के परियोजनाओं के साथ साथ यु.एस.भारत रूपी फंड, यूनिसेफ, यु.एन.डी.पी., आई.सी.एस.एस.आर. और एस.एण्ड टी. मिशन मोड के सहयोग से 63 अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य पूर्ण किया। पूर्ण किये गये परियोजनाओं का परिणाम निम्न लिखित है-

क्र.	परिणाम	नंबर
1.	प्रकाशित पुस्तकें	48
2.	पैम्प्लेट / बुकलेट	24
3.	पोस्टर्स	16
4.	साफ्टवेयर सीडी	12
5.	स्क्रीनिंग टूल्स्	11
6.	रेडियो स्पॉट्स्	11
7.	सेवा नमूने	5
8.	वीडियो फिल्म	3

पूर्ण किये गये अनुसंधान परियोजनाओं का वर्गीकरण

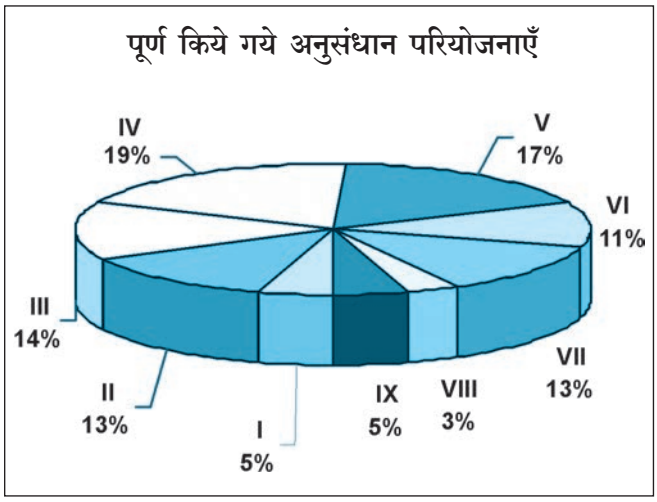

I	जागरूकता (3)
II	प्रारंभिक अंतराक्षेपण (8)
III	मनोविज्ञान (9)
IV	विशेष शिक्षा (12)
V	चिकित्सा विज्ञान (11)
VI	व्यावसायिक तथा स्वतंत्र जीवन यापन (7)
VII	समुदाय आधारित पुनर्वास (8)
VIII	सूचना तथा संप्रेषण तकनीकी (2)
X	प्रबंधन (3)
	कुल परियोजनाएँ = 63

शैक्षणिक समिति की बैठक 1.2.2013 को हुई ।

4.1 अनुसंधान परियोजनाएँ (2012-13)

वर्ष 2012-13 के दौरान 10 परियोजनाएँ चल रही थी, जिनमें से दो परियोजनाएँ अन्य संगठनो के सहयोग से चली और दो अनु-परियोजना पद्धति से चली ।

4.1.1. 2012-13 में चल रही अनुसंधान परियोजनाओं का विवरण

4.1.1.1 संस्थान वित्त पोषित परियोजनाएँ (6) :

1. **मानसिक मंदन के साथ या बिना मानसिक मंदन आटीजम से ग्रस्त बच्चों के संवेदनात्मक प्रक्रिया तथा अनुकूलन व्यवहार पर संवेदनात्मक एकीकरण की प्रभावात्मकता (एक तुलनात्मक अध्ययन)।**

   आटीजम स्पेक्ट्रम अव्यवस्था से ग्रस्त बच्चों में संवेदी प्रक्रिया की दुष्क्रिया के मूल्यांकन के लिए साधन विकसित करने तथा संवेदी प्रक्रिया की दुष्क्रिया व नमूने को व्यावसायिक निष्पादन के बीच कोरिलेशन पर खोज करना इस परियोजना का उद्देश्य है।

   इसका लक्ष्य यह भी है कि आटीजम स्पेक्ट्रम अव्यवस्थाओं से ग्रस्त बच्चों के लिए सेन्सरी इन्टग्रेशन थिरेपी मोडयूल विकसित करना । इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप अभिभावकों व व्यावसायिकों के लिए एक पुस्तिका विकसित करने का भी उद्देश्य है।

2. **क्लस्टर पर आधारित विस्थापन सेवा**

   क्लस्टर पर आधारित विस्थापन सेवा मानसिक मंद व्यक्ति व उनके अभिभावक / परिवार को समुदाय संसाधनों से संपर्क के योग्य बनाता है जो उनके पुनर्वास के लिए पहचाना गया और तैयार किया गया हो।

   अक्सर, बडे शहरों में सेवाएँ दी जाती हैं। इस एक तरफीय अभिगम का सामना करने के लिए, एक समुदाय अभिमुखीकरण की आवश्यकता है, ताकि अपने अपने जगहों पर समाज के कई लोगों को सेवाएँ उपलब्ध हो सके। इस उद्देश्य के मद्देनजर क्लस्टर आधारित विस्थापन सेवा का प्रस्ताव रखा गया है।

3. **पोस्ट सेकेन्डरी व प्री वोकेशनल विद्यार्थियों मेंकार्य क्षमताओं के मूल्यांकन के लिए टूल किट विकसित करना।**

   मानसिक मंद बच्चों में कार्य क्षमताओं का मूल्यांकन एक व्यवस्थित ढंग से करने के लिए व्यापक टूल किट विकसित करना इस अध्ययन का उद्देश्य है। मूल्यांकन की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा उसे और समुचित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक टूल किट को आसानी से प्रयुक्त कर सकेंगे। प्रशिक्षणार्थियों को यह अपने मूल्यांकन किट तैयार करने में एक संदर्भ के रूप में काम आयेगा तथा टी.एल.एम. तैयारी में दिशा निर्देशक होगा। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य, (क) मानसिक मंद से ग्रस्त सेकेन्डरी व प्री वोकेशनल विद्यार्थियों के लिए कार्य क्षमता चेकलिस्ट विकसित करना, (ख) कार्य मूल्यांकन के लिए टूल किट विकसित करना। इस परियोजना का परिणाम (1) कार्य क्षमता मूल्यांकन के लिए चेकलिस्ट, (2) एक व्यापक टूल किट होगा।

4. भारतीय बौद्धिक परीक्षण का विकास

बौद्धिक मूल्यांकन के लिए भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त कई परीक्षण व साधन उपलब्ध हैं। इनमें से कई परीक्षण जटिल, अधिक समय लेने वाले हैं और इसके लिए उच्चतर प्रशिक्षण प्राप्त विशेषज्ञों की आवश्यकता है। ऐसे विशेषज्ञों की हमारे देश में बहुत कमी है। अत: मानसिक मंद व्यक्ति सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायतों या सामाजिक सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अत: इस अध्ययन का उद्देश्य भारतीय बौद्धिक परीक्षण का विकास करना है। ऐसे विकसित परीक्षण मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों के बौद्धात्मक स्तर के मूल्यांकन के लिये प्रयुक्त कर सकते हैं ताकि वे सरकारी रियायतें व सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इस परीक्षण के द्वारा एक व्यक्ति की ताकत और कमजोरी के आधार पर अंतराक्षेपण कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।

5. विकलांग व्यक्तियों के लिए सी.बी.आर. नमूने का विकास

समुदाय आधारित पुनर्वास विकलांग व्यक्तियों तथा उनके परिवार की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के द्वारा तथा समुदाय में उन्हें सम्मिलित कर समान सहभागिता प्रदान करने के द्वारा उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने पर केन्द्रित करता है। विकलांग व्यक्तियों और उनके परिवार को समर्थ बनाने के लिए एक बहु-सेक्टोरल कौशल के लिए सी.बी.आर. क्रियाकलाप 80 के दशक में आरंभ किये गये । परन्तु यह पाया गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर ठीक आंकडों की कमी है। इस अध्ययन का उद्देश्य है- विकलांग व्यक्ति को पहचानना, विकलांगता की तीव्रता, परिवार की आर्थिक स्थिति, ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानना। इस सूचना देश भर के क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक विविधता के अनुसार सी.बी.आर. क्रियाकलापों के एक समरूप नमूने का विकास करने के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं।

6. मानसिक मंद व्यक्तियों में दंत समस्याओं का अध्ययन

मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों में लगातार बताई जाने वाली चिकित्सा समस्याओं में से दंत समस्या एकहै। मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चे व व्यक्तियों में सामान्य लोगों की तुलना में दंत आरोग्य कम देखा जा सकता है। दंत स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए उन्हें देखभालकर्ताओं की सहायता व समर्थन की जरूरत है। यह अध्ययन संस्थान को आने वाले मानसिक मंद व्यक्तियों में दंत समस्याओं का अध्ययन करता है। इससे हमारे क्लाइंटों में पाये जाने वाले विभिन्न दंत समस्याओं संबंधी विवरण तैयार कर अच्छी दंत सेवाएँ स्थापित करने के लिए योजना बना सकते हैं।

4.1.1.2 अन्य संगठनों के सहयोग से चल रही परियोजनाएँ (2):

7. विकलांग व्यक्तियों के लिए अनुकूलन ई-अधिगम अभिगम्यता नमूना

ई-अधिगम या ई-लर्निंग मानसिक मंद बच्चों को सीखने के लिए एक अत्यंत सुविधाजनक पद्धति मानी जाती है। परन्तु रूपरेखा सामग्री की अभिगम्यता से संबंधित विषयों पर प्रभावी रूप से नहीं बताया गया और मानसिक मंद बच्चों के लिए यह एक टाल-मटोल वाला बनके रह गया है। ई-लर्निंग डोमैन में अभिगम्यता के विशेष रूप से अपनी ही कुछ माँग हैं जो सही क्रियान्वयन कौशलों तथा अभिगम्यता नमूनों द्वारा पूरी की जा सकती हैं। यह अध्ययन अल्प रूप से मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों तथा आटीज्म स्पेक्ट्रम अव्यवस्था वाले बच्चों के संज्ञानात्मक तथा सीखने में कमियों पर ध्यान देते हुए मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों की सुगमता के लिए ई-अभिगम पर्यावरण तथा नमूना प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस परियोजना का लक्ष्य है - प्रभावी ई-लर्निंग पर्यावरण प्रदान करने के लिए मानसिक मंद बच्चों के शिक्षक तथा संगठनों के साथ नज़दीकी तौर पर कार्य करना।

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सेन्टर फार डेवलपमेंट आफ एड्वांस्ड कम्प्युटिंग (सी-डैक), इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इनफरमेशन टेक्नालजी डिपार्टमेंट (डीईआईटीवाई), संप्रेषण तथा सूचना प्रौद्योगिकि मंत्रालय, भारत सरकार का एक अनुसंधान एवं विकास संगठन के सहयोग से चला रहा है।

8. आटीज्म सहित विभिन्न न्यूरोलॉजिकल अव्यवस्थाओं में बीटा एमीलाइड प्रीक्यूसर प्रोटीन का मालिक्युलर जेनेटिक अध्ययन

आई.सी.एम.आर. द्वारा अनुमोदित तथा अनुदान प्राप्त इस परियोजना में चार न्यूरोलाजिकल परिस्थितियाँ हैं अर्थात, अलझीमीर डिसीज़, डाउन्स सिन्ड्रोम, फ्रजैल एक्स सिंड्रोम तथा आटीज्म स्पेक्ट्रम अव्यवस्थायें, जिसमें एमीलाइड प्रीक्यूसर प्रोटीन का जीन वंशानुगत और चयापचयी है, उसमें जो दोष हो सकते हैं, उसका हाईपोथेसिस परीक्षण करना होता है। इस अध्ययन में ऐसी अवस्था वाले व्यक्तियों में ए.पी.पी.जीन के हाटस्पाट में म्यूटेशन्स का परीक्षण किया जाएगा। इन चार प्रत्येक परिस्थितियों में डी.एन.ए. मरम्मत करने की क्षमता का भी परीक्षण किया जाएगा। क्योंकि, आटीज्म के केसेस बढ़ रहे हैं और यह घटित होने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, अत: यह अध्ययन आटीज्म के पैथोजेनेसिस में ए.पी.पी. व डी.एन.ए. मरम्मत की भूमिका को प्रकाश में लायेगा। डाउन्स सिन्ड्रोम, फ्रजैल एक्स सिंड्रोम तथा आटीज्म से ग्रस्त व्यक्ति जो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान को आते हें, उन्हें इस अध्ययन में लिया जाएगा।

वासवी मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर, हैदराबाद के साथ समन्वयन में रा.मा.वि.स.

4.1.1.3 अनु-परियोजना पद्धति में जारी परियोजनाएँ - (2) (बिना अर्थापत्ति)

9. मानसिक मंद व्यक्तियों में विभिन्न क्षमता का सुविधाकरण - एक संज्ञानात्मक अभिगम

मानसिक मंद व्यक्तियों में प्रत्युत्तर अवरोध के प्रकार व निर्माण, व्यावहारिक अनुचितता या अपर्याप्तता को मापने तथा इस समस्या के समाधान के लिए संज्ञानात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम की क्षमता को पाना इस परियोजना का उद्देश्य है। (इसे परियोजना पद्धति से निकाल दिया गया)।

10. आटीजम तथा मानसिक मंद बच्चों मेंथियोरी आफ माइन्ड के कोलाबोरेटिव वर्चवल एन्वीरानमेंट पर इल्क्ट्रोफिजियालजी का प्रभाव

थियोरी आफ माइन्ड इम्पेयरमेंट का परिप्रेक्ष्य लेने में कठिनाई दर्शाता है। यह कभी कभी विस्मृति को दर्शाता है। इसका तात्पर्य है थ्योरी आफ माइन्ड इम्पेयरमेंट वाले बाकी किसी भी अपने आपके सादृश्य किसी अन्य व्यक्ति को देखने मेंकठिनाई होगी।

इस अध्ययन में आटीस्टिक समूह, मानसिक मंदन के साथ या मानसिक मंदन के बिना बच्चों मेंविश्वसनीयता बनाम वास्तविकता की जांच करना है। (इसे परियोजना पद्धति से निकाल दिया गया)।

4.2 अनुसंधान प्रकाशन

वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के संकाय सदस्यों द्वारा प्रकाशित अनुसंधान पेपर्स का विवरण **तालिका 5** में दर्शाया गया है।

तालिका 5 : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के संकाय सदस्यों द्वारा प्रकाशित किये गये लेख

क्र.	लेखक	शीर्षक	वर्ष	जर्नल
1.	मधु पी., मामिडाला, अनुपमा पोलिनेडु, प्रवीण के.पीटीवी, राजेश एन., **ओम साई आर., वलमकोण्डा**, वी.राजेश डुआने, निचे सिन्नल, वीडा राजेश	'मेटर्नल हार्मोनल इन्टरवेंशन्स् एस ए रिस्क फैक्टर फार आटीज्म स्पेक्ट्रम डिसार्डर : एन एपिडीमियोलाडिकल एसेसमेंट फ्राम इंडिया'	2013	जर्नल आफ बायोसाईंसेंस्
2.	मधु पूर्णिमा मामिडाला, अनुपमा पोलिनेडी, प्रवीण कुमार पीटीवी, एन.राजेश, **ओम साई रमेश वलमकोण्डा** एट.आल.	प्रीनटल, पेरीनटल एण्ड नियोनटल रिस्क फैक्टर्स आफ आटीज्म स्पेक्ट्रम डिसार्डर : ए काम्प्रहेंसिव एपीडिमियोलाजिकल असेसमेंट फ्राम इंडिया	2013	रीसर्च इन डेवलपमेंटल डिसबिलिटीज 34 (2013) 3004-3013 (इनटरनेशनल)
3.	**डॉ.जी.श्रीकृष्णा** एट.अल.	डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फार एजुकेशन एण्ड ट्रैनिंग: टीचर्स एजुकेटर्स रेडीनेस आफ इन्क्लूजिव एजुकेशन इन सिक्किम	2013	जर्नल आफ डिसबिलिटी मैनेजमेंट एण्ड स्पेशल एजुकेशन वाल.3 नं.1, जनवरी 2013- पेजेस्49-55
4.	नाज़र, एस.ए., साईनी, एन., भट्ट, एम.ए. एण्ड **महापात्र, बी**	एफेक्टिवनेस आफ पाजिटिव बिहेवियोरल सपोर्ट इन मैनेजिंग दि सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर इन चिल्ड्रन विथ मेंटल रिटार्डेशन	2012	इन्टरनेशनल जर्नल आफ एजुकेशन एण्ड मेनेजमेंट स्टडीज़, 2(4), 404-408
5.	**डॉ.जी.श्रीकृष्णा** एट.अल.	इंडीविजुवल्स विथ एवरेज इन्टलिजेंस एण्ड मेंटल रिटार्डेशन: एफेक्ट्स् आफ इंटलीजेंस आन बिहेवियर एण्ड सोशल मैचुरिटी	2012	लैम्बर्ट-जर्मनी पब्लीकेशन
6.	आर.एम.योगेश्वरा, **शिवकुमार** एट.आल.	वर्चुवल टेक्नालजीस इन इंटरवेंशन प्रोग्राम्स् फार आटीज्म चिल्ड्रन	2013	इन्टरनेशनल जर्नल आन एमर्जिंग टेक्नालजीस 4(1): 39-43 (2013)

4.3 संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशालाएँ

वर्ष के दौरान संस्थान के संकाय सदस्यों ने विभिन्न वैज्ञानिक अधिवेशन/कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का संचालन किया, में भाग लिया। विवरण **तालिका 6** में दर्शाया गया है।

तालिका 6 : संकाय सदस्यों द्वारा संगोष्ठियों/सम्मेलनों मे सहभागिता/समन्वयन

संकाय सदस्य का नाम	दिनांक	क्षेत्र	स्थान	टिप्पणी
डॉ.ओम साई रमेश	27 अप्रैल 2012	वर्कशाप आन आईसीएफ अप्लीकेशन फार पर्सन्स् विथ मेंटल रिटार्डेशन	रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद	समन्वयन किया
श्रीमति जान्हवी ए. वर्रा	27 अप्रैल, 2012	आईसीएफ वर्कशाप	रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद	सहभागिता
श्रीमती जान्हवी ए. वर्रा	17 जनवरी, 2013	इनचियान स्ट्रैटजी	रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद	सहभागिता
श्रीमती जान्हवी ए. वर्रा	7-8 फरवरी, 2013	डेवलपमेंट आफ कंटेंट फार सेकन्डरी एजुकेशन फार स्टुडेन्ट्स् विथ इंटलेक्चुवल डिसबिलिटि (आई.ई.डी.एस.एस.)	रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद	सहभागिता
डॉ. निबेदिता पट्नायक	7-8 फरवरी, 2013	डेवलपमेंट आफ कंटेंट फार सेकन्डरी एजुकेशन फार स्टुडेन्ट्स् विथ इंटलेक्चुवल डिसेबिलिटि (आई.ई.डी.एस.एस.)	रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद	समन्वयन किया
श्रीमति वी.आर.पी.शैलजा राव	7-8 फरवरी, 2013	डेवलपमेंट आफ कंटेंट फार सेकन्डरी एजुकेशन फार स्टुडेन्ट्स् विथ इंटलेक्चुवल डिसेबिलिटि (आई.ई.डी.एस.एस.)	रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद	सहभागिता
श्री बी.अशोक	21 फरवरी, 2013	इनचियान स्ट्रैटजी पर फालोअप वर्कशाप	रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद	समन्वयन किया

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के प्रकाशन

5.1 प्रकाशन

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने आरंभ से ही अपने नैदानिक तथा अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों के परिणामों को, पुस्तकें, वीडियो फिल्में और सी.डी के रूप में प्रकाशित करने की प्रथा को कायम रखा। इसके अलावा, प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त सूचना को इकट्ठा कर पैम्प्लेट व लीफलेट के रूप में प्रकाशित किया।

- दिनांक 31 मार्च, 2013 तक मौलिक प्रकाशनों की कुल संख्या 98 थी। संस्थान के प्रकाशनों को बढाने की प्रवृत्ती **लेखाचित्र 1** में दर्शायी गयी है।

लेखाचित्र 1 : रा.मा.वि.सं. के प्रकाशनों की वृद्धि

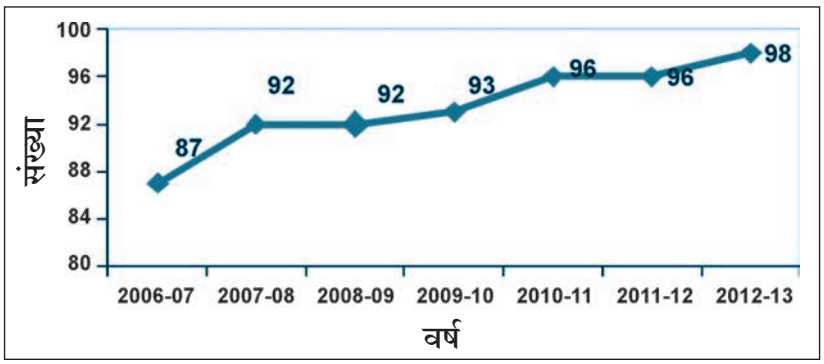

5.2 वितरण

संस्थान द्वारा प्रकाशित विभिन्न पुस्तकें व अन्य सामग्री के लिए कई स्रोतों से निवेदन प्राप्त होते हैं। इस सामग्री को नाममात्र शुल्क लेकर वितरित किये जाते हैं।

वर्ष 2012-13 के दौरान एन.आई.एम.एच. के प्रकाशनों का वितरण **तालिका 7** में दिया गया है।

तालिका 7: रा.मा.वि.सं. के प्रकाशनो का विवरण

शीर्षक	2011-12	2012-13
प्रकाशन (98 शीर्षक)	7089	20747
विडियो फिल्म (वीएचएस/सीडी फारमेट)	152	228
साफ्टवेयर	28	435

5.3 रा.मा.वि.सं. प्रकाशनों का डिजिटीकरण

संस्थान के प्रकाशनों को रा.मा.वि.सं. वेबसाइट पर अपलोड किया गया ताकि सभी उपयोगकर्ता इसका लाभ उठा सके।

अध्याय-6

सेवा प्रतिमान

6.1 सेवाएँ

मानासिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों को कई तरह की सेवाओं की आवश्यकता होती है जिससे वे कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र हों और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान करता है । मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के समुचित सेवा नमूनों का समावेश करते हुए वैयक्तिक अभिगम का प्रयोग कराना सामान्य बात है।

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने नवजात शिशु, बच्चों, युवकों एवं प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए जीवन चक्र के दृष्टिकोण के आधार पर अपनी विस्तृत सेवाओं को विकसित किया।

- आरंभ में ही विकलांगताओं की पहचान, प्रारंभिक अंतराक्षेपण तथा विकलांगता की रोकथाम
- विकासात्मक विलम्बों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने तथा बच्चे के विकास में तेज़ी लाना
- विद्यालय पूर्व शिक्षा
- विशेष शिक्षा कार्यक्रम
- पेशेवर प्रशिक्षण तथा नौकरी पर लगाना
- स्वतंत्र जीवन यापन के कौशल

'मनोरंजनम' एवं बहु विकलांग बच्चों के लिए गहन संवेदी उत्तेजना प्रदान करने के लिए बहु संवेदी इकाई, गंभीर तथा अति गंभीर मानसिक मंद व्यक्तियों की सेवाओं के लिए केन्द्रित हैं।

6.2 सामान्य सेवाएँ

केस वृत्तांत लेने, शारीरिक तथा चिकित्सीय परीक्षण, बौध्दिक तथा विकासात्मक मूल्यांकएन, विशेष शिक्षा मूल्यांकएन, चिकित्सापरक आवश्यकताओं का मूल्यांकन, व्यावसायिक मूल्यांकन तथा मूल बायोकेमिकल जाँच पडताल तथा परीक्षण जैसी सेवाएँ संस्थान प्रदान करता है। विस्तृत मूल्यांकन के उपरांत, प्रबंधन योजना तथा हस्तक्षेप पैकेजों का विकास किया जाता है। बच्चे की प्राकृतिक स्थिति तथा उसके कार्यात्मक स्तर के बारे में भावनात्मक समर्थन देते हुए अभिभावकों को परामर्श दिया जाता है। अपने बच्चे के प्रबंधन व पुनर्वास हेतु अभिभावकों को गृह आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रदर्शन दिया जाता है। वर्ष 2012-13 के दौरान **8704** क्लाइंटों को राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के मुख्यालय, सिकंदराबाद तथा क्षेत्रीय केंद्र नई दिल्ली, कोलकाता तथा नवी मुम्बई में देखा गया। वर्ष 2012-13 के दौरान परीक्षण किये गये क्लाइंटों का विवरण **तालिका 8** एवं **लेखाचित्र 2** में दर्शाया गया। वर्ष 2012-13 के दौरान सामान्य सेवाओं के मुख्यांश **लेखाचित्र 3** में दर्शाया गया है। वर्ष 2012-13 में देखे गये क्लाईंटों की संख्या वर्ष 2011-12 में देखे गये क्लाईंटों की संख्या से 16% अधिक है और लक्ष्य से 12% अधिक है।

नए क्लाइंटों का पंजीकरण		
वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2011-12	-	7486
2012-13	7738	8704

तालिका 8 : वर्ष 2012-13 के दौरान नए क्लाईंटों को प्रदान की गई सेवाएँ

क्रियाकलाप	एन=7486		एन=8704	
	2011-12	%	2012-13	%
सामान्य सेवाएँ	7486	100.00	8704	100.00
चिकित्सा/मनश्चिकित्सा	5779	77.18	5943	68.28
ईआईएस/पेडियाक्ट्रीस	1252	16.72	1503	17.27
फिजियोथेरपी	1850	24.71	1943	22.32
बायोकेमिस्ट्री	2145	28.65	2092	24.03
स्पीच थिरे्पी	993	13.26	3307	37.99
ईईजी(इलेक्ट्रो इनसेफालोग्राम)	406	5.42	278	3.19
बहुविधि अक्षमता	592	7.91	941	10.81
पोषण	194	2.59	218	2.50
हाईड्रोथिरेपी	17	0.23	18	0.21
विशेष शिक्षा	5974	79.78	6341	72.85
पीएमआर	3	0.04	0	0.00
आटिजम/एलडी	241	3.22	408	4.69
बहु संवेदना	225	3.00	433	4.97
कम्प्यूटर सहायक अनुदेशक	453	6.05	109	1.25
समूह क्रियाकलाप	147	1.96	221	2.54
मोबाईल/एचबीटी	332	4.43	131	1.51
मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन	7477	99.85	7951	91.35
व्यवहार परिवर्तन	3697	49.37	5031	57.80
अभिभावक परामर्श	7770	103.70	9889	113.61
व्यावसायिक मूल्यांकन, मार्गदर्शन व परामर्श	596	7.96	616	7.08
व्यावसायिक मार्गदर्शन व सूचना	115	1.54	159	1.83
कार्यस्थल (वीटी)	1002	13.38	110	1.26
आक्युपेशन थिरपी	2252	30.07	2511	28.85
संसाधन रूम(वीए)/(धीमे सीखने वाले)	101	1.35	126	1.45
परिवार कुटीर	203	2.71	133	1.53
*अन्य	1736	23.18	1284	14.75

*रेस्पाइट केयर, एडीएचडी, ईएनटी, आर्थोपेडिक, न्यूरोलोजी, एन्डोक्रैनालजी, डेन्टल, लो विजन व एन.आई.ओ.एस.

लेखाचित्र 2 : नए क्लाईंटों का वितरण

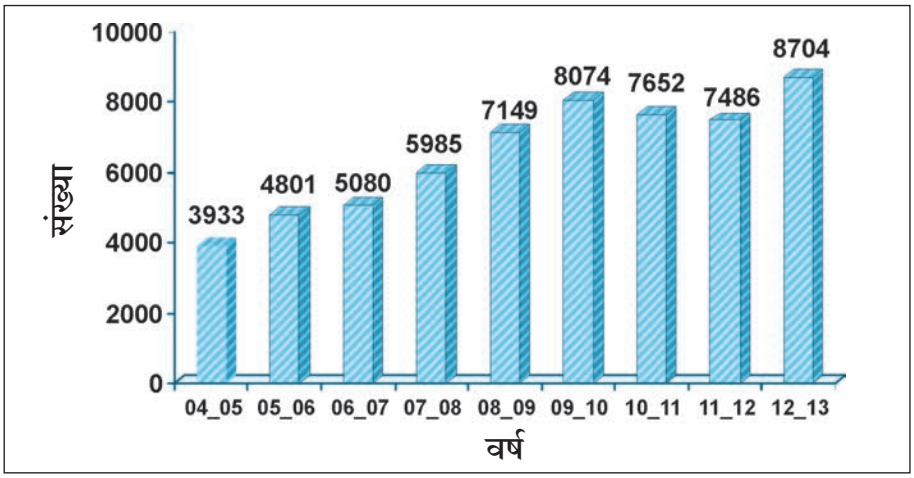

लेखाचित्र 3 : वर्ष 2012-13 के दौरान सामान्य सेवाओं के मुख्य अंश (एन=8704)

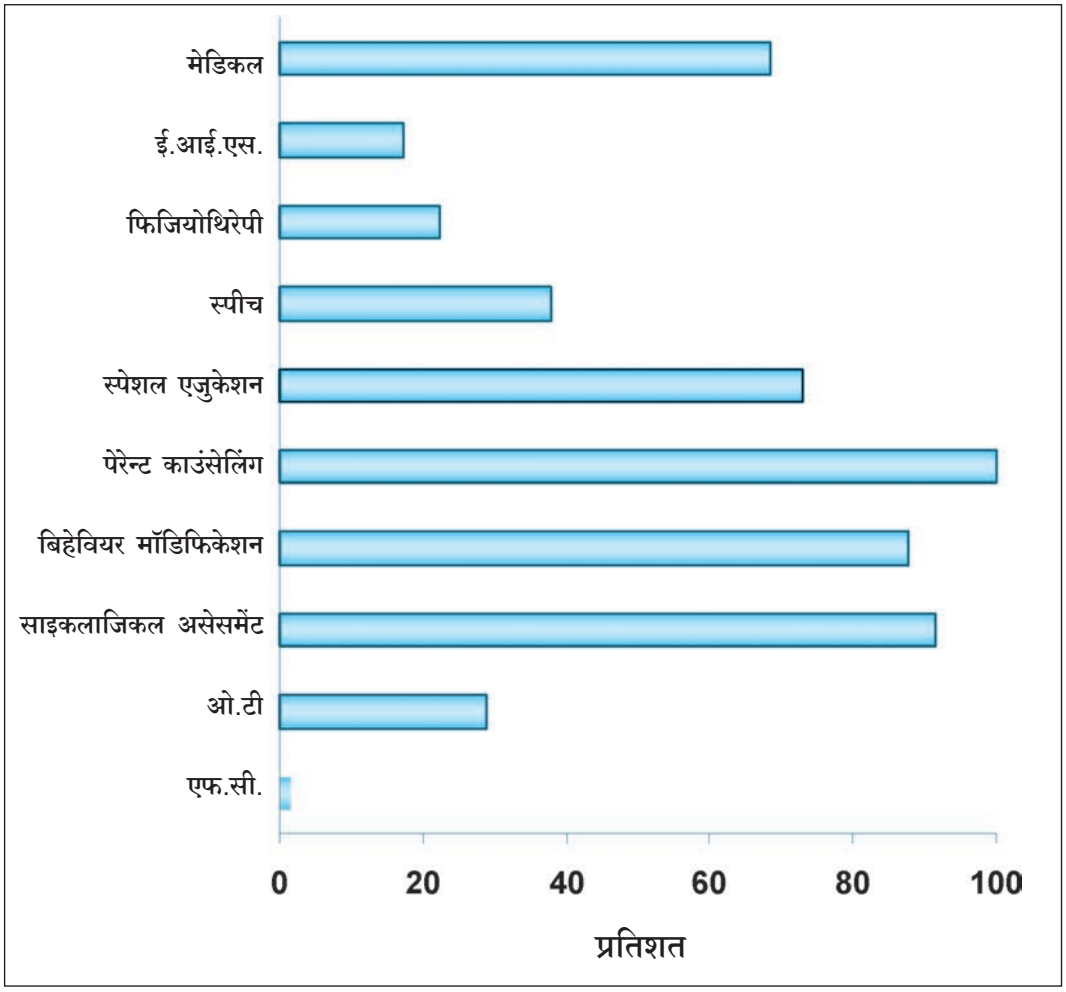

लेजेण्ड:

ई.आई.एस.- अर्ली इन्टरवेंशन सर्वीसेस, वी.ए.- वोकेशनल असेसमेंट,
ओ.टी. - आक्युपेशनल थिरेपी, एफ.सी. - फैमिली काटेज

6.3 विशेष सेवाएँ

घर पर प्रबंध योजना विकसित करने के द्वारा गृह आधारित प्रशिक्षण के कार्यक्रम की ओर विशेष सेवाएँ लक्षित हैं। बाहर के स्थानों से आने वाले लोगों के लिए परिवार कुटीर की सुविधा उपलब्ध है। जहाँ कहीं आवश्यक हो, वहाँ सेवाएँ प्राप्त करने के लिए मरीजों को स्थानीय संस्थानों में परीक्षण कराने समुचित संदर्भ पत्र जारी किये जाते हैं जबकि, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान में आवधिक परामर्श जारी रहता है। विशेष सेवाओं का सीधे प्रशिक्षण, फोल्डर व पोस्टरों की आपूर्ति तथा नाममात्र की कीमत पर पुस्तकों की आपूर्ति के द्वारा अभिभावकों तथा परिवार के अन्य सदस्यों की सूचना एवं मार्गदर्शन हेतु प्रदर्शित किया जाता है। आवधिक अंतरालों में अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। वर्ष 2011-12 के दौरान देखे गये 1,24,792 क्लाइंटों की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान 1,32,475 विशेष सेवाएँ (6% से ज्यादा) प्रदान की गई, विवरण **तालिका 9** में दर्शाया गया।

देखे गये अनुवर्ती क्लाईंट		
वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2011-12	-	1,24,792
2012-13	1,23,330	1,32,475

तालिका 9 : वर्ष 2011-12 मे विशेष सेवाओं में देखे गए फॉलोअप क्लाईंटों की संख्या

सेवा क्रियाकलाप	2011-12		2012-13	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
मेडिकल / साइकियाट्री	16644	13.34	15773	11.91
प्रारंभिक अंतराक्षेप सेवाएँ/बाल चिकित्सा	19778	15.85	17029	12.85
भौतिक चिकित्सा	6672	5.35	5536	4.18
वाणी चिकित्सा	2869	2.30	4348	3.28
बहुविधि अक्षमता	5369	4.30	6125	4.62
हाईड्रोथिरेपी	106	0.08	62	0.05
विशेष शिक्षा	15386	12.33	15814	11.94
पी.एम.आर.	224	0.18	2	0.00
आटीजम/एल.डी.	2889	2.32	3138	2.37
बहु संवेदी	1934	1.55	3393	2.56
कम्प्यूटर सहायक अनुदेशन	4439	3.56	3259	2.46
समूह क्रियाकलाप	5639	4.52	9078	6.85
मोबाईल/एच.बी.टी.	1259	1.01	1154	0.87
मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन	4327	3.47	5237	3.95
व्यवहार परिवर्तन	4287	3.44	5526	4.17
अभिभावक परामर्श	7197	5.77	7944	6.00
व्यावसायिक मूल्याकंन, मार्गदर्शन व परामर्श	867	0.69	65	0.05
व्यावसाकि मार्गदर्शन व सूचना	153	0.12	0	0.00
वर्कस्टेशन(वी.टी.)	15646	12.54	17222	13.00
व्यावसायिक चिकित्सा	5751	4.61	6790	5.13
रिसोर्स रूम (वी.ए.)/(स्लो लर्नर)	663	0.53	2028	1.53
परिवार कुटीर	502	0.40	446	0.34
*अन्य	2191	1.76	2506	1.89
कुल	**124792**	**100.0**	**1,32,475**	100.00

*राहत देखभाल, एन.आई.ओ.एस., न्यूरालजी, एन्डोक्रैनालजी, एटेन्शन डिफिसिट डिसार्डर (एडीएचडी), डेन्टल, लो विजन, आर्थोपैडिक

6.3.1 आयुर्विज्ञान / डॉक्टरी सेवाएँ

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान में पंजीकृत रोगियों के मामले सामान्य स्वास्थ्य मूल्यांकन और रोग विषयक निदान के उद्देश्य के लिए चिकित्सालयीन परीक्षण के साथ रोगी के व्यक्तिवृत्तांत लिये जाते हैं। डाक्टरी प्रबंधन विशिष्टता और आवश्यकता आधारित होता है तथा इसमें मिरगी, अति-गत्यात्मक बर्ताव, पौष्टिकता की कमियाँ, संक्रमण, हार्मोन संबंधी कमियाँ, मानसिक रोग जैसी सहसंबध्द स्थितियों के बारे में सूचना देना और इलाज करना शामिल है। मिरगी, अति गत्यात्मक बर्ताव और मानसिक रोग की औषधियाँ कम-आयवाले परिवारों के मरीजों को मुफ्त दी जाती हैं। न्यूरोलॉजी, आर्थोपेडिक, एन्डोक्रैनालजी तथा पीडियाट्रिक संबंधी सेवाओं के लिए अन्य स्रोतों का प्रबंध किया गया है। आवश्यकतानुसार समुचित संदर्भ दिये जाते हैं।

6.3.2 भौतिक चिकित्सा सेवाएँ

यह एकक मानसिक मंदन के साथ-साथ प्रेरक मोटर समस्याओं जैसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, असामान्य प्रेरक प्रवृत्तियाँ, चलने-फिरने में असमर्थताएँ, संचलन की सामान्यताएँ, जन्मजात असामान्यताओं आदि से पीडित लोगों को आवश्यक सेवाएँ प्रदान करता है। चिकित्सीय मध्यस्थताएँ साग्राही की प्रवृत्ति के होते हैं जिनमें व्यायाम, जल-चिकित्सा, भंगिमाओं और संचालन असमर्थताओं को सुधारने, चाल प्रशिक्षण और समग्र विकास में वृध्दि, प्रेरक प्रशिक्षण और व्यावसायिक उद्देश्यों के अनुरूप होती हैं।

6.3.3 प्रारंभिक अंतराक्षेपण सेवाएँ

प्रारंभिक अंतराक्षेपण सेवाएँ 0-3 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चों को दी जाती हैं, जो जोखिम भरे और विकासात्मक विलंबों की समस्या से जूझते रहते हैं। ये सेवाएँ रोकथाम, रेमिडियेशन और इन बच्चों के इलाज और सर्वतोमुखी विकास पर ध्यान देती हैं। ये सेवाएँ बाल-केंद्रित और परिवार-उन्मुख होती हैं तथा बहुक्षेत्रीय रोग विशेषज्ञों के दल द्वारा प्रदान की जाती हैं। फिजियोथेरपी, व्यावसायिक चिकित्सा, वाणी और भाषा चिकित्सा, बाल-विकास, बाल-विशेषज्ञ और मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और परिवार मध्यस्थता जैसी विशिष्टताओं से भरे इलाज इन सेवाओं द्वारा बच्चा प्राप्त करता है। प्रारंभिक अंतराक्षेपण सेवाओ में, अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभिभावक प्रेरणा कार्यक्रम, सामूहिक चिकित्सा, खेल-चिकित्सा, वैयक्तिक मार्गदर्शन और परामर्श जैसी सेवाएँ भी प्रदान की जाती हैं। आवश्यकतानुसार समुचित संदर्भ भी दिये जाते हैं यानी रोगियों को अन्य विशेषज्ञों के पास भी भेजा जाता है।

6.3.4 बायोकेमिस्ट्री सेवाएँ

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान में डाक्टरी सेवाओं को सहारा देती बायोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला है जो बायोकेमिकल अन्वेषण (काया रूपांतरण-स्क्रीनिंग), असामान्यताएँ एमिनोएसिडोपैथीस, ग्लायकोजेन स्टोरेज और म्यूकोपोलिएक्कारिडोसेज आदि जैसी मानसिक मंदन से संबंधित काया- रूपांतरण या बायोकेमिकल संबंधी असामान्यताओं की पहचान करती हैं तथा यहाँ सामान्य स्वास्थ्य या शारीरिक स्थिति की जाँच करने नेमी बायोकेमिकल परीक्षण भी किये जाते हैं। इससे रोग-निदान, इलाज, परामर्श और मानिटरिंग में सहायता मिलती है।

6.3.5 वाणी चिकित्सा और श्रवण चिकित्सा सेवाएँ

वाणी और भाषा का विलंबित विकास मानसिक मंदन के प्रमुख लक्षणों में से एक है। अधिकांश बच्चों में श्रवण संबंधी विभिन्न दोष पाए जाते हैं। वाणी और श्रवण संबंधी सेवाओं की आवश्यकता वाले रोगियों की विस्तृत जाँच की जाती है। बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार वाणी और भाषा मध्यस्थता पैकेज विकसित किया जाता है। अभिभावकों को मार्गदर्शन दिया जाता है कि वे व्यावसायिकों की सलाह के अनुसार घर पर ही मध्यस्थता करें।

6.3.6 इलेक्ट्रोएन्सीफैलोग्राम (ईईजी)

इलेक्ट्रोएन्सीफैलोग्राम (ईईजी) मौलिक क्रियाविधि है जिसे मस्तिष्क / भेजे के क्रियाविज्ञान को समझने के लिए उपयोग में लाया जाता है । यह मस्तिष्क के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की संरचना और क्रियात्मकता में दिखायी देने वाले रोगात्मक परिवर्तनों की पहचान करने में सहायता देता है । इस क्रियाविधि का मुख्य लक्ष्य मिरगी के दौरों के प्रकारों और मिरगी के विभिन्न लक्षणों का रोग निरूपण करना है । मानसिक मंदन के लोगों के किसी भी प्रकार के न्यूरोलाजिकल (तंत्रिका विज्ञान) अभावों के व्यापक रोग-नैदानिक कार्यकलाप की आवश्यक क्रियाविधि ईईजी है । ईईजी का उपयोग इलाज की प्रभावशालिता का मूल्यांकन या मानिटर करने के लिए भी होता है । मिरगी के रोग को मिटाने के लिए दवाइयाँ देने के प्रकार और अवधि का निर्धारण करने में ईईजी मदद देती है। मानसिक मंदन के लोगों में मिरगी का रोग (30%) अधिक होता है जबकि आम जनसंख्या में यह कम (1%) होता है।

6.3.7 इलेक्ट्रोमाइलोग्राफी (ईएमजी)

इलेक्ट्रोमाइलोग्राफी तंत्रिका अंत: शक्ति में एलेक्ट्रिकल परिवर्तनों को रिकार्ड करती है । यह मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों के संवेदी और प्रेरक तंत्रिका की स्थिति के क्रियात्मकता के बारे में सूचना प्रदान करती है । यह परावर्ती तंत्र के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद देता है कि क्या तंत्रिकाएँ , रीढ़ की हडडी, मस्तिष्क बाधित हैं जिसके आधार पर आगे के कार्यक्रम की योजना बनायी जा सकती है और जब एक बार तंत्रिका संवेदन, माँसपेशियों की क्रियाशीलता और जोड़ों के हलचल की पहचान हो जाए तो तंत्रिकाओं की क्रियात्मकता की प्रेरणा के द्वारा इलाज किया जा सकता है ।

यदि तंत्रिकाओं में संवेदनहीनता और संवेदनशीलता की कमी हो तो संवेदन प्रक्रिया को बार-बार दुहराने से संवेदन पुन: प्राप्त हो जाता है । यदि रीढ़ स्तरों पर प्रेरक तंत्रिका को क्षति पहुँची हुई हो, तो परावर्ती प्रक्रिया को दोहराते रहने से माँसपेशी सिकुड़न को बढ़ाया जा सकता है और इस प्रकार बारंबार माँसपेशी सिकुड़न माँसपेशी शक्ति को विकसित करती है, जिससे जोड़ों की स्थिरता विकसित करने में सहायता मिलेगी।

6.3.8 बहु-अक्षमताओं से ग्रस्त लोगों के लिए सेवाएँ

मानसिक मंदन से ग्रस्त ऐसे बच्चे जो श्रवण-क्षति, दृष्टि क्षति और शारीरिक क्षति जैसी अतिरिक्त समस्याओं से पीड़ित हों तो इस सेवा में उनपर विशेष ध्यान दिया जाता है । बहु-विषयक व्यावसायिकों का दल व्यापक सेवाएँ प्रदान करता है । इन सेवाओं के लिए सप्ताह में एक दिन विशेष क्लिनिक रहती है।

6.3.9 पोषण

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान में सभी मामलों का मूल्यांकन उनकी पौष्टिक स्थिति के एन्थ्रोपोमैट्रिक मापनों (ऊँचाई और वज़न) के उपयोग द्वारा किया जाता है। कुपोषण पहचान किये गये बच्चों को पौष्टिकता संबंधी सलाह दी जाती है।

6.3.10 जल-चिकित्सा (हाइड्रोथेरपी) सेवाएँ

जल-चिकित्सा, मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों और विशेषकर जोड़ों के दर्दों, सूजन, कडापन, माँसपेशी कमजोरी और मस्तिष्क संस्तंभन से पीड़ित लोगों के लिए लाभदायक इलाज का एकमात्र तरीका है । संस्थान, मानसिक मंदन से ग्रस्त और विभिन्न शारीरिक समस्याओं से पीड़ित लोगों को जल चिकित्सा की सेवाएँ प्रदान करता है ।

हाइड्रोथेरपी इकाई में सेवाएँ

6.3.11 विशेष शिक्षा सेवाएँ

मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों का, विभिन्न कौशलों जैसे स्वयं सेवा कौशल, समग्र और उत्तम प्रेरक कौशल, क्रियात्मक पढ़ने-लिखने के कौशल, समय, धन और तत्संबंधी संज्ञानात्मक कौशलों में, क्रियात्मकता के चालू स्तरों का मूल्यांकन किया जाता है । मूल्यांकन की सभी अवस्थाओं, वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम के आयोजन और आई.ई.पी. के कार्यान्वयन में अभिभावकों का दखल होता है । भारतीय परिप्रेक्ष्य में सीखने के लिए विभिन्न समुचित सहायता सामग्रियाँ और उपकरण उपयोग में लाये जाते हैं । कंप्यूटर से सहायता प्राप्त प्रशिक्षण माड्यूलों को भी उपयोग में लाया जाता है । जरूरतमंद रोगियों को दी जानेवाली विशेष शिक्षा सेवाओं की कुशलता को और अधिक गतिशील बनाने कंप्यूटर से सहायता प्राप्त प्रशिक्षण माड्यूलों का उपयोग किया जाता है ।

6.3.12 मनोरंजनम-अति गंभीर मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के लिए संसाधनकक्ष

यद्यपि मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के लिए इन वर्षों में सेवा कार्यक्रमों में बहुत वृध्दि हुई है, परंतु बहुत ही कम संगठन हैं जो गंभीर मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों को सेवाएँ प्रदान करते हैं। गंभीर मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों को अधिक विशिष्ट सेवाओं और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कार्मिकों की जरूरत होती है, क्योंकि गंभीर मानसिक मंदन से ग्रस्त अधिकांश बच्चे कुछ शारीरिक अक्षमताओं से और कुछ मानसिक मंदन के अलावा मिरगी के रोग से पीडित होते हैं । फिर भी, अति गंभीर मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों की शिक्षा पर किये गये अनुसंधान अध्ययन यह सूचित करते हैं कि प्रणालीबदध प्रशिक्षण दिया जाए तो गंभीर मानसिक मंदन बच्चे भी कुछ हद तक किसी पर आश्रित रहे बिना मौलिक कौशल सीख लेने योग्य होते हैं । इसके परिप्रेक्ष्य में संस्थान ने वर्ष के दौरान मनोरंजनम नामक एक संसाधन कक्ष आरंभ किया है जिसमें गंभीर मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है ।

6.3.13 आत्मविमोह और मानसिक मंदन

यह अनुमान लगाया गया है कि मानसिक मंदन से ग्रस्त 75% लोगों में आत्म-विमोह होता है। मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों के स्कूलों में मानसिक मंदन और आत्म-विमोह से ग्रस्त बच्चे होते हैं, यह आवश्यक है कि शून्य अस्वीकृति के लिए उन्हें समुचित शिक्षण सेवाएँ प्रदान की जाएँ । इस बात को दृष्टिगत रखते हुए आत्म-विमोह और मानसिक मंद लोगों के लिए खास तौर की सेवाएँ शुरू की गयी हैं । परियोजना स्टाफ को आत्मविमोह के बच्चों को सम्हालने का प्रशिक्षण दिया गया है ताकि हरेक बच्चे पर ध्यान दिया जाकर आईईपी को कार्यान्वित किया जा सके व छोटे छोटे वर्गों के लिए अनुदेश कार्यक्रम चलाए जा सके । इसके अलावा वे नियमित स्कूलों और विशेष स्कूलों के टीचरों को परामर्श समर्थन प्रदान करें । ये बच्चे मानसिक मंदन और आत्मविमोह से ग्रस्त बच्चों के लिए सेवा माडल्स नाम की परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, में प्रशिक्षण पा रहे हैं इसके अलावा उन्हें विशेष स्कूलों और नियमित स्कूलों में प्रवेश दिया जा रहा है ताकि उन्हें सामूहिक अनुभव भी मिले ।

6.3.14 मानसिक मंदन और संवेदी अक्षमताएँ

मानसिक मंदन के साथ-साथ दृष्टि और/या श्रवण की अक्षमताओं से ग्रस्त बच्चों को सामूहिक प्रशिक्षण के अलावा विशेष शिक्षा की भी आवश्यकता होती है । यद्यपि उनमें दृष्टि और श्रवण दोनों ही संवेदनों की अक्षमता होती है, उनके लिए प्रशिक्षण पध्दतियों और सामग्रियों के अनुरूप होने की आवश्यकता है । इस बात को नजर में रखते हुए ही ऐसे बच्चों के लिए विशिष्ट सेवाएँ आरंभ की गयीं। ये बच्चे अपनी कक्षा के अलावा अपने-प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा वैयक्तिक ध्यान पाते हैं। उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरणिक परिवर्तन/संशोधन किये जाते हैं । इस अनुभव के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने वाइस एंड विजन टास्कफोर्स के सहयोग से बधिरता और अंधत्व के लिए एक मैन्युअल विकसित किया है ।

6.3.15 कम्प्यूटर द्वारा सहायता प्राप्त अनुदेश

कम्प्यूटर सहायक निर्देशक का उद्देश्य है मानसिक मंद बच्चों में शैक्षणिक कौशल सिखाने में बढ़ावा देना, साथ ही साथ बच्चों को कम्प्यूटर चलाने की तकनीक सिखाना जिससे कि, वे अवकाश कालीन क्रियाकलापों में साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का प्रयोग करने में समर्थ हो सकें।

संयुक्त सचिव की भेंट के दौरान कम्प्यूटर सहायक अनुदेशन द्वारा एस.ई.सी. छात्रों स्वतः सीखना

विशेष शिक्षा विभाग ने मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के लिए 6 साफटवेयर पैकेज विकसित कराये हैं। इन पैकेजों के शीर्षक मेरा देश, सामुदायिक उपयोगिता, स्वास्थ्य एवं संरक्षा, जीवित-अजीवित, साक्षरता और न्यूमेरेसी जो शैक्षिक सीखने की प्रक्रिया को बेधते हैं। संस्थान में पंजीकृत लोगों को नियमित सेवाएँ दी जाती हैं और विशेष स्कूलों के विद्यार्थियों को कंप्यूटर और उसके उचित साफटवेयर के प्रति उन्हें जानकारी दिलाकर उनकी पहुँच के भीतर लाते हैं । मानसिक मंदन के साथ-साथ न्यूरोमोटर की समस्या से ग्रस्त होने पर उनके लिए अनुरूपणों सहित कंप्यूटर के साफ्टवेयर और हार्डवेयर पेरिफरल्स विकसित किये गये, जो उनके लिए सरल हैं ।

6.3.16 सामूहिक क्रियाकलाप

सामान्य सेवाओं द्वारा संदर्भित किये गये मानसिक मंदन के बच्चों को उनके विशेष शिक्षा केन्द्र में नियमित प्रवेश पाने तक संस्थान सामूहिक सेवाएँ प्रदान करता है । ये सेवाएँ दोपहर में तीन प्रकार की आयु समूहों को प्रदान की जाती हैं ।

6.3.17 मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान में पंजीकृत सभी मामलों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाता है जिसमें विकासात्मक मूल्यांकन, बौध्दिक मूल्यांकन तथा अनुकूली व्यवहार मूल्यांकन शामिल होते हैं। मंदन के स्तर का निश्चयन करने के लिए विभिन्न परीक्षण किये जाते हैं। मूल्यांकन के आधार पर वैयक्तिक अंतराक्षेपण कार्यक्रम बनाया जाता है। शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोज़गार हेतु तथा सरकार द्वारा दी जाने वाले सुविधाओं एवं रियायतों का लाभ प्राप्त करने के लिए मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट दी जाती है।

6.3.18 व्यवहार परिवर्तन सेवाएँ

इस सेवा के अंतर्गत मानसिक मंदन से ग्रस्त ऐसे लोगों को लिया जाता है जो अवज्ञाकारी, सिर पीट लेने, स्वयं को दाँतों से काटलेने, अपने आप को घायल कर लेने, अत्यधिक रोने और अन्य विभिन्न समस्याओं से घिरे होते है । व्यवहार समस्याओं की आवृत्ति और गंभीरता के विस्तृत मूल्यांकन के बाद, कार्यात्मक विश्लेषण द्वारा ऐसे व्यवहारों के कारणों का पता लगाया जाता है । कार्यक्रम विकसित करके उपयुक्त मध्यस्थता करने के अनुदेश अभिभावकों को दिये जाते हैं, ताकि लक्ष्य व्यवहार पर वे नजर रखें । प्रगति जानने के लिए नियमित अंतरालों से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, संस्थान ने पोली फिजियोग्राफ (जिसे अक्सर लाई डिटेक्टर के नाम से जाना जाता है) ले लिया, जिससे बायोफीडबैक तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है जो कि विभिन्न केन्द्रीय तथा श्रवणीय तंत्रिकी क्रियाओं का मूल्यांकन के लिए उपयुक्त होगा ओर इसे नियंत्रण में रखने के लिए चिकित्सा दी जा सकती है।

6.3.19 अभिभावक परामर्श सेवाएँ

अभिभावकों द्वारा व्यक्त की गयी गलतफहमियों को दूर करने के साथ-साथ मानसिक मंदन की प्रकृति समझने और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में बच्चे की जरूरतों को पूरा करने उन्हें मार्गदर्शन दिया जाता है । अभिभावकों की अपेक्षाओं के अनुरूप पारिवारिक व्यवस्था में बच्चे के संतोषजनक विकास को प्रोन्नत किया जाता है । परिवार में मानसिक मंदन के व्यक्ति के साथ निर्वाह करने के लिए अभिभावकों की भावनात्मक समस्याओं को भी सुलझाया जाता है ।

6.3.20 व्यावसायिक प्रशिक्षण

मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास को व्यावसायिक प्रशिक्षण और नौकरी दिलवाकर प्रोन्नत किया जाता है । मानसिक मंदन से ग्रस्त प्रौढ़ों को आरंभ में जातीय प्रशिक्षण और तत्पश्चात नौकरी पर रखाया जाता है । ये जॉब प्रशिक्षण मरीजों के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं । नौकरी भी उसके निवास स्थान के आसपास ही दिलवाई जाती है । मरीज को दीर्घ कालिक समर्थन तब तक दिया जाता है जब तक कि वह नौकरी के स्थल पर स्वतंत्र रूप से काम न कर ले।

6.3.21 मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्य स्टेशन

मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों को विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए देश में लगभग 1000 संगठन हैं । ये संगठन 5-18 वर्ष की आयु के लोगों को शैक्षणिक सेवाएँ प्रदान करते हैं । स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर कम ही हैं । कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में अधिकांश आश्रय आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है । इस तरह प्रणालीबदध और नियमित प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है । व्यावसायिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया को सुधारने के लिए रा.मा.वि.सं. ने वर्कस्टेशनों की शुरुआत की ताकि मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों को चरणबध्द प्रशिक्षण मिले । मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के जातिगत कौशलों के मूल्यांकन के बाद, एक प्रबंधकीय योजना बनायी जाए ताकि संज्ञानात्मक प्रेरक, संचार और सामाजिक क्रियाकलापों को प्रेरित कर उन्हें अलग-अलग वर्कस्टेशनों में रखा जाएगा । आरंभ में वर्कस्टेशनों में मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के सेटिंग काम करने दिये जाएँगे ताकि उनके कौशल और कार्य व्यवहार विकसित हों। जातिगत कौशल, विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण और स्वतंत्र कौशल प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने के छह महीने बाद प्रशिक्षार्थियों को खुला/समर्थक/स्वयं समर्थक/आश्रित रोजगार दिया जाता है। जब वे प्रशिक्षण में ही होते हैं तो अभिभावकों का भावी प्लेसमेंट की सूचना दी जाती है ।

व्यावसायिक मूल्यांकन, मार्गदर्शन तथा परामर्श एवं कार्यस्थानों से संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। संस्थान के प्रौढ स्वजीवन विभाग में कुल **177** प्रौढ मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों ने इन सेवाओं का लाभ उठाया, लिंग-वार विवरण **तालिका 10** में दिये गये हैं।

तालिका 10 : डेयल में व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं का लिंग वार-विवरण

लिंग	व्यावसायिक मूल्यांकन, मार्गदर्शन तथा परामर्श	व्यावसायिक प्रशिक्षण (कार्य स्थल)
पुरूष केसों की संख्या	89	48
महिला केसों की संख्या	22	18
कुल	111	66

व्यावसायिक प्रशिक्षण (स्वतंत्र कुशलता प्रशिक्षण) के तीसरी पारी में रा.मा.वि.सं. के विभिन्न विभागों में प्रशिक्षक क्लाईंटों को रोटेशन के आधार पर समर्थन सेवाओं के रूप में विभागीय आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए विस्थापित किया गया है। केस में कान्ट्रैक्ट स्टाफ द्वारा किये जाने वाले कार्य जैसे, सब्जी काटने में सहायता के लिए भी प्रशिक्षक क्लाइंटों को नियुक्त की जाती है। इससे कान्ट्रैक्ट स्टाफ को अन्य मुख्य कार्यों में लगाया जा सकता है जबकि प्रशिक्षक क्लाइंटों को एक विशेष कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने का प्रशिक्षण मिला है।

विभाग में पंजीकृत सभी क्लाईंटों को स्थान देने के लिए, जेनेरिक स्किल फेज को जेनेरिक स्किल I, II तथा III में बाँटा गया।

प्रशिक्षक क्लाईंटों द्वारा कार्य स्टेशन में तैयार किये गये वस्तुएँ जैसे, स्क्रीन प्रिंटिंग, फोटोकापी, स्टेशनरी सामग्री (लिखने के पुस्तक, फाइल पुस्तक, आदि) तथा आफसेट प्रिंटिंग संस्थान में आंतरिक कार्य में प्रयुक्त किये जा रहे हैं।

मानसिक मंद व्यक्ति - आफसेट प्रिंटिंग मशीन पर कार्य कर रहा है।

अन्य वस्तुएँ, जैसे ग्रीटिंग कार्ड, ग्लास पेन्टिंग, साफ्ट टॉय, दस्तकारी कार्य आदि, का संस्थान में आने वाले व्यक्तियों द्वारा खरीदे जाते हैं। संस्थान में ही वाल डेकोरेशन के लिए याअतिथियों को ज्ञापिका के रूप में प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं। इस आदान प्रदान में हुई आय में से कुछ भाग उन प्रशिक्षणार्थियों को उनके प्रयासों को पुनर्बलन के रूप में दिया जाता है।

6.3.22 लेन-देन प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रौढ़ स्वजीवनयापन विभाग ने 'ट्रैन्सैक्शन ट्रैनिंग' नामक एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, संस्थान के कैम्पस के पास एक पोर्टबल काउन्टर (डेमो टेन्ट) खोला। व्यावसायिक अनुदेशकों की सहायता से वयस्क मानसिक मंद व्यक्ति व्यावसायिक प्रशिक्षण के विभिन्न उत्पादनों जैसे साफ्ट टायस, चाकलेट, कला और शिल्पकारी वस्तुये, ग्रीटिंग कार्ड, आदि को बढावा देने के लिए इस डेमो टेन्ट में प्रदर्शित करते हैं। इस क्रियाकलाप के द्वारा, मार्केटिंग, सामाजिकीकरण, पैसो का लेनदेन, सामाजिक कौशल, संप्रेषण कौशल, आदि जैसे मूल आवश्यकताओं को समझ सकते हैं।

6.3.23 व्यावसायिक चिकित्सा

मानसिक मंदन और संबध्द स्थिति और अन्य व्यापक विकासीय अक्षमताओं से पीडित लोगों की जरूरतों को व्यावसायिक चिकित्सा एकक पूरा करता है । यह सेवा मुख्य रूप से निष्पादन घटकों को विकसित करने, विशिष्ट संवेदी अवयवों को सुधारने, प्रेरक, संज्ञानात्मक, बोधात्मक कौशलों को विकसित कर स्वतंत्र रूप से जीना सिखाता है । जिन मरीजों को इस सेवा की जरूरत होती है, उनका विस्तृत मूल्यांकन और विशिष्ट मध्यस्थता व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। जिनको सहायक या अनुरूप उपकरणों की आवश्यकता होती है, उन्हें समुचित केंद्रों में भेजा जाता है । देखरेखकर्ताओं को उसी वातावरण में मध्यस्थता करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान किया जाता है ।

6.3.24 जेनेटिक चिकित्सालय

उन अभिभावकों को जिनको यह संदेह होता है कि क्या उनके अगले बच्चे में ऐसे ही जातीय या जन्मजात त्रुटियाँ होंगी ऐसे लोगों को परामर्श सेवाएँ यहाँ प्रदान की जाती हैं । बायोकेमिकल, क्रोमोसोमल और साइटोटजेनेटिक जाँच की रिपोर्टें रोगियों को सहयोगी संस्थाओं में जैसे इंस्टीटयूट ऑफ जेनेटिक्स, सीडीएफडी और सेंटर फॉर सेल्युलर बायालोजी, हैदराबाद को भेजकर परिणाम मँगाये जाते हैं। मेडिकल डाक्टर और जेनेटिक विशेषज्ञों की एक टीम परामर्श सेवाएँ प्रदान करती है।

6.3.25 राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान की परीक्षाओं के लिए खुली मौलिक शिक्षा प्रदान करने हेतु संसाधन कक्ष

राष्ट्रीय खुली शिक्षा संस्थान ने सारे देश में प्रसिदध संस्थाओं के जरिए दूरस्थ शिक्षा पध्दति द्वारा खुली मौलिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है । अधिकांश बच्चे जो हल्के मानसिक मंदन और सीमा रेखा की बुध्दि लिये होते हैं, विशेष स्कूलों में ठीक तरह से न जम पाने के कारण सही शिक्षा सुविधा न पाकर नियमित शिक्षा के समकक्ष चलने में कठिनाई महसूस करते हैं । ये बच्चे राष्ट्रीय खुली शिक्षा संस्थान के सीखने को सरलीकृत कार्यक्रम के कारण रा.खु.शि.संस्थान में खुली मौलिक शिक्षा का लाभ उठा पाते हैं । इससे विशेष स्कूलों और नियमित स्कूलों के बीच का अंतर भी पट जाएगा । इस बात के मद्देनज़र, बॉर्डर लाईन और अल्प मानसिक मंद बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए संस्थान ने एक संसाधन कक्ष की स्थापना की और ये बच्चे राष्ट्रीय खुली मौलिक शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेकर अर्हता प्राप्त कर सकते हैं ।

मानसिक मंदन तथा अधिगम समस्यावाले प्राइमरी स्तर के विद्यार्थियों के लिए रा.मा.वि.सं. ने विशेष कोचिंग कक्षाएँ चलाई। वर्ष 2012-13 के दौरान इस कार्यक्रम द्वारा 31 बच्चो ने लाभ उठाया।

6.4 परिवार कुटीर सेवाएँ

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान में दूर-दराज के स्थानों से आनेवाले परिवारों के लिए परिवार कुटीर व्यवस्था उपलब्ध है । परिवार कुटीरों में 12 इकाइयाँ राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में उपलब्ध हैं। प्रत्येक इकाई में कम से कम 6 सदस्यों को रहने की सुविधा मिल सकती है। प्रत्येक इकाई में एक रसोई और वाश रूम है। जबकि परिवार कुटीरों में रहने वाले संस्थान में ही एक मानसिक मंद व्यक्ति के अभिभावकों द्वारा चलाई जा रही कैन्टीन की सुविधा से लाभ उठा सकते हैं, वे परिवार कुटीर में रखे गये बर्तन, गैस आदि का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ वे दो सप्ताह तक रहकर व्यावसायिक तथा प्रशिक्षण सेवाएँ तथा कौशल प्रशिक्षण, व्यक्तिगत परिवार परामर्श, समस्या व्यवहार का प्रबंधन, वाणी-भाषा चिकित्सा, डाक्टरी सलाह, फिजियोथेरपी, मनोरंजन क्रियाकलाप और उनकी जरूरत की अन्य सहायताएँ प्राप्त कर सकते हैं । ये कुटीर अभिभावकों को उनके दैनिक जीवन से दूर हटकर अपने बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करवाते हैं ।

परिवार कुटीर अंदर का दृश्य

वर्ष 2012-13 के दौरान परिवार कुटीरों के उपयोगकर्ताओं की संख्या 421 है। रहने की औसत अवधि प्रत्येक परिवार के लिए पाँच दिन थी। परिवार कुटीरों में प्रदान की गई सेवाओं का विवरण **तालिका 11** में दर्शाया गया है।

तालिका 11: लिंग और आयु पर आधारित परिवार कुटीर निवास किए क्लाईटों की संख्या

आयु वर्ष में	कुल क्लाईट	प्रतिशत	पुरूष	प्रतिशत	स्त्री	प्रतिशत
0-3	62	14.7	33	11.1	29	23.6
4-6	88	20.9	61	20.5	27	22.0
7-9	97	23.0	73	24.5	24	19.5
10-14	113	26.8	90	30.2	23	18.7
15-18	36	8.6	28	9.4	8	6.5
>18	25	5.9	13	4.4	12	9.8
कुल	**421**	**100.0**	**298**	**100.0**	**123**	**100.0**

6.5 विशेष शिक्षा केन्द्र

विशेष शिक्षा केन्द्र संस्थान के मानव संसाधन विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रयोगशाला की तरह सेवा प्रदान करता है। विशेष शिक्षा केन्द्र सेवा पूर्व और सेवारत प्रशिक्षणार्थियों को व्यावहारिक रूप से विषयों की जानकारी प्रदान करने की प्रयोगशाला के रूप में कार्य करने हेतु स्थापित किया गया है।

केन्द्र में 3 से 18 वर्षों के बीच की आयु के बच्चों सहित विभिन्न स्तरों के 119 मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों को दाखिल किया गया जिनमें अल्प और गंभीर मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चें भी हैं। यहाँ प्रारंभिक बाल्यवस्था विशेष शिक्षा से लेकर पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण के दस कक्षाएँ हैं। इसके अलावा, अतिरिक्त अक्षमताओं जैसे आत्मविमोह और संवेदी क्षतियों से ग्रस्त बच्चों के लिए, अति गंभीर रूप से ग्रस्त मानसिक मंद के लिए तथा खुला मूल शिक्षा कार्यक्रम के लिए चार विशिष्ट एककों की स्थापना की गई है ताकि यह देखा जा सके कि सभी स्तरों के मानसिक मंद बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाए और प्रशिक्षणार्थियों को उन तमाम प्रकार के बच्चों की जानकारी हासिल हो सके।

नियमित स्कूल के अलावा, सामान्य सेवाओं से रेफर किये गये नए क्लाईंट जिन्हें विशेष शिक्षा केन्द्र के नियमित सेवाओं के लिए प्रवेश नहीं मिला, उनके लिए समूह क्रियाकलाप सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। ये विद्यार्थी बच्चे के आवश्यकतानुसार तथा अभिभावकों को सुविधानुसार क्लासरूम टीचर द्वारा दिये गये समय के अनुसार सेवाओं में उपस्थित होते हैं। विशेष शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रदान किये गये सेवा क्रियाकलाप तालिका 12 में दिये गये हैं।

एस.ई.सी. में क्लास रूम शिक्षण

तालिका 12 : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के विशेष शिक्षा केन्द्र के सेवा क्रियाकलाप

क्र. सं.	सेवाएँ	नये केस		कुल	अनुवर्ती		कुल	कुल योग
		पुरूष	महिला		पुरूष	महिला		
1	समूह क्रियाकलाप	23	23	46	3615	1720	5335	5381
2	मोबाईल सर्विस	22	56	78	471	482	953	1031
3	आत्मविमोह ईकाई	6	-	6	298	28	326	332
4	बहु संवेदी ईकाई	3	1	4	282	110	392	396
6	कम्प्यूटर असिस्टेड अनुदेश	-	-	-	-	-	1742	1742

विशेष शिक्षा केन्द्र के अन्य क्रियाकलाप

- आँध्र महिला सभा, विकलांग व्यक्तियों के लिए दुर्गाबाई देशमुख व्यावसायिक प्रशिक्षण व पुनर्वास केन्द्र, विद्यानगर, हैदराबाद द्वारा 23 जनवरी, 2013 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खेल व सांस्कृतिक स्पर्धाओं में विशेष शिक्षा केन्द्र के 30 विद्यार्थियों ने भाग लिया एवं 14 पुरस्कार प्राप्त किये।
- विशेष शिक्षा केन्द्र के 9 विद्यार्थियों ने 21-23 दिसम्बर, 2012 को लखनऊ में आयोजित पाँचवे अंतर्राष्ट्रीय इन्नरस्केप के कला क्रियाकलाप तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया।
- विशेष शिक्षा केन्द्र के विद्यार्थियों ने 8 अक्तूबर 2012 को जे.सी.आई. स्पेशल ओलम्पिक भारत द्वारा एल.बी.स्टेडियम, हैदराबाद में आयोजित खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया एवं टेनीस और बाक्से गेम में पुरस्कार प्राप्त किये।

अंतर-विद्यालयी खेल-कूद प्रतियोगिताओं में एस.ई.सी. के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त पुरस्कार

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पौधे रोपन किये

- स्पेशल ओलम्पिक भारत, आँध्रप्रदेश द्वारा अग्रसेन भवन, पैरडाइज़, सिकंदराबाद में आयोजित कार्नीवाल में विशेष शिक्षा केन्द्र के पचास विद्यार्थियों ने भाग लिया।
- राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के वार्षिक दिवस के उपलक्ष्य में 22 फरवरी, 2013 को नियमित स्कूल के साथ विशेष शिक्षा केन्द्र के विद्यार्थियों के लिए समाविष्ट खेल-कूद का आयोजन किया गया।
- विशेष शिक्षा केन्द्र के विद्यार्थियों ने वार्षिक खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया एवं पुरस्कार प्राप्त किये।
- विशेष शिक्षा केन्द्र के विद्यार्थियों ने स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्चपास्ट, ड्रिल, फैन्सीड्रेस एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया।
- विशेष शिक्षा केन्द्र ने वर्ष के दौरान विद्यार्थियों में विविध सांस्कृतिक तथा धार्मिक मूल्य जगाने के लिए विभिन्न धार्मिक त्यौहार मनाये गये।

6.6 अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का लक्ष्य अपने बच्चों की देखरेख और प्रबंधन और प्रशिक्षण में लगे अभिभावकों के बीच एक-दूसरे को आपसी समर्थन और विचारों और सूचना के आदान-प्रदान के लिए अभिभावकों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित करना है । प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान कुल 44 अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए 1150 अभिभावक लाभान्वित हुए। इसमें मास्टर प्रशिक्षक कार्यक्रम के अभिभावक भी सम्मिलित हैं।

6.7 राहत देखभाल सेवाएँ

राहत देखभाल एक अल्पकालीन देखभाल कार्यक्रम है जहाँ मानसिक मंद बच्चों के परिवार अपने दैनिक जीवन से और तनाव से कुछ समय के लिए छुटकारा पा सकते हैं। राहत देखभाल से मानसिक मंद बच्चों को अपने परिवार से अलग रहकर स्वतंत्र जीवनयापन के कौशलों को बढावे का अवसर मिलता है। रा.मा.वि.सं. ने अक्तूबर, 2010 से निम्नलिखित उद्देश्यों से राहत देखभाल सेवाएँ आरंभ की हैं।

- अभिभावक / परिवार सदस्यों को अपने अन्य जिम्मदारियों को निभाने के लिए राहत समय का एक अवसर प्रदान करना,
- मानसिक मंद बच्चों के दैनिक देखभाल के तनाव से राहत देने के लिए अभिभावकों को एक अवसर प्रदान करना
- मानसिक मंद व्यक्तियों को घर से अल्पावधि के लिए बाहर रहने का मौका प्रदान करना
- रा.मा.वि.सं. में विभिन्न शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए एक प्रदर्शन केन्द्र के रूप में सेवा प्रदान करना।

राहत देखभाल केन्द्र में शून्य अस्वीकृति का नियम रखकर पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। प्रत्येक सुविधा का समर्थन दिन में एक विशेष शिक्षक द्वारा दिया जाता है तथा चौबीस घंटे एक देखभालकर्ता (आया) रहता है। अवकाशकालीन, भोजन तथा दवाइयाँ जैसे अन्य सुविधाएँ भी दी जाती हैं। मानसिक मंद बच्चों के अभिभावक और परिवार सदस्य इन सेवाओं से पाँच दिन तक (विशेष परिस्थितियों में इस अवधि को बढाया जाता है) लाभ उठा रहे हैं। वर्ष के दौरान इस राहत देखभाल केन्द्र की सेवाओं से 223 लाभान्वित हुए। विवरण तालिका 13 में दिया गया है।

तालिका 13: राहत देखभाल केन्द्र में नए क्लांईटों का पंजीकरण (एन.=223)

महीना	लाभान्वित	महीना	लाभान्वित
अप्रैल	17	अक्तूबर	15
मई	17	नवम्बर	18
जून	16	दिसम्बर	13
जुलाई	18	जनवरी	26
अगस्त	21	फरवरी	22
सितम्बर	18	मार्च	22

6.8 रा.मा.वि.सं. के सामान्य सेवाओं पर क्लाईंटों का पुनर्निवेशन

संस्थान द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणता को परिष्कृत करने के प्रयास में क्लाइंटों से पुनर्निवेशन लिया जाता है। वर्ष के दौरान क्लाइंटों से प्राप्त पुनर्निवेशन के विश्लेषण से यह पता चला कि रा.मा.वि.सं. द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से 64 प्रतिशत संतुष्ट हैं और विवरण **तालिका 14** में दिया गया है। व्यावसायिकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का संतोषप्रद स्तर (क्र.1 से 19 तक) 74% रहा, जबकि संकाय सदस्य व अतिथि संकाय सदस्यों के पर्यवेक्षण के अधीन दीर्घावधि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों द्वारा क्लाईंटों को प्रदान की जा रही सेवाओं का संतोषप्रद स्तर 49% (क्र.20-अ-ऊ) रहा। पुनर्निवेशन के अतिरिक्त, सेवा प्रदान किये जाने वाले स्थान पर सुझाव पेटी तथा शिकायत रजिस्टर भी रखा गया है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान की सेवाओं से संबंधित क्लाईंटों को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए उचित कार्यवाही की जा रही है।

तालिका 14 : रा.मा.वि.सं. में अभिभावकों व क्लाईंटों से पुनर्निवेशन (एन.=714)

क्र. सं.	मद	संतुष्ट (प्रतिशतता)
1	व्यावसायिकों द्वारा केस की स्थिति का विवरण स्पष्ट करना	84.77
2	अपांईटमेंट के लिए दी गई तिथियाँ	87.42
3	प्रबंधन योजना की रेशनेल पर स्पष्टीकरण	82.78
4	घर पर प्रबंधन योजना पर कार्य का मार्गदर्शन व प्रशिक्षण (एचबीटी)	86.75
5	अंतराक्षेपण बाद व्यक्ति में सुधार	82.12
6	व्यावसायिक स्टाफ या सहायक स्टाफ का अपने काम की ओर रवैया	71.52
7	रा.मा.वि.सं. में उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी देना	82.12
8	सहायता प्रदान करने मे सहयोग	73.51
9	सेवा प्रदान करने वाले व्यावसायिक द्वारा क्लाईंट के साथ बिताया गया समय	76.16
10	सेवा प्रदान करने वाले से मिलने के लिए बिताया गया सम	91.39
11	सेवा प्रदान करने वालों की क्षमता/विशेषज्ञता	79.47
12	मूल्यांकन करने के लिए बताये गए कारण तथा परिणामों के बारे में स्पष्टीकरण	68.21
13	परामर्शी सेवाओं का प्रावधान	69.54
14	रियायतें व सुविधाओं के बारे में सूचना	63.58
15	सुविधाएँ जैसे पीने का पानी, राहत कक्ष, व्हील चैयर, कैन्टीन सेवा आदि	61.59
16	विभिन्न अक्षमताओं के बारे में पठन सामग्री की उपलब्धता	47.68
17	अपाइंटमेंट में सेवा प्रदान करने में समय की पावंदी व उपलब्ता	71.52
18	आवश्यकता पड़ने पर व्यावसायिक स्टाफ का योगदान	63.58
19	सेवाओं में मित्रतापूर्ण वातावरण निर्माण करने में स्टाफ का योगदान	69.54
20	**प्रदान की गई सेवाओं के बारे में:**	
क	मेडिकल	70.86
ख	व्यवहार परिवर्तन	48.34
ग	अभिभावकीय परामर्श	49.66
घ	विशेष शिक्षा	41.06
च	फिजियोथिरेपी	39.74
छ	वाणी व भाषा थिरेपी	42.38
	संपूर्ण	**64.00**

रा.मा.वि.सं. मॉडल विशेष शिक्षा केन्द्र, नई दिल्ली

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 1964 में स्थापित मॉडल विशेष शिक्षा केन्द्र (एम.एस.ई.सी.) को वर्ष 1986 में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद के प्रशासनाधीन लाया गया। मंदबुध्दि व्यक्तियों को अपने अंत:शक्ति का पूर्ण रूप से विकास करने में सहायता देने के उद्देश्य से यह केंन्द्र कार्यरत् है। भर्ती किये गये बच्चों की संख्या 77 थी, जिनमें से 15 आवासीय और 62 अनावासीय थे (तालिका 15)।

तालिका 15 : लिंग वार दाखिले

लिंग	अनावासीय	आवासीय	कुल
लडके	43 (81%)	10 (19%)	53
लड़कियाँ	19 (79%)	05 (21%)	24
कुल	62(81%)	15 (19%)	77

7.1 स्कूल के क्रियाकलाप

सामुदायिक जागरूकता एवं सामाजिक कौशल

बच्चों को विभिन्न समुदाय सेट अप दिखाने के लिए ले जाया गया। सभी धर्मों का इतिहास एवं संस्कृति के प्रति सद्भाव बढ़ाने के लिए स्कूल में सभी प्रमुख त्यौहार मनाये गये। स्कूल के पाठ्यक्रम के एक अनिवार्य अंग के रूप में राष्ट्रीय त्यौहार मनाये गये।

- रा.मा.वि.सं. एम.एस.ई.सी. ने राष्ट्रीय त्यौहार जैसे- स्वंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस मनाये
- रक्षा बंधन, दिवाली, क्रिसमस जैसे धार्मिक पर्व रा.मा.वि.सं. एम.एस.ई.सी. के विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों ने मनाये।

7.2 शैक्षणिक दौरे तथा वनविहार:

- स्कूल के बच्चों को 2.2.2013 को दिल्ली में बच्चों को चिडियाघर ले जाया गया। नेशनल म्यूजियम आफ नेचुरल हिस्टरी के सहयोग से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उनके द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम के अवसर पर इस सैर के लिए बच्चों को ले जाया गया। आन-दि-स्पाट पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित किया गया जिसमें सभी बच्चों ने भाग लिया।
- सेकन्डरी, प्री वोकेशनल तथा वोकेशनल ग्रूप के विद्यार्थियों को दिल्ली मेट्रो को शैक्षणिक दौरे पर ले जाया गया। इसमें बच्चों को सुरक्षा नियमों से अवगत कराया गया एवं मेट्रो में यात्रा करने का फ़रक बताया गया।
- केन्द्र के कुछ बच्चों को 27 सितम्बर, 2012 को भारत के समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाने वाली इम्प्रेसारियो इंडिया नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कठपुतली शो दिखाया गया।

- आवासीय खंड के सभी विद्यार्थियों और कुछ अनावासीय विद्यार्थियों ने अपने संरक्षकों के साथ 7 नवम्बर, 2012 को दिल्ली हाट में सोसाइटी फार चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा आयोजित डैन्स मैजिक नामक डीजे सत्र में भाग लिया।

7.3 अन्य घटनाएँ

खेलकूद

- अंतरकक्षा खेल-कूद प्रतिस्पर्धाएँ - जुलाई में प्री प्राईमरी एवं प्राईमरी ग्रूप के बच्चों के लिए एवं अगस्त में सेकन्डरी एवं प्री वोकेशनल समूह के बच्चों के लिए अंतर कक्षा खेल-कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

अंतर स्कूल प्रतियोगिताएँ

- अक्तूबर में जामिया मिलिया के चाईल्ड गाईडेन्स सेन्टर द्वारा आयोजित अंतर स्कूल प्रतियोगिताओं में केन्द्र के विद्यार्थियों ने भाग लिया और पुरस्कार प्राप्त किये।
- रा.मा.वि.सं.-एम.एस.ई.सी. के विद्यार्थियों ने स्पेशल ओलम्पिक्स भारत (दिल्ली) द्वारा आयोजित दिल्ली राज्य स्तरीय अथ्लेटिक एवं बाक्से गेम्स में 19-21 दिसम्बर, 2012 को भाग लिया एवं पुरस्कार प्राप्त किये।

कला, दस्तकारी, नृत्य, नाटक तथा संगीत

- बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के पेंटिंग्स् का राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शन के लिए 'समाधान'- एक गैर सरकारी संगठन को स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा बनाये गये 13 पेंटिंग्स् भेजे गये। इन प्रविष्टियों में से 7 पेंटिंग्स् का चयन किया गया और 7-8 अप्रैल, 2012 के दौरान इन्डिया इन्टरनेशनल केन्द्र, अनेक्स, नई दिल्ली में प्रदर्शनार्थ रखा गया।
- रा.मा.वि.सं.-एम.एस.ई.सी. के बच्चों द्वारा बनायी गयी 13 पेंटिंग्स् को अप्रैल 2012 के दौरान वेरी स्पेशल आर्टस् आफ इंडिया के 18वे वार्षिक कला प्रतियोगिता (मानसिक मंदन की श्रेणी) के लिए भेजा गया। केन्द्र की एक छात्रा, सुश्री रीना ने रु.1000/- का सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। सभी सहभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किये गये।
- अगस्त महीने में, वेरी स्पेशल आर्टस् आफ इंडिया द्वारा आयोजित वार्षिक संगीत बैठक में दो विद्यार्थियों ने भाग लिया एवं योग्यता पुरस्कार प्राप्त किये।
- वाई.एम.सी.ए. निजामुद्दीन द्वारा 11-12 अक्तूबर 2012 को आयोजित अबिलिटी उत्सव में रा.मा.वि.सं.-एम.एस.ई.सी. के दस छात्रों के एक दल ने इन्टर स्कूल मल्टी डिसबिलिटी इन्टग्रेटेड फेस्टिवल में भाग लिया एवं पुरस्कार प्राप्त किया।
- केन्द्र के विद्यार्थियों ने 9 नवम्बर 2012 को कान्स्टीट्यूशन क्लब, रफी मार्ग पर 19 वाँ एम.टी.एन.एल. परफेक्ट मेला में भाग लिया। स्वस्थ्य जीवन की आदतों के बारे में जागरूकता बताने के अलावा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। विद्यार्थियों ने प्रभावोत्पादक प्रदर्शन किया एवं विभिन्न क्रियाकलापों में पुरस्कार प्राप्त किये।
- अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर 3 दिसम्बर, 2012 को सफदरजंग अस्पताल के पुनर्वास विभाग द्वारा आयोजित ड्राइंग तथा पेंटिंग प्रतिस्पर्धा में केन्द्र के 13 छात्रों ने भाग लिया।
- नेशनल म्यूजियम आफ नैचुरल हिस्टरी द्वारा 6 फरवरी, 2013 को आयोजित कला एवं दस्तकारी कार्यशाला में रा.मा.वि.सं.-एम.एस.ई.सी. के सभी बच्चों ने भाग लिया।

- मार्च 2013 में, वेरी स्पेशल आर्टस् आफ इंडिया द्वारा आयोजित वार्षिक पेंटिंग प्रतियोगिता के लिए रा.मा.वि.सं.-एम.एस.ई.सी. के विद्यार्थियों द्वारा तैयार किये गये पेंटिंग भेजे गये।

पूर्व व्यवसाय तथा व्यवसाय ईकाईयों के क्रियाकलापः-

इस वर्ष व्यावसायिक इकाई में निम्नलिखित क्रियाकलाप जारी रहे-

1. वुड वर्क सेक्शन
2. दिया और मोम्बत्ती तैयार करने की परियोजना
3. स्टेशनरी इकाई
4. स्क्रीन प्रिंटिंग इकाई
5. मैट वीविंग इकाई
6. फिनैल तैयार करना
7. फूल काटना एवं सुखाने की परियोजना: इस परियोजना में विद्यार्थियों द्वारा ही स्थानीय मंदिरों, बैंकेट हाल एवं घरों से व्यर्थ फूल इकठ्ठा करवा कर, कटवाकर, सुखवाये गये और समन्वय एजंसियों को भेजे जाते हैं जहाँ उन फूलों से होली के लिए हर्बल रंग बनवाये जाते हैं। काटे गये एवं सुखवाये गये फूलों को रेडीमेड हर्बल होली के रंगों के लिए समन्वयकर्ता एजंसी द्वारा अदला बदली किये गये।

आवासीय सुविधा : आवासीय विद्यार्थियों को दैनिक जीवन के क्रियाकलापों जैसे स्वावलम्बन क्रियाकलाप, सामाजिक कौशल एवं घरेलू कौशल का प्रशिक्षण दिया गया। अंकुर(आर.सी.) में जरूरतमंद आवासीय विद्यार्थियों चिकित्सापरक सेवाएँ प्रदान की गई।

विद्यार्थियों को स्कूल में दिये गये गृह कार्य के लिए हाउज़ मदर द्वारा नियमित रूप से सहायता दी जाती है। छात्रावास के दैनिक क्रियाकलापों एवं शैक्षणिक कौशल जैसे, गिनती करना, अलग करना, वर्गीकरण करना, आदि से जुडने का प्रयास किया गया।

- 16 से 23 फरवरी, 2013 को राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के वार्षिक दिवस के अवसर पर रा.मा.वि.सं. एम.एस.ई.सी. द्वारा विभिन्न क्रियाकलाप आयोजित किये गये जिसमें सांस्कृतिक क्रियाकलाप भी सम्मिलित थे।
- अंतर्राष्ट्रीय विकलांगजन दिवस के अवसर पर 1.12.2012 को सेन्ट्रल मार्केट, लाजपत नगर में एक प्रदर्शनी - बनाम - सूचना काउन्टर लगाया गया और रा.मा.वि.सं. एम.एस.ई.सी. के विद्यार्थियों, एन.आई.एम.एच. क्षे.के.के विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए एक रैली निकाली गई।
- विश्व आटीज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल, 2012 को मनाया गया। इस दिन स्कूल भवन को नीले रंग के दीपों से सुसज्जित किया गया।
- रा.मा.वि.सं. एम.एस.ई.सी. ने रा.मा.वि.सं.क्षेत्रीय केन्द्र के साथ रा.मा.वि.सं. की ओर से 1 से 11 नवम्बर, 2012 को दिल्ली हाट, नई दिल्ली में शिल्पोत्सव में भाग लिया। शिल्पोत्सव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वार्षिक प्रदर्शनी है।

अध्याय-8

परामर्शी तथा तकनीकी समर्थन

8.1 भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सहायता अनुदान पाने के लिये गैर सरकारी संगठनों के आवेदनों का तकनीकी मूल्यांकन

इस योजना के अंतर्गत मानसिक अक्षमताओं के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहन देने के लिये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश में गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान देता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुरोध पर संस्थान ने गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे 3 कार्यक्रमों का तकनीकी मूल्यांकन किया। एन.आई.एम.एच. ने गैर सरकारी संगठनों का तकनीकी मूल्यांकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत किया।

8.2 भारतीय पुनर्वास परिषद्

संस्थान के स्टाफ ने भारतीय पुनर्वास परिषद् के विभिन्न पाठयक्रमों का विकास और मूल्यांकन सबंधी बैठकों में भाग लिया। भारतीय पुनर्वास परिषद् की ओर से संस्थान के संकाय सदस्यों ने देश भर के विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया। रा.मा.वि.सं. ने प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान ऐसे 4 निरीक्षण किये।

8.3 विशेष रोजगार कक्ष

वर्ष 2012-13 में एन.आई.एम.एच. में स्थापित विशेष रोजगार सेल में 3 विकलांग व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया। इससे विभिन्न संगठनों से प्राप्त माँग पत्रों के अनुसार योग्यता के आधार पर अपने अपने नामांकन भेजने हेतु विशेष रोजगार सेल में वर्ष 1995 से अभी तक पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 95 हुई।

दस्तावेजीकरण व प्रचार-प्रसार

दस्तावेजीकरण तथा प्रचार प्रसार राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान का एक और मुख्य उद्देश्य है। संस्थान में मानसिक मंदन और संबंधित क्षेत्रों में पूरी तरह से लैस संसाधन केन्द्र हैं जिसमें पर्याप्त संख्या में पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ हैं। संस्थान पत्र पत्रिकाओं के लेखों की छाया प्रतियाँ राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के प्रकाशनों, वीडियो कैसेटों तथा फ्लापियों का वितरण, तथा पुस्तकालय सेवाएँ प्रदान करता, पठन सूची एवं समाचार पत्रों की पेपर क्लिपिंग तैयार करता है व इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करता है।

संस्थान मेंटार्ड बुलेटिन नामक द्वैमासिक पत्रिका प्रकाशित करता है जिसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों के लेखों के सारांश होते हैं। देश भर के लगभग 300 संस्थान इसके अंशदाता हैं। यदि कोई किसी लेख का पूरा सारांश चाहते हों तो, उन्हें लेख के पूरे विषयों की छायाप्रति भेजी जाती है।

31.3.2013 तक पुस्तकालय में 14,000 पुस्तकें (खरीदी गई, ग्रैटिस में मिले, उपहार के रूप में मिले) हैं।

विद्यार्थि द्वारा पुस्तकालय का संदर्भोपयोग

9.1 पोस्टर्स एवं फ्लिप चार्ट

संस्थान लगातार विकलांगता को पहचानने के लिये जन जागृति कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है जैसे विकलांग व्यक्तियों को पहचानने के लिए ग्रास रूट लेवल वर्कर्स के लिये पोस्टर प्रिंटिंग, सूचना सामग्री प्रकाशन, फ्लिप चार्ट तैयार करना आदि।

9.2 वेबसाईट डिजिटीकरण

एन आई एम एच के वेबसाईट को पूरी तरह संशोधन कर फ्लैश इमेजेस् के साथ एक नया रूप दिया गया और इसे अक्षमता मैत्रीपूर्ण बनाया गया। यह वेबसाईट हिन्दी में भी उपलब्ध है। वेबसाईट का सुराक्षा लेखा परीक्षा किया गया और (एस.टी.क्यू.सी.) स्टैन्डरडाईजेशन, टेस्टिंग एण्ड क्वालिटी सर्टीफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। इनमें से आये गये असंगतियों का पूरा किया गया। एस.टी.क्यू.सी. प्रमाणीकरण की प्रतीक्षा है। एन.आई.सी., हैदराबाद में संस्थान का (वेबसाईट www.nimhindia.gov.in) होस्ट किया गया। एक और वेबसाईट www.nimhindia.org भी उपलब्ध है।

विस्तार तथा आउटरीच कार्यक्रम

10.1 यंत्र/उपकरणों का क्रय/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिये सहायता योजना (एडिप योजना)

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश भर के विकलांग व्यक्तियों को यंत्र व उपकरणों के वितरण हेतु संश्लिष्ट पुनर्वास शिविरों का आयोजन करना है।

इस प्रक्रिया में पहले मूल्यांकन किया जाता है और इसके बाद मूल्यांकन शिविर में पहचान किये गये विकलांग व्यक्तियों को यंत्र व उपकरण वितरित किये जाते हैं।

जिला मैजिस्ट्रेट / कलेक्टर के कार्यालय की सहायता इन शिविरों के आयोजन के लिए सुनिश्चित की जाती है। शिविर के आयोजन के लिए जिला अस्पताल, गैर सरकारी संगठन तथा अन्य संगठनों से उचित मानदेय देकर मदद ली जाती है। प्रक्रिया में निम्नलिखित सोपान हैं-

प्रचार प्रसार

शिविरों का आयोजन करने से पहले आयोजक विस्तृत प्रचार प्रसार करते हैं जिसके लिए क्षेत्रीय भाषाओं में कर पत्र मुद्रित करवा कर बाँटे जाते हैं।

सम्मिलित व्यावसायिक

शिविरों का आयोजन करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित व्यावसायिकों का प्रबंध किया जाता है मनोवैज्ञानिक, विशेष शिक्षक (मा.म., श्र.वि., दृ.वि.), श्रवण चिकित्सक, नेत्र चिकित्सक, आर्थोपैडिक सर्जन, भौतिक चिकित्सक, पी. व ओ. इंजिनीयर/ तकनीशियन तथा मनश्चिकित्सक।

आंकडों का रखरखाव

एडिप क्रियाकलापों संबंधी निम्न लिखित आँकडों का रखरखाव किया जाता है।

- प्रत्येक व्यक्ति का केस पंजीकरण फार्म जिनका कैम्प के दौरान मूल्यांकन किया गया
- मूल्यांकन फार्म
- यंत्रों व उपकरणों का श्रेणी-वार विवरण तैयार करना
- यंत्रों व उपकरणों का वितरण संबंधी ब्यौरा
- 19 कॉलम रजिस्टर का कम्प्यूटर पर दस्तावेजीकरण

वित्तीय सहायता

यह योजना चलाने के लिए वित्तीय सहायता राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद द्वारा एडिप शिविर पर जागरूकता निर्माण, पहचान तथा मूल्यांकन शिविर, यंत्रों व उपकरणों का क्रय व वितरण के लिए दी जाती है। शिविरों के दौरान लाभदायकों को तथा संरक्षकों को खान-पान आदि का प्रबंधन भी किया जाता है।

नेटवर्किंग

स्थानीय गैर सरकारी संगठन के साथ नेटवर्क बनाये रखना तथा मेडिकल कालेज/जिला अस्पताल/ग्रामीण अस्पताल/पी.एच.सी/ डी.डी.आर.सी./अन्य कोई समर्थ संगठन के साथ हितार्थियों को यंत्र व उपकरणों के फिटमेंट/पोस्ट फिटमेंट हेतु संपर्क बनाना।

फालो अप

विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए तथा इस योजना के अंतर्गत जिन व्यक्तियों को यंत्र व उपकरण दिये गये थे, उनके उपयोग तथा रखरखाव के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय द्वारा फालो अप सेवाओं का आयोजन किया जाता है।

10.1.1 साधन व उपकरणों का वितरण - ए.डी.आई.पी.योजना

वर्ष 2012-13 के दौरान विकलांग व्यक्तियों को कुल 1060 साधनों व उपकरणों का ए.डी.आई.पी.योजना के अंतर्गत वितरण किया गया (982 शिविरों द्वारा तथा 78 केन्द्र आधारित द्वारा)। वितरित साधन एवं उपकरण एवं उपकरणों का विवरण तालिका 16 व 17 में प्रस्तुत किया गया है।

वर्ष	एडिप लाभान्वित	एडिप व्यय
2010-11	403	रु. 3,17,685
2011-12	430	रू.26,87,000
2012-13	1060	रु.67,69,242

एडिप योजना पर खर्च की गई रु.67.69 लाख में से रु.64.23 लाख एडिप सामग्री पर खर्च किया गया और रू.3.46 लाख शिविरों पर खर्च किया गया। यह खर्च किसी एक वर्ष के लाभदायकों की संख्या से संबंधित नहीं है क्योंकि पिछले वर्ष में प्राप्त सामग्री के भुगतान भी इसमें शामिल है।

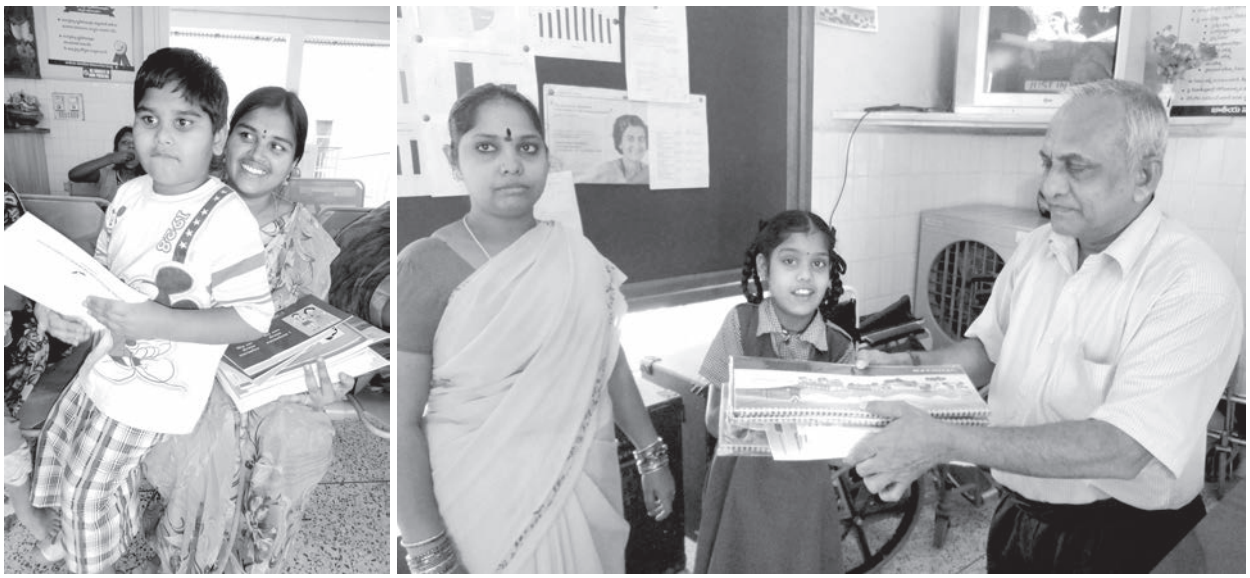

केन्द्र आधारित एडिप योजना के अंतर्गत टी.एल.एम. प्राप्त किया

तालिका 16 : वर्ष 2012-13 के दौरान शिविरों का राज्य वार विवरण एवं यंत्र व उपकरणों के वितरण का ब्यौरा

राज्य	जिला	कैम्पो की संख्या *दिनांक एवं स्थान*	लाभ कर्ताओं संख्या	उपकरणों का वितरण									
				ट्राय साई किल	व्हील चेयर्स	क्रचर्स/ रोटेटर्स ब्रसेस आदि	श्रवण यंत्र/एस. बी.चार्जर	कॅलिपर्स	ब्रेल लेखन उपकरण केन आदि	वाकर/ वाकिंग स्टिक	मंदबुद्धि सं संबंधित सहायक यंत्र	कृत्रिम अवयव	कोई अन्य
कर्नाटक	1. चामराज नगर	3	250	136	71	1 क्रचर्स	40	-	-	2 स्टिक	-	-	
	2. शिवगोगा	1	54								54	-	
	3. ग्रामीण बैंगलूरू	1	28								28		
	4. दक्षिणी कंनड (मैंगलूर)	1	155								155		
	5. तुमकुर	2	103	33	12	8 क्रचर्स	31 श्रवण यंत्र		3 केन	16 स्टिक			
	6. मांडया	2	149	34	36	30 क्रचर्स	24 श्रवण यंत्र		7 केन	18 स्टिक			
	7. हवेरी	1	35	25	3	6 क्रचर्स				1 स्टिक			
	8. चित्रदुर्गा	1	37	37									
	9. कोप्पल	1	20	19	1								
	10. गुलबर्गा	1	37	16	11	2 क्रचर्स	8 श्रवण यंत्र						
केरल	11. कोट्यम	3	55								55		
पांडेचर	12. करकेल	1	59	9	8	3 क्रचर्स	34 श्रवण यंत्र			5 स्टिक			
	कुल	**18**	**982**	**309**	**142**	**50**	**137**	**-**	**10**	**42**	**292**		

स्थान	दिनांक
1. **चमराज नगर**	21.06.2012 22.06.2012 24.08.2012 18.02.2013 19.02.2013 20.02.2013
2. **शिमोगा** (सौरब)	31.07.2012
3. **ग्रामीण बैंगलूरू** (दवनहली)	23.08.2012
4. **दक्षिण कन्नड** (मैंगलूर)	03.09.2012
5. **तुमकुर** (तिमूर)	04.10.2012 & 05.10.2012
(तिमूर)	11.02.2013 & 12.02.2013
6. **मांडया**	25.08.2012 15.02.2013 & 16.02.2013
7. **हवेरी** (सवन्नूर)	13.02.2013 & 14.02.2013
8. **चित्रदुर्गा**	31.10.2012 & 01.11.2012
9. **कोप्पल**	09.11.2012
10. **गुलबर्गा**	01.04.2012 & 30.08.2013
11. **कोट्यम** (इट्टूमानूर)	01.10.2012
(उजावूर)	02.10.2012
(कोचीडप्पाडी)	03.10.2012
12. **करकेल**	10.10.2012

तालिका 17 : वर्ष 2012-13 के दौरान केन्द्र आधारित लाभान्वितों का विवरण

केन्द्र	लाभ कर्ताओं संख्या	उपकरणों का वितरण									
		ट्राय साई किल	व्हील चेयर्स	क्रचर्स/ रोटेटर्स ब्रसेस आदि	श्रवण यंत्र/एस. बी.चार्जर	कॅलिपर्स	ब्रेल लेखन उपकरण केन आदि	वाकर/ वाकिंग स्टिक	मंदबुद्धि सं संबंधित सहायक यंत्र	कृत्रिम अवयव	कोई अन्य
1. रा.मा.वि.सं. मुख्यालय	33	-	15	1 रोटेटर्स	-	-	-	1 वाकर	16	-	
2. रा.मा.वि.सं. मुख्यालय एस.ई.सी.	36								36		
3. रा.मा.वि.सं. एम.एस.ई.सी., नई दिल्ली	9								9		
कुल	**78**	**-**	**15**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**	**61**	**-**	

10.1.2 एडिप योजना को क्रियान्वित करने वाले संगठनों का निरीक्षण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं.4-2(39)/09-डी.डी.-1 दिनांक 29 सितम्बर, 2009 के अनुसार रा.मा.वि.सं. ने आँध्रप्रदेश एवं कर्नाटक राज्यों में एडिप योजना क्रियान्वित करने वाले गैरसरकारी संगठनों का निरीक्षण किया। तदनुसार, वर्ष 2012-13 के दौरान रा.मा.वि.सं. आँध्रप्रदेश, कर्नाटक राज्य में 47 निरीक्षण किये गये। एडिप योजना का विवरण परिशिष्ट 3 (पृष्ठ सं. 78) में दिया गया है।

10.2 उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कार्यक्रम

वर्ष 2002 से उत्तर पूर्वी राज्यों मे मंदबुध्दिता के बारे में जागरूकता सृजन के लिए तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा गुणवत्ता सेवाओं को सुदृढ बनाने में समर्थन देने हेतु, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने कार्यक्रमों को आरंभ किया । वर्तमान वर्ष 2012-13, रा.मा.वि.सं. ने पूर्वोत्तर राज्यों के विभागों के सहयोग से पूर्वोत्तरी राज्यों में मानसिक मंद व्यक्तियों को साधीकृत बनाने के लिए गुणवत्ता सेवाएँ प्रदान करने के क्रियाकलाप किये गये।

वर्ष 2011-12 में 39 कार्यक्रमों के द्वारा 5500 लाभान्वितों की तुलना में इस वर्ष के दौरान 65 प्रशिक्षण कार्यक्रमों से कुल 7107 क्लाईंट / अभिभावक / व्यावसायिक / ग्रास रूट कार्यकर्ता लाभान्वित हुए। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आयोजित विभिन्न क्रियाकलापों के विवरण तालिका 18 एवं परिशिष्ट 4, पृष्ठ सं. 83 में दिये गये हैं।

पूर्वोत्तरी क्षेत्र में ग्रास रूट स्तर कार्यकर्ताओं को अभिमुखी कार्यक्रम

सिक्किम में जागरूकता कार्यक्रम

तालिका 18 : उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्रियाकलाप

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र	कार्यक्रमों की सं.	लाभान्वितों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	12	1292
2	मिजोरम	6	445
3	मणिपुर	9	1454
4	सिक्किम	21	2293
5	त्रिपुरा	17	1623
	कुल	65	7107

10.3 समुदाय आधारित कार्यक्रम (सी.बी.पी.)

वर्ष 2011-12 के दौरान 20 कार्यक्रमों से 1422 लाभान्वितों की तुलना में इस वर्ष 2012-13 में 46 कार्यक्रमों के द्वारा 3143 लाभान्वित हुए जो लाभान्वितों की 121% वृद्धि को दर्शाता है। सी.बी.पी. के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के दौरान रा.मा.वि.सं. द्वारा आयोजित क्रियाकलाप / कार्यक्रमों का विवरण तालिका 19 में दर्शाया गयाहै।

तालिका 19 : वर्ष 2012-13 में समुदाय आधारित कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	लाभान्वितों की संख्या
1	आटीज्म जागरूकता दिवस के अवसर पर आटीज्म जागरूकता पदयात्रा	नेकलेस रोड़	2 अप्रैल, 2012	600
2	आटीज्म पर अभिमुखी कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. प्रेक्षागृह	2 अप्रैल, 2012	80
3	विकलांगता पर जागरूकता कार्यक्रम	प्रगति एन्टरप्राइज कार्यालय, जीडिमेट्ला, हैदराबाद	30 मई, 2012	37
4	विकलांगता पर जागरूकता कार्यक्रम	अंजया नगर, सिकंदराबाद	31 मई, 2012	13
5	विकलांगता पर जागरूकता कार्यक्रम	ज्योति कान्वेंट, सिकंदराबाद	15-16 जून, 2012	22
6	विकलांग बच्चों का पहचान तथा जांच	मदर्स स्कूल, बोवनपल्ली, सिकंदराबाद	15 जून, 2012	4
7	विकलांगता पर जागरूकता कार्यक्रम	कोकापेट	22 जून, 2012	150
8	विकलांगता पर जागरूकता कार्यक्रम	शंशाबाद	23 जून, 2012	150
9	घरोघर सर्वेक्षण	पैरडाईज सर्किल के पास झुग्गी झोपडी	12 जुलाई, 2012	28
10	विकलांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण	अशोक नगर, हैदराबाद काप्रा क्षेत्र के अधिसूची झुग्गी झोपडी	10 सितम्बर, 2012	21
11	विकलांगता पर जागरूकता कार्यक्रम	अशोक नगर, हैदराबाद काप्रा क्षेत्र के अधिसूची झुग्गी झोपडी	10 सितम्बर, 2012	16

12	विकलांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण	नंदन मुरी, तारक नगर, सिकंदराबाद	6 दिसम्बर, 2012	10
13	विकलांगता पर जागरूकता कार्यक्रम	साई ग्रामर स्कूल, सिकंदराबाद	7 दिसम्बर, 2012	13
14	विकलांग व्यक्तियों को पहचानने के लिए सर्वेक्षण	अंजया नगर, सिकंदराबाद	25 फरवरी, 2013	50
15	विकलांग व्यक्तियों को पहचानने के लिए सर्वेक्षण	मलकाजगिरि, सिकंदराबाद	26 फरवरी, 2013	20
16	विकलांगता पर जागरूकता कार्यक्रम, योजनाएँ व सुविधाएँ	डी.सी.आर.पी.एम.	8 मार्च 2013	08
17	मानसिक विकलांगता पर जागरूकता कार्यक्रम, योजनाएँ व सुविधाएँ	भारत निर्माण शिविर, ज़हीराबाद, आँध्रप्रदेश	13-15 मार्च, 2013	320
18-36	रा.मा.वि.सं.क्षे.के., नवी मुम्बई	19 कार्यक्रम		233
37-38	रा.मा.वि.सं.क्षे.के., कोलकाता	2 कार्यक्रम		420
39-46	रा.मा.वि.सं.क्षे.के., नई दिल्ली	8 कार्यक्रम		948
			कुल	**3143**

10.4 अभिमुखी कार्यक्रम

हर वर्ष राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान तथा क्षेत्रीय केन्द्र अतिथि व्यावसायिकों को अभिमुखी कार्यक्रम प्रदान करता है। वर्ष 2011-12 के दौरान 102 संस्थानों के 2369 व्यावसायिकों द्वारा इन कार्यक्रमों से लाभ उठाया गया जबकि इस वर्ष **2012-13** के दौरान **106** संस्थानों के **2752** व्यक्ति लाभान्वित हुए जो लाभान्वितों की संख्या में 12% वृद्धि दर्शाता है।

10.5 प्रदर्शनियाँ

विकलांगता पर जागरूकता कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने देशभर में **2** प्रदर्शनियों व रैली का आयोजन किया और इन स्टालों से **4,000** व्यक्ति लाभान्वित हुए जिसके विवरण **तालिका 20** में दर्शाये गये है।

तालिका - 20 : वर्ष के दौरान प्रदर्शनियों में सहभागिता

शीर्षक	लक्ष्य समूह	आयोजक	स्थान	तिथि	लाभान्वित
सामान्य जनता	भारत निर्माण पब्लिक इन्फरमेशन कैम्पैन	प्रेस इनफरमेशन ब्यूरो	गवर्नमेंट डिग्री कालेज, जहीराबाद, आँ.प्र.	13.3.2013 से 15.3.2013 तक	1500
सामान्य जनता	भारत निर्माण पब्लिक इन्फरमेशन कैम्पैन	प्रेस इनफरमेशन ब्यूरो	मंथनी, करीमनगर जिला	26.9.2013 से 28.9.2013	2500

अन्य क्रियाकलाप व कार्यक्रम

11.1 राष्ट्रीय / क्षेत्रीय/ राज्य स्तरीय कार्यक्रम

11.1.1 राष्ट्रीय अभिभावक बैठक

रा.मा.वि.सं. ने मानसिक मंद बच्चों के अभिभावकों को एक आम मंच पर लाने की सुविधा प्रदान की, ताकि, वे अपने बच्चों की समस्याओं पर चर्चा कर सकें। आखिरकार यह एक पंजीकृत अभिभावक संगठन के रूप में बना। एक पारदर्शी और समुचित फोरम बनने के लिए रा.मा.वि.सं. ने वर्ष 1990 में अभिभावाकें का पहला राष्ट्र स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मानसिक मंद बच्चों के अभिभावकों को साधिकार बनने में अभिभावकों के बीच एक बेहतर कडी बनाने और मानसिक मंद बच्चों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने का अवसर मिलें। अभी तक रा.मा.वि.सं.ने परिवार नामक राष्ट्रीय फेडरेशन आफ परेन्ट्स एसोसियेशन के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में 20 राष्ट्रीय अभिभावक बैठकों का आयोजन किया। इन बैठकों का आयोजन अनोखे होते हैं क्योंकि अभिभावक और व्यावसायिक साईन्टिफिक पेपर प्रस्तुत करते हैं। जिन पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाती है। अक्सर इस बैठक के दौरान आगे के विकास के बारे में मार्ग का नक्शा बनाया गया है।

20वीं राष्ट्रीय अभिभावक बैठक - 2012

20 वीं राष्ट्रीय अभिभावक बैठक का आयोजन 1-2 दिसम्बर, 2012 को मानसिक विकलांगों के अभिभावक संगठन, सहयाद्री, ठाणे, एवं परिवार नेशनल कॉनफेडरेशन ऑफ पेरंटस् ऑर्गनाईजेशन के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री गणेश नायक, श्रम मंत्री, एक्साईज एण्ड एनवायर्नमेंट, महाराष्ट्र द्वारा किया गया। श्री संदीप नाइक, संसद सदस्य ने मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए आरक्षण कोटा की उपलब्धता के बारे में संसद में प्रश्न उठाने का प्रण लिया।

देश भर से आये हुए विभिन्न अभिभावक संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हुए 350 सहभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया जबकि वर्ष 2011-12 में यह संख्या 300 थी। कार्यक्रम निर्धारित समयानुसार आयोजित किया गया। चर्चा के दौरान इस विषय पर जोर दिया गया कि मानसिक मंद व्यक्तियों के स्व समर्थन के लिए अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाए।

11.1.2 क्षेत्रीय अभिभावक बैठकें 2012-13

राष्ट्रीय अभिभावक बैठक के साथ-साथ संस्थान ने क्षेत्रीय स्तर पर अभिभावकों की चिन्दा वाले विषयों पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय स्तर पर अभिभावक बैठकों का आयोजन भी किया। क्षेत्रीय अभिभावक बैठकें भी राष्ट्रीय फेडरेशन आफ पेरेन्ट्स एसोशियेशन से संपर्क बनाकर तथा चयनित क्षेत्र के किसी एक पंजीकृत अभिभावक संगठन के सहयोग से आयोजित किये जाते है। यह आशा की जाती है कि क्षेत्रीय अभिभावक बैठकों द्वारा और अधिक स्व सहायक समूह बनाने के लिए अभिभावक संगठनों को विस्तार करने में और मानसिक मंद व्यक्तियों के क्षेत्रीय समस्याओं को सुलझाने में सहायक होंगें।

वर्ष 2012-13 में निम्नलिखित क्षेत्रों में 10 क्षेत्रीय अभिभावक बैठकें आयोजित की गई जिसका मुख्य विषय स्कूल से रोजगार को अंतरण के लिए मदद था, जिससे 1129 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

तालिका 21: क्षेत्रीय अभिभावक बैठक की सूची

क्र.	क्षेत्रीय अभिभावक बैठक	तिथियाँ
1.	प्रथम क्षेत्रीय अभिभावक बैठक, जम्मू	21-22 अप्रैल, 2012
2.	दूसरी क्षेत्रीय अभिभावक बैठक, कानपुर	25-26 अगस्त, 2012
3.	तीसरी क्षेत्रीय अभिभावक बैठक, सूरत, गुजरात	8-9 सितम्बर, 2012
4.	चौथी क्षेत्रीय अभिभावक बैठक, कोहिमा, नागालैंड	21-22 सितम्बर, 2012
5.	पांचवी क्षेत्रीय अभिभावक बैठक, उज्जैन	27-28 अक्तबर, 2012
6.	छठवी क्षेत्रीय अभिभावक बैठक, अमृतसर	3-4 नवम्बर, 2012
7.	सातवी क्षेत्रीय अभिभावक बैठक, पुरी, ओडिसा	19-20 जनवरी, 2013
8.	आठवी क्षेत्रीय अभिभावक बैठक, मुजफ्फरपुर, बिहार	16-17 फरवरी, 2013
9.	नवी क्षेत्रीय अभिभावक बैठक, चंडीगढ़	2-3 मार्च, 2013
10.	दसवी क्षेत्रीय अभिभावक बैठक, जयपुर	23-24 मार्च, 2013

11.1.3 विकासात्मक अक्षमताओं का प्रारंभिक अंतराक्षेपण पर राष्ट्रीय सम्मेलन

विकलांगता के रोकथाम, प्रारंभिक पहचान एवं प्रारंभिक अंतराक्षेपण को सभी प्रमुख मानसिक मंद व्यक्तियों के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अधिदेशों में अति महत्व दिया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए रा.मा.वि.सं. में 7-8 मार्च, 2013 को राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान में 'विकासात्मक अक्षमता के प्रारंभिक अंतराक्षेपण' पर दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया।

'विकासात्मक अक्षमता के प्रारंभिक अंतराक्षेपण' पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन समारोह

इस कार्यक्रम का मुख्य शीर्षक ' विकासात्मक अक्षमता / विकासात्मक विलम्ब, जोखिम वाले बच्चों की प्रारंभिक पहचान एवं प्रारंभिक अंतराक्षेपण' रहा और उपविषय थे न्यूरोमोटर डिसार्डर, आटीज्म, दृष्टि दोष, श्रवण दोष एवं ज्ञानात्मक दोष।

इस अधिवेशन का उद्घाटन प्रोफेसर डी रंगनाथ, मेडिकल सूपरिन्टेन्डेंट, नीलोफर हास्पिटल फार चाइल्ड हेल्थ, हैदराबाद ने किया । अन्य गणमान्य उपस्थित सदस्य थे, टी.सी शिवकुमार, निदेशक, रा.मा.वि.सं. एवं डा.अमर ज्योति पर्शा, रा.मा.वि.सं. के आयुर्विज्ञान विभाग की भूतपूर्व विभागध्यक्षा।

'विकासात्मक अक्षमता के प्रारंभिक अंतराक्षेपण' पर राष्ट्रीय अधिवेशन

देश के विभिन्न भागों से कुल 242 प्रतिनिधियों ने इस अधिवेशन में भाग लिया। सत्र के दौरान 10 विभिन्न विषयों के विषय विशेषज्ञों को अपने अनुभव बांटने के लिए आमंत्रित किया गया।

अधिवेशन के दौरान लगभग 20 वैज्ञानिकों ने मौखिक पेपर एवं पाँच पोस्टर प्रस्तुत किये। आमंत्रित वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये पूरे पेपर्स, वैज्ञानिक मौखिक पेपर्स के पूरे पेपर्स तथा पोस्टर्स का संकलन किया गया व स्मारिका में प्रकाशित किये गये और अधिवेशन के दौरान स्मारिका का विमोचन किया गया।

मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए आई.सी.एफ. की लागू पर कार्यशाला-27.4.2012:

मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए आई.सी.एफ. की लागू पर 27.4.2012 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें प्रोफेसर के.सेकर, विभागध्यक्ष, साईकियाट्रिक सोशल वर्क, निम्हैन्स, बैंगलूर को आमंत्रित किया गया। रा.मा.वि.सं. के स्टाफ एवं विद्यार्थियों सहित लगभग 80 सहभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

दक्षिणी क्षेत्रीय राज्यों के लिए इन्चियान नीति पर कार्यशाला

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने 21 फरवरी, 2013 को इनचियान नीति पर फालोअप कार्यशाला आयोजित की। चार दक्षिणी राज्य, अर्थात् आँध प्रदेश, केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के 25 सहभागियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। रा.मा.वि.सं. के संकाय सदस्य, विद्यार्थी एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स ने इस कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन सुश्री मिन्नी मैथ्यु, मुख्य सचिव,आँ.प्र. सरकार ने किया।

11.1.4 राष्ट्रीय विशेष कर्मचारी बैठक

रा.मा.वि.सं. विशेष कर्मचारियों की बैठक 1995 से आयोजित कर रहा है। विशेष कर्मचारियों की बैठक एक मात्र कार्यक्रम है जहाँ पारिश्रामिक नौकरियाँ कर रहे मानसिक मंद व्यक्तियों को एक मंच पर अपने व्यावसायिक कौशल, संप्रेषण क्षमताएँ, सामाजिकीकरण, मार्केटिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर दिया जाता है। पिछले 18 वर्षो से इसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आई हैं, इसलिए यह राष्ट्रीय स्तर बैठक लक्षित आबादी का ध्यानाकर्षण कर रहा है।

अक्षमता वाले व्यक्तियों द्वारा विशेष कर्मचारि बैठक के दौरान कौशलों का प्रदर्शन

18 वीं विशेष कर्मचारी बैठक रा.मा.वि.सं. द्वारा 2-3 नवम्बर, 2012 को आयोजित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था।

मानसिक मंदन ग्रस्त व्यक्तियों की योग्यता के सीखने और कार्य क्षमता पर जोर देते हुए जागरूकता निर्माण करना।

- मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों को रोजगार के अवसर दिलाने पर बढ़ावा देना।
- मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों को स्व-समर्थन के लिए कुशल बनाना।
- समूह क्रियाकलाप, स्व-समर्थन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करने के द्वारा विशेष कर्मचारियों की कुशलता बढ़ाना।

2 नवम्बर, 2012 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि, श्रीमति जयश्री रवीन्द्रन, एबिलिटी फाउन्डेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष द्वारा किया गया तथा श्री कृष्णस्वामी, सलाहकार, एबिलिटी फाउन्डेशन को इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।

कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, अबिलिटी मेला का आयोजन किया गया जिसमें विशेष कर्मचारियों ने अपने व्यावसायिक कौशलों का प्रदर्शन किया। एक कौशल प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। कार्यक्रम के दूसरे दिन स्व समर्थन सत्र आयोजित किया गया जहाँ विशेष कर्मचारियों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया गया।

श्रीमति सुचित्रा वांचु, अध्यक्ष, बी.एच.ई.एल. की महिला कल्याण संगठन को मुख्य अतिथि के रूप में 3 नवम्बर, 2012 को समापन समारोह के दौरान आमंत्रित किया गया।

11.2 विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस समारोह

रा.मा.वि.सं. ने 3.12.2012 को आम जनता के लिए मुक्त दिवस के रूप में घोषित कर विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। जनता को विकलांगता, विशेषकर मानसिक मंदन की, रोकथाम, प्रारंभिक पहचान एवं असर के बारे में सूचना दी। इसके अलावा, रा.मा.वि.सं. के विभिन्न क्रियाकलापों को भेंटकर्ताओं ने प्रत्यक्ष देखा।

अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3-12-12 के अवसर पर मानसिक मंद बच्चों का सम्मान

इस अवसर पर एक रैली आयोजित की गई एवं 250 (रा.मा.वि.सं. के कर्मचारियों व विद्यार्थियों, रा.मा.वि.सं. के विशेष स्कूल के विद्यार्थियों व डेयल विभाग के कर्मचारियों व उनके अभिभावकों, शिक्षकों व अन्य पल्लवी स्कूल, सिकन्दराबाद के छात्रों व व्यक्तियों) ने भाग लिया। इस रैली में भाग लेने के लिए श्री कृष्णडू, तेलुगु फिल्म अभिनेता को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। विशेष शिक्षा केन्द्र में उपस्थित बच्चों को टीचिंग लर्निंग सामग्री वितरित की गई। रा.मा.वि.सं., स्पेशल स्कूल व डेयल के प्रशिक्षुओं व छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ।

11.3 रा.मा.वि.सं. का वार्षिक दिवस समारोह

रा.मा.वि.सं. एवं उनके क्षेत्रीय केन्द्रों ने 29 वाँ वार्षिक दिवस मनाया।

12 मार्च, 2013 को वार्षिक दिवस आयोजित किया गया। इस अवसर पर शैक्षिक वर्ष 2011-12 के 3 छात्रों को प्रशस्ति पत्र व योग्याता प्रमाण-पत्र अपने अपने दीर्घावधि कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों पर प्रशस्ति पत्र व योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए (तालिका-22)। श्री आर.श्रीहरि, प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म अभिनेता को सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।

इस अवसर पर रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद, के विशेष शिक्षा केन्द्र, के मानसिक मंद बच्चों व उनके अभिभावकों, विभिन्न दीर्घावधि पाठ्यक्रम प्राप्त कर रहें छात्रों व कर्मचारियों ने विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाकलाप प्रस्तुत किए।

तालिका: 22 दीर्घावधि शैक्षिक कार्यक्रम प्रशस्ति व योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए विद्यार्थियों की सूची

क्र.सं.	विद्यार्थी का नाम व पाठ्यक्रम	प्रशस्ति व योग्यता प्रमाण-पत्र का नाम
1.	सुश्री प्रिती	अश्विनी सप्रा प्रशस्ति पत्र
2.	सुश्री सुनीता देवी	रूपलाल इन्द्रावती प्रशस्ति व योग्यता प्रमाण-पत्र
3.	श्री टी.राजु	नारायण ऑपरचुनिटी स्कॉलरशिप प्रशस्ति पत्र
4.	सुश्री शिखा द्विवेदी	तुला अनंत सरस्वती स्वर्ण पदक, प्रशस्ति व योग्यता प्रमाण-पत्र

11.4 विद्यार्थियों का विस्थापन (इन्टर्नशिप)

रा.मा.वि.सं. एवं उनके क्षेत्रीय अन्य शैक्षिक संगठनों के विद्यार्थियों, जो व्यावसायिक स्तर पर स्नातक एवं मास्टर्स कार्यक्रम कर रहें हैं, को विस्थापन सुविधाएँ प्रदान करते है। वर्ष 2011-12 में 76 संस्थानों के 482 विद्यार्थियों की तुलना में वर्ष 2012-13 में रा.मा.वि.सं. विभिन्न विभागों में 82 संस्थानों के 650 विद्यार्थियों को विस्थापित किया गया।

11.5 गणतंत्र दिवस परेड में सहभागिता

आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा 26 जनवरी, 2013 को आयोजित 64 वें गणतंत्र दिवस परेड में रा.मा.वि.सं. मुख्यालय के विशेष शिक्षा केन्द्र के मानसिक मंद बच्चों एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें प्रशिक्षाणार्थियों ने भाग लिया।

11.6 महत्वपूर्ण व्यक्तियों की भेंट

सुश्री मिन्नी मैथ्यु, मुख्य सचिव, आँध्र प्रदेश सरकार ने 21 फरवरी, 2013 को इनचिऑन नीति पर अनुवर्ती कार्यशाला के उद्घाटन के लिए रा.मा.वि.सं. मुख्यालय की भेंट की। अपनी भेंट के दौरान मानसिक मंद व्यक्तियों के कल्याण के लिए रा.मा.वि.सं. द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की सराहना की।

प्रशासन

12.1 स्टाफ की संख्या

भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालय, कार्मिक, जन-शिकायतें और पेंशन विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/2/96-स्था. (रेस) दिनांक 02.07.01997 के अनुसार संशोधित पद आधारित रोस्टर को अपनाया तथा अनुवर्तन किया गया। 31 मार्च, 2013 को पदों की कुल संख्या **तालिका 23 व 24** में दर्शायी गई है।

तालिका 23 : रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद एवं क्षेत्रीय केन्द्र

क्र.सं.	वर्ग	मंजूर की गई संख्या	भरी गई कुल संख्या
1.	ए	26	17
2.	बी	19	13
3.	सी	48	41
4.	डी	14	10
	कुल	107	81

- 26 नये पदों का सृजन किया गया और इस संबंध में मंत्रालय से अंतिम अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

तालिका 24 : रा.मा.वि.सं., मॉडल स्पेशल एजुकेशन सेन्टर, नई दिल्ली

क्र.सं.	वर्ग	मंजूर की गई संख्या	कुल भरी गई संख्या
1.	ए	01	01
2.	बी	15	13
3.	सी	08	04
4.	डी	09	05
	कुल	33	23

12.2 नियुक्तियाँ / सेवा निवृत्तियाँ

नियुक्तियाँ:

1. सुश्री एन.जी.पम्याफी को 12.7.2012 को रा.मा.वि.सं. सिकन्दराबाद, में पुनर्वास मनोविज्ञान में व्याख्याता पद पर नियुक्त किया गया।

2. श्रीमति अर्चना प्रभाकर, होम विजिटर/शिक्षक रा.मा.वि.सं. एम.एस.ई.सी., नई दिल्ली की रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली में 27.8.2012 से वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नति की गई।

सेवा निवृत्तियाँ:

1. डॉ. आर.के. होरा,सहायक प्रोफसर, बाल चिकित्सक 31.8.2012 को सेवा निवृत्त हुए।
2. श्रीमती प्रणिता पी.मडकेकर, विशेष शिक्षा व्याख्याता, ने 1.5.2012 से स्वैछिक रूप से सेवा निवृत्ति ली।
3. श्रीमती जी.राधा, विशेष शिक्षा शिक्षिका 31.8.2012 को सेवा निवृत्त हुई।
4. श्रीमती सी. शारदा देवा, स्वीपर 30.6.2012 को सेवा निवृत्त हुई।

12.3 सतर्कता एकक के क्रियाकलाप और उपलब्धियाँ

भारत सरकार के निर्देश के अनुसार विभिन्न सतर्कता प्राधिकारियों को सतर्कता मामलों के त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक विवरणियाँ भेजी गई।

प्रसंगाधीन वर्ष 2012-13 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह दिनांक 29.10.2012 से 5.11.2012 तक आयोजित किया गया। भ्रष्टाचार के विरुध्द प्रमुख स्थलों पर संदेश / पोस्टर्स लगाये गये और 29.10.2012 को प्रतिज्ञा ली गई। विभिन्न प्रतियोगिताएँ जैसे, नारे लेखन, निबंध लेखन, हिन्दी-अंग्रेजी में पोस्टर्स तैयार करना, वक्तृता, स्किट का आयोजन भी किया गया।

12.4 हिन्दी कार्यान्वयन

संस्थान, राजभाषा अधिनियम, नीति व नियमों का अपने मुख्यालय तथा दिल्ली, मुम्बई व कोलकाता में स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों में क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रचार प्रसार करने के लिए तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्देशित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के द्वारा संस्थान ने हर संभव प्रयास किया।

नियमों का अनुपालन

वार्षिक कार्यक्रम 2012-13 पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में चर्चा की गई और सभी विभागों को परिचालित किया गया। वार्षिक कार्यक्रम में दिये गये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया गया। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया गया और राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन आने वाले कागज़ात, अर्थात, सामान्य आदेश, ज्ञापन आदि द्विभाषी में जारी किये गये। जहाँ तक संभव हो, क तथा ख क्षेत्र को भेजे जाने वाले पत्र तथा ग क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र द्विभाषी में भेजे गये।

हिन्दी कार्यशालाएँ

संस्थान के अधिकारी व कर्मचारियों को राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम 1976 के बारे में अवगत कराने हेतु अवैधिक कार्यशालाएँ 15.6.2012, 30.11.2012, 21.12.2012 तथा 18.4.2013 को आयोजित की गई। कुल 39 कर्मचारी सदस्य इन कार्याशालाओं से लाभान्वित हुए।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

संस्थान के राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष संस्थान के निदेशक हैं तथा उप निदेशक (प्रशा.) जो हिन्दी कार्यान्वयन अधिकारी हैं। सभी विभागों व अनुभागों के प्रतिनिधि, हिन्दी कर्मचारी इस समिति के सदस्य हैं। समिति की बैठकें हर तिमाही को आयोजित की जाती हैं। जिसमें राजभाषा क्रियान्वयन संबंधी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाती है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें 17.8.2012, 17.10.2012,16.1.2013 तथा 25.4.2013 को आयोजित की गई।

प्रशिक्षण

भारत सरकार के आदेशानुसार, संस्थान के कर्मचारियों को हिन्दी भाषा, टंकण व आशुलिपि में प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण योजना को भेजा जाता है। वर्ष के दौरान, हिन्दी भाषा प्राज्ञ के लिए चार कर्मचारी सदस्यों को भेजा गया जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और विशिष्ठता प्राप्त करने पर नकद पुरस्कार दिया गया तथा नियमानुसार व्याक्तिगत वेतन भी दिया गया। एक कर्मचारी सदस्य को हिन्दी भाषा प्रबोध के लिए नामित किया गया था जिन्होंने सफलता पूर्वक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया ।

हिन्दी पखवाडा समारोह

हिन्दी के प्रचार प्रसार हेतु तथा कर्मचारियों को हिन्दी कार्य करने के लिए प्रोत्साहन करने हेतु, हिन्दी पखवाडे का 14 से 28 सितम्बर, 2012 को आयोजित किया गया। इस पखवाडे के दौरान कर्मचारियों को राजभाषा नियमों के बारे में बताया गया। हिन्दी के प्रति रुचि बढ़ाने तथा भाषा की सरलता को समझने के लिए हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया । जिसमें हैदराबाद व सिकंदराबाद के जाने माने कविगणों ने भाग लिया और हास्य कविताएँ प्रस्तुत की। इसके अलावा कर्मचारियों व विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

क) हिन्दी दोहे, ख) श्रुतलेख, ग) पठन, घ) आप बीती घटना या देखा हुआ एक सपना, च) पारिभाषिक शब्दावली व वाक्य, छ) हिन्दी टंकण, ज) प्रश्न मंच कार्यक्रम झ) टिप्पणी एवं प्रारूप।

प्रतियोगिताओं के विजेताओं को हिन्दी पखवाडा समापन समारोह के दौरान पुरस्कार वितरित किये गये। इस कार्यक्रम के लिए खर्च की गई कुल रु.36,742/- राशि थी।

अवैधिक रिपोर्ट

संस्थान ने हिन्दी प्रयोग संबंधी तिमाही व वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित फार्म में मंत्रालय को भेजा गया ।

इसके अतिरिक्त, संस्थान के परिसर में संदेश बोर्ड लगवाये गये, जबकि, सभी विभागों में प्रतिदिन एक हिन्दी शब्द सीखें योजना जारी रही।

12.5 भवनों का निर्माण (संपदा)

क्षेत्रीय केन्द्रों में निर्माण कार्य

रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र नवी, मुम्बई में भवन निर्माण कार्य

रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र नवी, मुम्बई में रा.मा.वि.सं. ने नए भवन के निर्माण के लिए 4438.70 स्क्रे.मी. (ग्राऊंड +6 फ्लोर्स) का प्रस्ताव रखा। प्रस्तावित भवन की अनुमानित राशि 18.42 करोड रू. है। सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा कार्य करवाने के लिए मंत्रालय के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

12.6 परिषद् की बैठकें

वर्ष 2012-13 में आयोजित परिषद् की बैठकें **तालिका 25** में दर्शायी गयी हैं। प्रत्येक परिषद् के लिए नामित अभ्यर्थियों के नाम **परिशिष्ट 9,10 तथा 11** पर दिये गये हैं

तालिका 25 : वर्ष के दौरान परिषद् की बैठकें

क्र.सं.	बैठकें	संख्या	दिनांक	स्थान
1	महापरिषद्	33 वी	30.1.2013	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली
2	कार्यकारिणी परिषद्	96 वी	23.4.2012	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली
3	कार्यकारिणी परिषद्	97 वी	19.6.2012	आई.पी.एच., नई दिल्ली
4	कार्यकारिणी परिषद्	98 वी	19.10.2012	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली
5	कार्यकारिणी परिषद्	99 वी	13.6.2013	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली
6	शैक्षणिक समिति	--	01.02.2013	रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद

12.7 सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने वर्ष 2005 से ही सूचना का अधिकार अधिनियम को क्रियान्वित कर रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के अनुसार आर.टी.आई. अधिनियम में दिये गये प्रावधान अनुसार संस्थान संबंधी सूचना वेबसाईट पर अपलोड की गई। संस्थान में वर्ग क स्तर पर जन सूचना अधिकारी है और वर्ग ख स्तर पर सहायक जन सूचना अधिकारी हैं और वर्ग क स्तर पर अपीलेट अथारिटी नियमित हैं। इन अधिकारियों के अलावा, क्षेत्रीय केन्द्र नई दिल्ली, कोलकाता तथा नवी मुम्बई के प्रभारी अधिकारी को सहायक जन सूचना अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं जबकि, एन.आई.एम.एच., एम.एस.ई.सी. के प्रधानाचार्य सहायक जन सूचना अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान आर.टी.आई. के अंतर्गत 57 आवेदन प्राप्त हुए और इनमें से 43 निपटाये गये।

अध्याय-13

संस्थान की समितियाँ

अपने क्रियाकलापों के संपादन के लिए रा.मा.वि.सं. के उपनियम के लिए निम्नलिखित समितियों को निर्धारित किया है:

- महापरिषद्(परिशिष्ट 5, पृष्ठ सं 89)
- कार्यकारिणी परिषद्(परिशिष्ट 6, पृष्ठ सं 91)
- शैक्षणिक समिति (परिशिष्ट 7, पृष्ठ सं 92)
- नीति शास्त्र समिति
- आंतरिक समिति
  - क्रय समिति
  - प्रशासनिक समन्वयन समिति
  - संवर्ग पुर्नविक्षण समिति
  - खान-पान प्रबंधन समिति
  - अध्ययनार्थ छुट्टी देने के लिए समिति
  - पाठ्यक्रम समन्वयक समिति
  - संपदा समिति
  - संकाय समन्वयन समिति
  - सामान्य सेवाएँ समिति
  - स्वास्थ्य समिति
  - आंतरिक शिकायत समिति
  - आई.टी.समिति
  - प्रंबधन पुनरीक्षण समिति
  - स्टाफ क्वार्टर्स समिति
  - विद्यार्थी समिति
  - निविदा खोलने की समिति
  - एन्टी रैगिंग समिति

लेखें तथा वित्त

वर्ष 2011-12 तथा 2010-11 की तुलना में वर्ष 2012-13 के लिए संस्थान की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है -

तालिका 26 : संस्थान की वित्तीय स्थिति

विवरण	विवरण	2010-11 (रुपये लाखों में)	2011-12 (रुपये लाखों में)	2012-13 (रुपये लाखों में)
1. आदि शेष	क) योजना निधि	308.23	551.57	374.85
	ख) पूर्वोत्तरी क्रियाकलाप	102.48	155.19	79.95
	ग) एडिप क्रियाकलाप	176.22	180.67	164.12
	घ) पेंशन खाता	195.42	228.67	213.62
	च) अन्य	177.47	183.01	285.09
	कुल (क+ख+ग+घ+च)	**959.82**	**1299.11**	**1,117.63**
2. मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	क) योजना	1067.38	657.80	270.00
	ख) योजनेतर	430.00	431.31	433.50
	ग) पूर्वोत्तरी क्रियाकलाप	100.00	96.00	121.00
	घ) एडिप	--	--	--
	कुल (क+ख+ग+घ)	**1597.38**	**1185.11**	**824.50**
3. अन्य स्रोतों से रसीदें अन्य ऋण व अग्रिम		41.18	56.51	245.56
4. अर्जित ब्याज		30.41	58.82	65.85
5. आंतरिक रसीद		79.29	89.72	102.36
	कुल योग (1+2+3+4+5)	**2723.41**	**2,702.61**	**2,355.90**
6. खर्च	क) योजना	824.04	83.52	732.74
	ख) पूर्वोत्तरी क्रियाकलाप	47.29	171.24	30.93
	ग) योजनेतर	450.55	390.79	438.45
	घ) एडिप क्रियाकलाप	3.018	26.87	67.69
	च) पेंशन भुगतान	69.59	110.30	149.09
	छ) अन्य	29.71	51.26	211.35
	कुल (क+ख+ग+घ+च+छ)	**1424.36**	**1,584.98**	**1,630.25**
7. उपलब्ध शेष राशि	क) योजना निधि	551.57	374.85	--
	ख) पूर्वोत्तरी क्रियाकलाप	155.19	79.95	82.13
	ग) एडिप क्रियाकलाप	180.67	164.12	104.23
	घ) पेंशन खाता	228.67	213.62	272.06
	च) अन्य	183.01	285.09	267.23
	कुल (क+ख+ग+घ+च)	**1299.11 1**	**117.63**	**725.65**

वर्ष 2012-13 के दौरान संस्थान को प्राप्तियों के रूप में 2,355.90 लाख रुपये प्राप्त हुए जिनका सार्वजनिक बैंकों में संस्थान के बचत खातों में जमा करवाया गया।

2,355.90 लाख रूपयों की राशी में से प्रसंगाधीन वर्ष 2012-13 के दौरान 1,630.25 लाख रूपये योजना कार्यक्रमों पर खर्च किया गया और बची हुई राशी 725.65 लाख रुपये है।

दिनांक 31.03.2013 को स्थित तुलन पत्र, प्रारूप के अनुसार अनुसूचियाँ 1-25 वर्ष 2012-13 के लिए आय तथा व्यय लेखे एवं प्राप्तियाँ और भुगतान लेखों के साथ साथ वर्ष 2012-13 लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र इस वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न किया गया है।

लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र

वर्ष 2012-13 के लिए राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद के लेखों पर लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र संलग्न है।

सत्यमेव जयते

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) का कार्यालय
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.
OFFICE OF THE
PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL)
ANDHRA PRADESH,
HYDERABAD - 500 004.
E-Block, Ist Floor
(Phone No: 040-23232069)

No.PDA(C)/CAB/Unit-IV/NIMH/SAR.2012-13/D215/2013-14/272 Date: 01.10.2013

सेवा में,
सचिव महोदया,
विकलांगता मामलों के विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद रोड, शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110001

महोदया,

विषय: राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद के वर्ष 2012-13 पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

* * *

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद के वर्ष 2012-13 के लेखों पर अलग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, अनुबंध सहित, तथा वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखों की एक प्रति संसद के सामने पेश करने हेतु अग्रेषित कर रहा हूँ।

संसद के दोनों सदनों में अलग लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथियाँ सूचित करें।

इस पत्र संलग्न सहित प्राप्ति की सूचना भेज दें।

भवदीय,
ह./-
(साद्रू इज्राइल)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय)

संल:यथोपरि

एनडार्समेंट न.पी.डी.ए.(सी)/सीएबी/यूनिट-/एनआईएमएच-एसएआर.2012-13/डी215/2013-14/272, दिनांक 01.10.2013

प्रति: निदेशक, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि अनुमादित वार्षिक लेखों की हिन्दी रूपांतरण की प्रतियाँ (2 प्रतियाँ) इस कार्यालय को भेजें।

रोली मालगे
(रोली शुक्ला मालगे)
निदेशक/प्रत्यक्ष कर एवं केन्द्रीय स्वायत्त निकायों

संल:यथोपरि

Phone Nos. : 23236811 to 23236819 Fax No. : 040-2323229

भारत के नियंत्रक एवं प्रधान लेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने, नियंत्रक और प्रधान लेखा परीक्षक के (सेवा की विधियाँ, अधिकार तथा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) अंतर्गत राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद के 31 मार्च ,2013 को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न तुलन पत्र तथा वर्ष की समाप्ति के आय व व्यय खाता/प्राप्तियाँ तथा भुगतान खाता का लेखा परीक्षण किया है। 2013-14 तक की अविध के लिए लेखा परीक्षण का कार्य हमें सौंपा गया। इन वित्तीय विवरणों में नई दिल्ली, कोलकाता, नवी मुम्बई में स्थित तीन क्षेत्रीय केन्द्र एवं मॉडल स्पेशल एजुकेशन सेन्टर, नई दिल्ली के लेखे भी सम्मिलित हैं। ये वित्तीय विवरण संस्थान के प्रबंधक की जिम्मेदारी है। हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।

2. इस अलग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में लेखों के वर्गीकरण, अच्छी लेखा नीतियों की अनुरूपता, लेखा बहियों के मानक, प्रकटीकरण मानक, आदि पर भारत के नियंत्रक और प्रधान लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ होगी। वित्तीय कार्य सम्पादनों पर लेखापरीक्षा अवलेकन विधि, स्वामित्व व नियमितता के नियम व शर्तें तथा कार्य क्षमता-बनाम-निष्पादन पहलू आदि के अनुपालन के संबंध में, यदि कोई हो तो, निरीक्षण प्रतिवेदन/सी.ए.जी. की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन द्वारा अलग से रिपोर्ट की गई है।

3. हमने, भारत में सामान्यत: स्वीकृति लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा का संचालन किया है। वित्तीय विवरणियों के वास्तविक त्रुटियों से मुक्त होने के उचित आश्वासन पाने के लिए हमें योजना बनाकर लेखापरीक्षा करनेकी इन मानकों की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा में उपयोग में लाए गए लेखा सिद्धांत और प्रबंधन द्वारा तैयार की गई विशिष्ट विवरणियाँ और साथ ही साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि, हमारा लेखा परीक्षण हमारी राय को जिम्मेदार आधार प्रदान करेगा।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि,

i) हमने लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक समस्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक है।

ii) इस प्रतिवेदन के लिए तुलन पत्र, आय-व्यय लेखा/प्राप्ति तथा भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में दर्शाये गए हैं।

iii) हमारी राय में, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान की वित्ता उपविधि 6 के अंतर्गत आवश्यक उचित लेखा बहियों और अन्य संबंद्ध अभिलेखों का राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा निर्वाहण किया गया है जो हमारे द्वारा इन पुस्तकों/बहियों के परीक्षण से प्राप्त होता है।

iv) हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि

ए. तुलन पत्र

ए-1 देयता

ए-1.1 चालू देयता एवं प्रावधान :- 11.37 करोड रूपये (अनुसूची - 7)

ए-1.1.1 दो कर्मचारियों* के रिटायरमेंट ग्रैचुइटी के लिए अर्ध वर्ष संपूर्ण की अवधि गलत अपनाने के कारण रु.1,64,606/- का अत्यधिक प्रावधान इसमें सम्मिलित है, परिणामत: कार्पस/कैपिटल फंड के न्यूनोक्ति एवं वर्तमान देय तथा व्यय का रु.1.64 लाख रूपयों की अत्युक्ति दर्शायी गई।

*श्री डी.लक्ष्मैय्या 18,860/-रू. एवं श्रीमती के.अमरावत्तम्मा 1,45,746/-रू. कुल 1,64,606/-रू.

ए. 2. आस्तियाँ

ए 2.1 स्थिर आस्तियाँ: 18. 57 करोड रूपये (अनुसूची-8)

ए2.1.1 सी.पी.डब्ल्यू.डी., हैदराबाद के रिपोर्टानुसार मिलेनियम ब्लॉक के निर्माण कार्य वर्ष के 31 मार्च के अंत तक 2,30,82,410/-रू.** की राशि का अंतिम व्यय के स्थान पर संस्थान ने वर्ष के दौरान 2,03,32,437/-रू.*** राशी का कैपिटलाईज किया। 27,49,973/-रू.की राशि का अंतर का परिणाम स्वरूप स्थिर आस्तियों का न्यूनोक्ति तथा वर्तमान आस्तियों के अंतर्गत अग्रिमों का 27.5 लाख रूपयों का अत्योक्ति दर्शाया गया।

बी. आय एवं व्यय का लेखा

बी. 1. आय: 6.34 करोड रू.

ब.1.1 इसमें एक फर्म को किए गए 11,55,395/-**** रू. के अधिक भुगतान (2008-09 में) एवं वर्ष के दौरान फर्म को सप्लाई की गई मूल राशि के साथ समायोजित किया गया पेनल ब्याज सम्मिलित नही है, जो, कि पूर्व अवधि आय के लेखे में गलत लेखा किया गया था। यह लेखांकन मानक 5 के अनुरूप नहीं था एंव इसके परिणामत: स्वरूप वर्ष की आय की न्यूनोक्ति हुई एवं पूर्वावधि आय का अत्योक्ति हुई और परिणाम स्वरूप 11.55 लाख रूपयों की डेफिसिट की अत्योक्ति हुई। ।

बी 1.2 इसमें सॅड्री क्रिडेटर्स राशि 3,08,500/-रू.*****की राशि सम्मिलित नही है, जिसका अदावी के रूप में मान कर वर्ष के दौरान वापस लिखा गया जो कि, पूर्वावधि आय के रूप में गलत आंका गया। यह लेखांकन मानक 5 के अनुरूप नहीं था एंव इसके परिणामत: स्वरूप वर्ष की आय की न्यूनोक्ति हुई एवं पूर्वावधि आय का अत्योक्ति हुई और परिणाम स्वरूप 3.08 लाख रूपयों की डेफिसिट की अत्योक्ति हुई।

**सिविल: रू.2,16,67,691/- एवं इलेक्ट्रिकल: रू.14,14,719/-(दोनों व्यय मार्च 2013 के अंत तक)

***. सिविल: रू.1,89,17,718/- सितम्बर 2012 के अंत तक का व्यय एवं इलेक्ट्रिकल: रू.14,14,719/- (मार्च 2013 के अंत का व्यय)

****. रू.39,76,272/- का मूल राशि पर लगाया गया पेनल ब्याज वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक रू.9,91,183/- एवं 2012-13 के लिए रू.1,64,212/-

*****. (i) 3 वर्ष से अधिक समय से बेदावा रखी गई रू.88,000/- बयाना जमा राशी, एवाईजेएनआईएचएच से संबंधित रू.2,20,500/- की अधिक राशि रा.मा.वि.सं. के पास है, बेदावे है।

बी 1.2 व्यय 18.15 करोड रू.

बी.2.1 रू.27,78,603/-[6] राशी की प्लांट मशीनरी एवं उपकरण, इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन एवं वॉटर सप्लाई आईटम (15%मूल्य-ह्रास) की भवन के अंतर्गत (10%मूल्य-ह्रास) गलत वर्गीकरण के कारण रू.1,38,930/-मूल्य-ह्रास की कम प्रावधान किया गया और परिणामत: 1.39 लाख रूपयों तक स्थिर अत्योक्ति एवं व्यय का न्यूनोक्ति हुई।

सी. लेखे पर लेखा परीक्षण की टिप्पणी का प्रभाव

पूर्ववर्ती अनुच्छेद में दिया गया लेखा परीक्षण की टिप्पणियों का निवल प्रभाव यह कि, 14.63 लाख रू. का देयताएँ का अत्योक्ति तथा 1.39लाख रू. अस्तियों का अत्योक्ति एवं 13.24 लाख रू. डेफिसिट की अत्योक्ति हुई।

डी. सहायता अनुदान : वर्ष के दौरान प्राप्त कुल 8.43 करोड रू. सहायता अनुदान (योजना 2.7 करोड रू., (रू.1.44 मार्च 2013 में प्राप्त हुए) योजना-पूर्वोत्तर में 1.21 करोड रू. (मार्च, 2013 में प्राप्त हुए)। योजनेतर 4.52 करोड रू.(0.45 करोड रू. मार्च ,2013 में प्राप्त हुए)। आंतरिक रसीद के साथ 0.43[7] करोड रू. एवं पिछले वर्ष से संबंधित अव्ययित शेष 6.32 करोड रू., कुल 15.18 करोड रू. में से संस्थान ने 12.58 करोड[8] रूपयों का प्रयोग किया। मार्च, 2013 तक 2.6 करोड रू. अनप्रयुक्त बकाया छोडा।

इ. प्रबंधक पत्र

अलग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नही की गई कमियों को प्रबंधन पत्र के द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद को सुधारने/सही करने हेतु सूचना दी गई।

---

6. (i) डीजल जनरेटर सेट: रू.19,68,841/- (ii)फलड् लाईटिंग रू.1,12,902/-(iii)भूमिगत इलेक्ट्रिकल केबल रू.59,924/- एवं (iv) बोरवेल वीथ पम्पसेटस रू.6,36,936/-

7. स्टाफ से कर्ज एंव अग्रिम राशि की वसूली रू.10,58,030/-, कर्ज पर अर्जित ब्याज रू.5,59,757/- एवं योजना व योजनेत्तर फंड पर अर्जित ब्याज रू.26,82,614/- कुल रू.43,00,401/-

8. योजना: राजस्व: रू.6,81,94,630/- एवं पूँजी रू. 81,54,250/-, कुल रू.7,63,48,880/- एवं योजनेतर रू.4,95,00,401/-, कुल 12,58,49,281/-

v) पहले के पैराग्राफ में दी गई हमारी टीका-टिप्पणियों के अधीन, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि, इस रिपोर्ट में दशायें गए तुलन पत्र के आय-व्यय लेखा/प्राप्ति तथा भुगतान लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

vi) हमारी राय में और हमारे जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त लेखा तिथियाँ, लेखों पर टीका-टिप्पणी के साथ पठित उक्त वित्तीय कथन और उपरोक्त मुख्य विषयों के अधीन तथा उपबंध में उल्लेखित अन्य विषय, भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप तथ्यपूरक और निष्पक्ष आकलन प्रस्तुत करते हैं।

क) जहाँ तक राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद की दिनांक 31 मार्च, 2013 के तुलन पत्र उसके कार्यो का संबंध है: और

ख) जहाँ तक उसी तिथि को समाप्त वर्ष के घाटे के आय और व्यय लेख से उनका संबंध है।

सादू इज्राइल

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुबंध

1. **आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति की पर्याप्तता**: संस्थान का आंतरिक लेखा चार्टड अकाउंटेंट फर्म को सौपा गया जिन्होंने वर्ष का लेखा परीक्षण पूरा किया। आंतरिक लेखा पद्धति पर्याप्त है।

2. **आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता**: आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त है।

3. **स्थिर आस्तियों की प्रत्यक्ष सत्यापन की पद्धति**: वर्ष 2012-13 के स्थिर आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन का कार्य प्रक्रियाधिन है। वर्ष 2011-12 स्थिर आस्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन का रिपोर्ट) पुनर्वास मनोविज्ञान विभाग) विशेष शिक्षा विभाग एवं) पुस्तकालय की पुस्तकें के लिए नामित समिति द्वारा पाने की प्रतिक्षा में है।

4. **इन्वेन्टरी की प्रत्यक्ष सत्यापन की पद्धति**: वर्ष 2012-13 के लिए इन्वेंटरी का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2011-12 के लिए इन्वेंटरी का प्रत्यक्ष सत्यापन भले ही पूरा किया गया है फिर भी, नामित समिति द्वारा रिपोर्ट पाने की प्रतिक्षा मे है।

5. **सांविधिक देयता के भुगतान में नियमितता**: संस्थान नियमित रूप से सांविधिक देयता जमाकर रहा है।

(रोली शुक्ला मालगे)

निदेशक/प्रत्यक्ष कर एवं केन्द्रीय स्वायत्त निकायों

वित्तीय विवरणी का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम: राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद

31 मार्च, 2013 का तुलन पत्र

(रूपयों में राशि)

कार्पस/पूँजी निधि और दायित्व	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
कार्पस/पूँजी निधि	1	187,849,942	235,433,473
प्रारक्षित और अधिशेष	2	0	56,579,104
उद्दिश्ट/धर्मदाय निधियाँ	3	40,649,588	87,947,713
प्रतिभूत ऋण और उधार राशियाँ	4	0	0
अप्रतिभूत ऋण और उधार राशियाँ	5	0	0
आस्थगित जमा देनदारियाँ	6	0	0
चालू देनदारियाँ व प्रावधान	7	113,765,325	109,837,557
कुल		**342,264,855**	**489,797,847**
आस्तियाँ			
नियत आस्तियाँ	8	185,729,818	285,304,470
जोडे:आस्तियों में पूर्वावधि समायोजन			
उद्दिश्ट/धर्मदाय से निवेश	9	398,204	366,119
निवेश अन्य	10	20,002,000	17,626,7640
चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	134,028,764	184,703,862
विविध व्यय (बट्टे खाते या समायोजित न किए जाने की सीमा तक)			
जी.पी.एफ. डेफिसिट		2,106,069	1,796,632
कुल		**342,264,855**	**489,797,847**
उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	24		
फुटकर देनदारियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ	25		

लेखा अधिकारी

उप निदेशक (प्रशासन)

निदेशक

वित्तीय विवरणी का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम: राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद

31 मार्च 2013 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय लेखा

(रूपयों में राशि)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
विक्रय/सेवाओं से आय	12	938,367	730,708
अनुदान/आर्थिक सहायता	13	45,200,000	43,131,000
फीस/चंदे	14	7,240,950	6,665,800
निवेशों से आय (उद्दिश्ट/धर्मदाय निधियों से अंतरित निधियाँ)	15	0	0
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	1,444,988	564,380
अर्जित ब्याज	17	4,732,053	5,359,771
अन्य आय	18	737,996	1,022,807
तैयार मालों और चालू वर्ष कार्य में में बढ़ाव/घटाव	19	3,133,445	2,231,871
पूर्व अवधि समायोजन		0	0
कुल (ए)		**63,427,799**	**59,706,337**
व्यय			
अनुदान/आर्थिक सहायता	20	93,197	240,453
फीस/चंदे	20क	52,022,227	47,665,987
निवेशों से आय (उद्दिश्ट/धर्मदाय निधियों से अंतरित निधियाँ)	20ख	0	0
कार्यक्रम वे सेवाओं पर व्यय	21	5,939,222	6,037,614
स्थापना व्यय	22	0	0
अन्य कार्यक्रम व्यय	23	0	0
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		123,452,510	11,042,750
अनुदानों, अर्थिक सहायता आदि पर व्यय		0	0
कुल (ख)		**181,507,156**	**64,986,804**
व्यय के उपर आधिक्य का शेष (क-ख)			
विशेष प्रारक्षित विशिष्टता-प्रत्येक को अंतरण			
सामान्य रिजर्व से/को अंतरण			
शेष-आदिशेष घाटा		**-118,079,357**	**-5,280,467**
कार्पस/पूँजी निधि को ले जाया गया			
उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	24		
लेखों पर फुटकर देयताएँ और टिप्पणियाँ	25		

लेखा अधिकारी

उप निदेशक (प्रशासन)

निदेशक

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद
रसीद तथा भुगतान खाता वर्ष 2012-13

	रसीद	2011-12	2012-13		भुगतान	2011-12	2012-13
को	आदि शेष	रु.	रु.	से		रु.	रु.
	क) हाथ रोकड	15,000	20,000		मानव संसाधन विकास	16,010,877	14,791,061
	ख) योजना व योजनेतर खाता	88,961,324	73,969,599		अनुसंधान व विकास	1,225,115	604,250
	ग) पेंशन तथा ग्रैचुइटी निधि खाता				सेवा नमूनों का विकास	7,717,757	8,190,878
	(i) स्थिर जमा	15,000,000	16,233,960		परामर्शी सेवाएँ	2,675,401	2,712,819
	(ii) बचत खाता	7,866,589	5,127,801		प्रलेखन तथा प्रचार	7,014,952	3,037,578
	घ) एडिप खाता	18,066,677	16,411,891		विस्तार तथा आउटरीच सेवाएँ	518,617	292,199
					पूर्वोत्तर सेवाएँ	17,124,374	3,093,095
	सहायता अनुदान				भूमी	1,347,090	654,353
					भवन	0	0
	योजना व योजनेतर	118,511,000	82,450,000		सी.पी.डबल्यु.ड. कार्यों के लिए अग्रिम	10,165,333	4,405,130
	एन.आई.एम.एच. एडिप योजना	0	0		उपकरण	868,757	2,357,589
	विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुदान	0	0		फर्नीचर	375,592	496,988
					परिवहन वाहन	0	0
	अन्य रसीद				एडिप योजना	2,686,877	6,769,242
					संरचना रखरखाव	11,911,625	11,310,825
	ऋण व अग्रिम की वसूनी	1,349,497	1,617,787		वसूली योग्य या समंजनीय अग्रिम	13,055,040	21,135,438
	समायोजन के लिए अन्य रसीद	5,635,412	5,307,382				
					स्थापना खर्च		
	प्राप्त ब्याज				वेतन, मजदूरी तथा भत्ता	53,106,185	58,168,960
	योजना व योजनेतर खाता	3,254,521	2,682,614		पेंशन व ग्रैचुइटी	11,029,654	14,909,367
	पी व जी निधि खाते पर ब्याज	1,595,577	3,122,324		कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम	209,550	160,950
	एडिप खाते पर ब्याज	1,032,091	779,869		समर्थन सेवाएँ	1,102,369	1,633,542
					कंटिंजेंट व्यय	1,772,890	1,336,491
	आंतरिक रसीद	8,971,695	10,235,777		अन्य कार्यालय खर्च	6,507,326	6,880,505
					रोकड व बैंक आदिशेष		
	पी व जी निधि खाते को अंतरण	7,929,249	17,631,262		क) हाथ रोकड	20,000	15,000
					ख) योजना व योजनेतर खाता	73,969,599	35,005,508
					ग) पेंशन तथा ग्रैचुइटी निधि खाता		
					(i) स्थिर जमा	16,233,960	20,002,000
					(ii) बचत खाता	5,127,801	7,203,980
					घ) एडिप खाता	16,411,891	10,422,518
	कुल रु.	**278,188,632**	**235,590,266**			**278,188,632**	**235,590,266**
	जीपीएफ व एन.पी.एस. खाता						
	आदि शेष				अग्रिम व वितड्रायल	11,509,351	8,139,692
	(i) स्थिर जमा	29,477,730	34,154,378		बैंक खर्च	229	95
	(ii) बचत खाता	6,026,467	3,445,552		अंत शेष		
	अंशदान व वसूली	8,514,618	9,388,187		(i) स्थिर जमा	34,154,378	40,000,000
	अर्जित ब्याज	5,090,695	4,322,052		(ii) बचत खाता	3,445,552	3,170,382
	सकल योग	**327,298,142**	**286,900,435**			**327,298,142**	**286,900,435**

ह./-
लेखा अधिकारी

ह./-
उप निदेशक (प्रशासन)

ह./-
निदेशक

रा.मा.वि.सं. आर्गनोग्राम

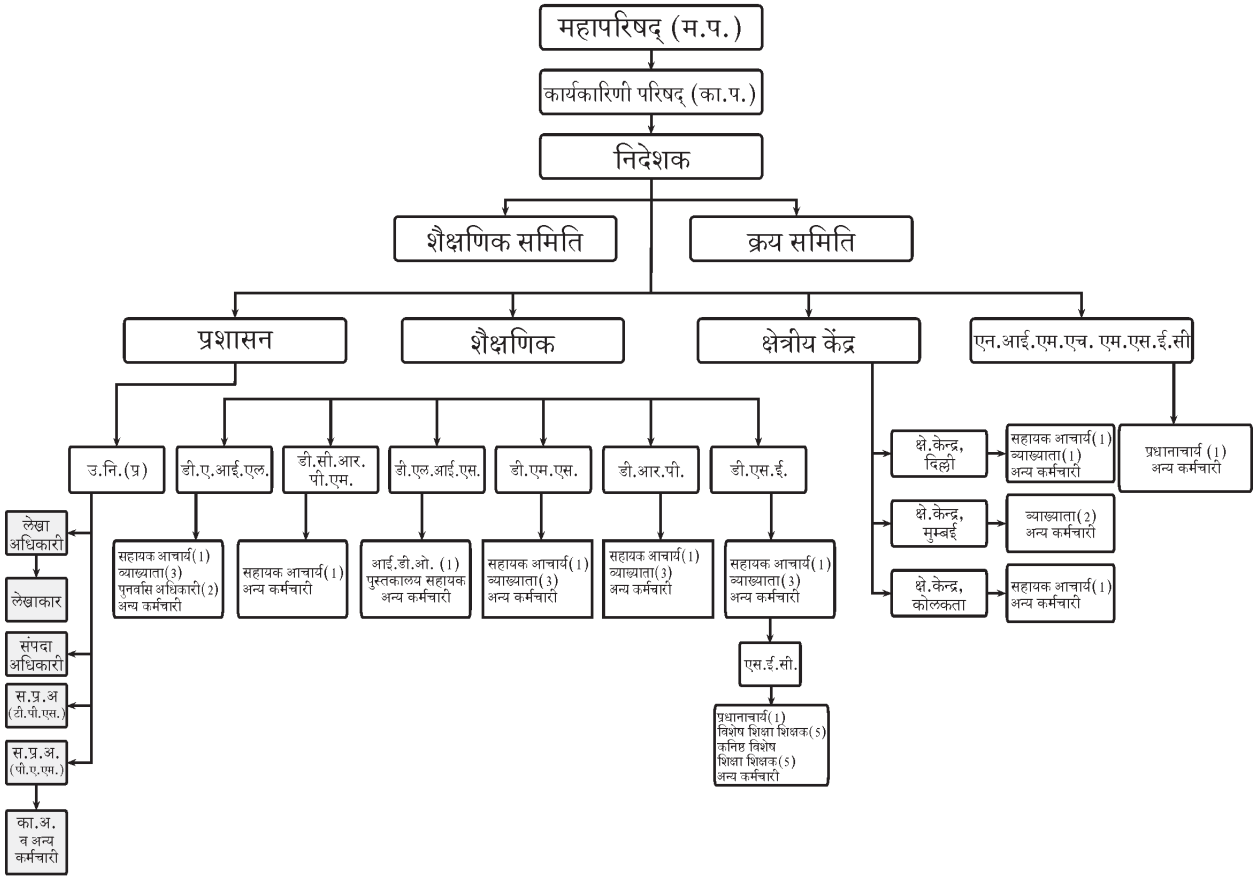

लेजेण्ड

डी.ए.आई.एल.	:	प्रौढ़.स्वतंत्र जीवन यापन विभाग
डी.सी.आर.पी.एम.	:	सामुदायिक पुनर्वास तथा परियोजना प्रबंधन विभाग
डी.एल.आई.एस.	:	पुस्तकालय सूचना सेवा विभाग
डी.एम.एस.	:	आयुर्विज्ञान विभाग
डी.आर.पी.	:	पुनर्वास मनोविज्ञान विभाग
डी.एस.ई.	:	विशेष शिक्षा विभाग
क्षे.केन्द्र	:	क्षेत्रीय केन्द्र
एन.आई.एम.एच.एम.एस.ई.सी.	:	मॉडल विशेष शिक्षा केन्द्र
एस.ई.सी.	:	विशेष शिक्षा केन्द्र

अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. स.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	आयोजक	दिन	अवधि	लाभान्वितों की सं.
1	संगीत नृत्य एवं नाटक पर सी.आर.ई. कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	5 दिन	4-8 जून, 2012	50
2	आशा आवा स्कूल, झाँसी (उ.प्र.) के व्यावसायिकों एवं शिक्षकों के लिए पांच दिवसीय अल्पावधि कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	5 दिन	18-22 जून, 2012	21
3	समुदाय आधारित पुनर्वास पर अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद	5 दिन	9-13 जुलाई, 2012	09
4	मानसिक मंद व्यक्तियों के व्यवहार परिवर्तन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	5 दिन	6-10 अगस्त, 2012	30
5	विकासात्मक विकलांगता: पहचान एवं उसके प्रबंधन	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	5 दिन	6-8 अगस्त, 2012	4
6	मनोवैज्ञानिकों एवं विशेष शिक्षकों के लिए व्यवहार परिवर्तन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	5 दिन	6-10 अगस्त, 2012	39
7	पाठशाला पूर्व शिक्षण: विभिन्न पहलू एवं वर्तमान प्रवृतियाँ	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	5 दिन	20-24 अगस्त, 2012	39
8	समेकित शिक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	5 दिन	27-31 अगस्त, 2012	30
9	पुनर्वास में परामर्श	रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद	5 दिन	27-31 अगस्त, 2012	5
10	प्रौढ मानसिक मंद व्यक्तियों में व्यवहार कार्य	रा.मा.वि.सं. एम.एस.ई.सी., नई दिल्ली	5 दिन	27-31 अगस्त, 2012	22
11	सेरेब्रेल पाल्सी वाले बच्चों का प्रबंधन	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	5 दिन	3-7 सितम्बर, 2012	13

क्र. स.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	आयोजक	दिन	अवधि	लाभान्वितों की सं.
12	विकासात्मक विलंब वाले बच्चों के ज्ञानात्मक एवं प्रत्यक्षण कौशल का बढ़ावा एवं समेकित शिक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र नवी मुम्बई	5 दिन	24-28 सितम्बर, 2012	30
13	प्रौढ व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक सेटिंग में व्यवहार परिवर्तन	रा.मा.वि.सं. एम.एस.ई.सी., नई दिल्ली	5 दिन	24-28 सितम्बर, 2012	06
14	व्यावसायिक पुनर्वास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	5 दिन	8-12 अक्तूबर, 2012	281
15	आटिज्म के सम्प्रेषण पहलुओं पर अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद	5 दिन	8-12 अक्तूबर, 2012	15
16	व्यावसायिकों के लिए तनाव प्रबंधन में पुनर्वास पर कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद	5 दिन	15-19 अक्तूबर, 2012.	13
17	मानसिक मंद बच्चों के परिवारों के साथ कार्य करने की ओर अभिमुखीकरण	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	5 दिन	15-19 अक्तूबर, 2012	23
18	व्यक्तिगत कार्यस्थल एवं नौकरी सरलीकरण का विकास पर कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	5 दिन	22-26 अक्तूबर, 2012	24
19	पूर्वोत्तर क्षेत्र के सहभागियों के लिए पुनर्वास परामर्श पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद	5 दिन	29 अक्तूबर से 2 नवम्बर, 2012	15
20	मानसिक मंद व्यक्तियों के समुदाय आधारित पुनर्वास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	5 दिन	5-9 नवम्बर, 2012	28
21	व्यावसायिकों के लिए थेरेप्युटिक्स पर अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद	5 दिन	5-9 नवम्बर, 2012	6
22	सीखने में अक्षमता पर कार्यशाला	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	5 दिन	5-9 नवम्बर, 2012	40

क्र. स.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	आयोजक	दिन	अवधि	लाभान्वितों की सं.
23	कार्यात्मक शैक्षणिक कौशलों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	5 दिन	19-23 नवम्बर, 2012	30
24	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं व्यावसायिक पुनर्वास का मार्ग	रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद	5 दिन	19-23 नवम्बर, 2012	07
25	व्यावसायिक पुनर्वास: धारणा एवं निष्पादन	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	5 दिन	19-23 नवम्बर, 2012	40
26	विकासात्मक विलंब या जोखिम वाले बच्चों के अंतराक्षेपण एवं प्रारंभिक पहचान पर कार्यशाला	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	5 दिन	3-7 दिसम्बर, 2012	23
27	विकलांगता की जांच एवं पहचान (दृष्टि व श्रवण सहित) प्रारंभिक बाल्यावस्था विशेष शिक्षण प्रारंभिक अंतराक्षेपण एवं अभिभावकीय परामर्श पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद	19 दिन	3-21 दिसम्बर, 2012	18
28	मानसिक मंद बच्चों के लिए समेकित शिक्षण एवं पाठ्यक्रम अनुकूलन	रा.मा.वि.सं. एम.एस.ई.सी., नई दिल्ली	5 दिन	10-14 दिसम्बर, 2012	22
29	विकासात्मक अक्षमता वालो के लिए संवेदीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	5 दिन	10-14 दिसम्बर, 2012	30
30	समुदाय आधारित पुनर्वास	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	5 दिन	10-14 दिसम्बर, 2012	40
31	विशेष शिक्षा मे निर्धारण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	5 दिन	17-21 दिसम्बर, 2012	22

क्र. स.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	आयोजक	दिन	अवधि	लाभान्वितों की सं.
32	विशेष शिक्षकों के लिए कम्प्यूटर साफ्टवेयर कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद	5 दिन	17-21 दिसम्बर, 2012	8
33	मनोवैज्ञानिक निर्धारण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	5 दिन	7-11 जनवरी, 2013	24
34	रेडिनेस कौशल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	5 दिन	21-25 जनवरी, 2013	30
35	व्यवहार परिवर्तन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद	5 दिन	21-25 जनवरी 2013	16
36	बौद्धिक अक्षमता, आटिज्म स्पेक्ट्रम डिसार्डर एवं सीखने में अक्षमता वाले बच्चों के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पर पांच दिवसीय अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	5 दिन	21-25 जनवरी, 2013	32
37	अभिभावक व्यावसायिक नेट वर्किंग	रा.मा.वि.सं. एम.एस.ई.सी., नई दिल्ली	5 दिन	21-25 जनवरी, 2013	13
38	टीचिंग लैर्निंग मैटिरियल के प्रयोग एवं विकास पर पांच दिवसीय अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	5 दिन	7-11 जनवरी, 2013	35
39	प्रौढ मानसिक मंद व्यक्तियों के कार्य व्यवहार	रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद	5 दिन	28 जनवरी से 1 फरवरी, 2013	20
40	सीखने की अक्षमता:- समेकित तकनीक	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	5 दिन	28 जनवरी 2 फरवरी, 2013	40
41	सीखने की अक्षमता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	5 दिन	4-8 फरवरी, 2013	26
42	''गैरसरकारी संगठनों में क्षमता निर्माण'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई	5 दिन	18-22 फरवरी, 2013	30

क्र. स.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	आयोजक	दिन	अवधि	लाभान्वितों की सं.
43	प्रौढ मानसिक मंद व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार	रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद	4 दिन	25 फरवरी से 3 मार्च, 2013	11
44	विकासात्मक अक्षमता के प्रारंभिक अंतराक्षेपण पर राष्ट्रीय सम्मेलन	रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद	2 दिन	7-8 मार्च, 2013	280
45	मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण	रा.मा.वि.सं., सिकन्दराबाद	6 दिन	11-15 मार्च, 2013	06
	कुल				**1293**

एडिप योजना निरीक्षण का विवरण

क्र. स.	संगठन का नाम	निरीक्षण की तिथि
	आँध्र प्रदेश	
1	आत्मीय मानसिक विकास केन्द्रम (स्पेशल स्कूल एंड वीटीसी फॉर एम.आर) 12-13-830/15, गोकुल नगर तारनाका, हैदराबाद 500 017	28.07.2012
2	अनुराग (अर्ली इंटर्वेशन, डे केयर सेन्टर फॉर एम.आर. चिल्ड्रन) फ्लॅट ए202, दूसरी मंजिल, उषोदया एनक्लेव, 2728, उषोदया कालोनी, गुडडीमलकापुर, हैदराबाद 500 028.	31.07.2012
3	अनुराग ह्युमन सर्विस (रेसिडेन्शीयल एंड डे केयर ट्रेनिंग सेन्टर मेन्टली चेलेजड) 9-4-136/, ट्रम रोड,टोली चौकी, हैदराबाद500 008	31.07.2012
4	स्वयंकृषि 17, श्री मलानी हाऊसिंग कोओपरेटिव सोसाईटी इंडिया एयर लाईन्स कालोनी , तिरूमलगिरी, सिकन्दराबाद 500 015	19.07.2012
5	हेलन केलर्स स्कूल फॉर दी डेफ एंड इंन्स्टिट्यूट आफ रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन फॉर दी डिबल्ड् चिल्ड्रन बैंक कालोनी, रामाकृष्णा पूरम, सिकन्दराबाद 500 056, ऑध्र प्रदेश	26.07.2012
6	पॉमेनकेप (पेरेंटस असोसियेशन फॉर दी मेंटली हैंडीकैप्ड् पर्सन्स (मनोचेतना) 10-3-16//2, एमसीएच कालोनी, हूमायू नगर, मेहंदीपट्नम, हैदराबाद 500 028	27.08.2012
7	पेमेनकेप (पेरेंटस असोसियेशन फॉर दी मेंटली हैंडीकैप्ड् पर्सन्स) (मनोकृषि) प्लॉट न. 77, ओल्ड वासवीनगर, कारखाना, सिकन्दराबाद 500 015.	23.08.2012
8	अरूण स्पेशल सेन्टर (डे-केयर रेसिडेंशियल, रेसिडेंस वीटीसी फॉर एमआर स्पेशल स्कूल) ब्लॉक न. :8-15-5(2), शास्त्रीपूरम, नजदीक एमआईआर-आलम-फिल्टर्स आर.आर.जिला, हैदराबाद 500 077	01.09.2012

क्र. स.	संगठन का नाम	निरीक्षण की तिथि
9	मदर तेरिसा स्कूल फॉर दी ब्लाईंड शिवाजी नगर, एक्सटेंशन, दूसरी लेन, गांधी नगर, मंगामूर रोड, ओंगोल-2	12.09.2012
10	वॉलेन्टरी आर्गनाईजेशन फॉर दी इम्पेडयर्ड चिल्ड्रन एजुकेशन (वीओआईसीई) 4-404/7एफसीआई कालोनी, सर्पावरम रोड, ईस्ट गोदावरी जिला, काकीनाडा-533005	29.09.2012
11	अन्नाम्मा स्कूल फॉर डेफ मकान न. 7-42, इब्राहिमपट्नम वीटीपीएस रोड, एसबीआई कैम्पस के नजदीक, इब्राहिम पट्नम, विजयवाडा, आँध्र प्रदेश	19.09.2012 20.09.2012
12	इम्मकुलेट हर्ट ऑफ मेरी रेसिडेंशियल, स्कूल फॉर डेफ, मोडोन्ना स्पेशल इंस्टीट्यूट फॉर दी डफ, करमेल नगर, गुणदला, विजयवाडा-520004, आंध्र प्रदेश	20.09.2012
13	रविचेर्ला इंटिग्रेटेडि डेवलपमेंट एंड एजुकेशन सोसाईटी, बंगीनापल्ली, थोटा, नुजीविड	21.09.2012
14	स्वीकार रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर दी हैंडीकेप्ड्, उपकार कॉम्प्लेक्स, उपकार जंक्शन, सिकन्दराबाद 500003, आँध्र प्रदेश	26.12.2012
15	डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेन्टर मकान न. 5-6-300, आरटीसी बस स्टैंड के नजदीक, बोट्टुगुडा, नलगोन्डा-508001 , आँध्र प्रदेश	06.12.2012
16	डेवेलपमेंट एंड वेलफेयर असोसियेशन आफ दी ब्लाईंड, हॉस्टल एंड स्पेशल स्कूल फॉर वीएच, सूरदास भवन, नलगोंडा, आँध्र प्रदेश	06.12.2012
17	सूर्या किरण पेरेंटस असोसियेशन फॉर दी वेलफेयर आफ एमएच, नलगोंडा, डोर न. 11-3-16, माचेर्ला 522 426, गुंटूर जिला, आँध्र प्रदेश	06.12.2012 07.12.2012
18	आशा ज्योति वेल्फेयर असोसियेशन फॉर डिसेबल्ड् रेसिडेंशियल एंड स्पेशल स्कूल फॉर दी एमआर एंड मल्टीपल हैंडीकैप्ड्, मकान न.3-156/2/, टंडन सदन,रविन्द्रा नगर, नंदीपहाड गांव, चिल्लापुर रोड, मिरयालगुडा- 508207, नलगोंडा जिला आंध्र प्रेदश	07.12.2012
19	वेलुगु रेसिडेंशियल स्कूल फॉर मेंटली रिटार्डेड 1-1044, बैंगलूर रूरल, मदनपल्ली, चितूर जिला 517325 आँध्र प्रदेश	16.02.2013

क्र. स.	संगठन का नाम	निरीक्षण की तिथि
20	पीपुल्स् ऐक्शन फॉर सोशल सर्विसेस (पीएएसएस) स्पेशल स्कूल फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन 7-125 ए/ श्रीनगर कालोनी, एम.आर. पल्ले, तिरूपति, आँध्र प्रदेश	16.02.2013
21	आँध्र प्रदेश स्टेट फा्रम फॉर इकॉनोमिकली वीकर सेक्शन रेसिडेंशियल स्पेशल स्कूल फॉर एम.आर., मकान न. 6-9-7, नामदेव वाड़ा, निजामाबाद- 503 002, आँध्र प्रदेश	19.03.2013
22	वॉलेन्टरी आर्गनाईजेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी, नवजीवन रेसिडेंशियल स्पेशल स्कूल फॉर डफ, मकान न. 4-174 एस., अय्यालुरिमेट्टा, पोन्नापुरम(पी), नंदयाल, कर्नल 518 502 आँध्र प्रदेश	22.03.2013
23	दाक्षिण्या भाव समिति 3-12-2, तीसरी लाईन, ओल्ड लेन, ओल्ड पट्टाभिपूरम, गुंटूर 522 006, आँध्र प्रदेश	25.03.2013
24	लेबेनशिल्फे फॉर दी मेंटली हैण्डीकेप्ड रजि. का.: 26, लासन्स बे कालोनी, विशाखापट्नम 17. आँध्र प्रदेश	27.03.2013
25	चेतन्या डिसेबल वेलफेयर सोसाईटी रेसिडेंशियल एंड डे केयर सेन्टर फॉर एम.आर. एंड सीपी रामन्दिरम रोड, विठ्ठलनगर, चिराला, प्रकाशम जिला, आँध्र प्रदेश	25.03.2013
26	वुटूकूरी वेंकट सुब्बाम्मा वेलफेयर सोसाईटी वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रेहबिलिटेशन सेन्टर टीसीएमए बिल्डिंग, कोटला बाजार, चिराला, प्रकाशम जिला - 523 155, आँध्र प्रदेश	25.03.2013
27	चेतन्या महिला मंडल, स्पेशल स्कूल फॉर डेफ मकान न.1-63/9, रामनगर, एमआर ओ आफिस, सिंगारा कोंडा रोड, अदांकी, प्रकाशम जिला - 523 201, आँध्र प्रदेश	26.03.2013
28	लक्ष्मी महिला मंडल, वीटीसी एंड रेहबिलिटेशन ऑफ पीएच नुथालापाडु पोस्ट, परचूर मंडल, प्रकाशम जिला - 523 169, आँध्र प्रदेश	25.03.2013
29	डिस्ट्रीक्ट डिसबिलिटी रेहबिलिटेशन सेन्टर(डीडीआरसी) इंडियन रेड क्रास सोसाईटी बिल्डिंग, संतापेटा, नगर, कलेक्ट्रेट ऑफिस के नजदीक, ओंगोल, प्रकाशम जिला - 523 001 आँध्र प्रदेश	26.03.2013
30	राष्ट्रीय सेवा समिति डे केयर सेन्टर फॉर मेंटली चेलेज्ड् चिल्ड्रन सेवा निलयम, अन्नामय्या मार्ग, तिरूपति - 517 501, आँध्र प्रदेश	25.03.2013

क्र. स.	संगठन का नाम	निरीक्षण की तिथि
31	राष्ट्रीय सेवा समिति स्पेशल स्कूल फॉर डिसबल्ड् एट सहायाग्राम, रेनिगुंटा मंडल, चित्तूर जिला, आँध्र प्रदेश	25.03.2013
32	राष्ट्रीय सेवा समिति रेसिडेंशियल स्कूल फॉर एम.आर.चिल्ड्रन सहायाग्राम, रेनिगुंटा मंडल, चित्तूर जिला, आँध्र प्रदेश	26.03.2013
33	राष्ट्रीय सेवा समिति डे केयर सेन्टर फॉर एमआर एट वेंकटेश्वरा पेटा, सुपर बाजार रोड, पोद्दातूर, कड्डपा जिला, आँध्र प्रदेश	27.03.2013
34	राष्ट्रीय सेवा समिति स्पेशल स्कूल फॉर एम.आर. विल्ड्रन, कावूर नगर, अंनतपुर, आँध्र प्रदेश	28.03.2013
35	रूरल इंडिया मेडिकल एंड रिलिफ सोसाईटी डे केयर रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर एम आर मकान न. 23-36,अय्याकान्नू स्ट्रीट, न्यू पेट, पालमनेर, चित्तूर जिला, आँध्र प्रदेश	26.03.2013
36	अल-शिफा मायनॉरिटि इंस्ट्यिूट फॉर मेंटली रिटार्डेड एंड ओल्ड एज रेसिडेंशियल स्कूल फॉर एमआर 6-104, पांचवी क्रास, रविन्द्रा नगर, कड्डपा, आँध्र प्रदेश	27.03.2013
	कर्नाटक	
37	दिव्या ज्योति एजुकेशन सोसाईटी (रेसिडेंशियल स्कूल फॉर एम.आर.) शिगॉन तालूका, हवेरी, इंडिस्ट्रियल एरिया, अपोजिट हायर गौदर मोटर्स, तुप्पड बिल्डिंग के पास, पी.बी. रोड, हवेरी, कर्नाटक	27.07.2012
38	होनम्मा एजुकेशन सोसाईटी (रेसिडेंशियल स्कूल फॉर डेफ चिल्ड्रन) टोल नाका के पास, सारस्वपुर-डी, धारवाड - 580 002 कर्नाटक	20.07.2012
39	अंगविकारा आशा किरण ट्रस्ट (रेसिडेंशियल स्कूल एंड वीटीसी फॉर एमआर) शमनूर रोड, लक्ष्मी फ्लोर मिल के पास, दावनगिरी - 577 004, कर्नाटक	01.08.2012
40	आदर्श इन्डेस्ट्रीयल सोसाईटी पोस्ट बॉक्स न. 481, संगनकल, बेल्लारी - 583103, कर्नाटक	10.08.2012

क्र. स.	संगठन का नाम	निरीक्षण की तिथि
41	डिस्ट्रीक्ट डिसेबिलिटी रिहबिलिटेशन सेन्टर वीआईएमएस कैम्पस, ओल्ड ब्लड् बैंक बिल्डिंग, बेल्लारी 583103, कर्नाटक	07.08.2012 09.08.2012
42	स्पॅस्टिक सोसाईटी ऑफ बेल्लारी कर्नाटक, बैंगलूर, 31, पांचवा क्रास मेन, इन्दिरानगर, पहली स्टेज, बैंगलूर 560038, कर्नाटक	09.10.2012 10.10.2012 11.10.2012
43	अखिल कर्नाटक वीरशिवा महासभा बासवाभारती फिजिकली हैंडीकेप्ड, रेसिडेंशियल स्कूल पहला क्रॉस, केआर एक्सटेंसन, मधुगिरी, तुमकुर जिला, कर्नाटक	01.11.2012
44	असोसियेशन फॉर रिहबिलिटेशन ऑफ दी डिसेबल्ड्(एआरडी) रेसिडेंशियल स्कूल फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड् चिल्ड्रन दासानल विलेज, गंगावती, कोप्पल जिला- 583227 कर्नाटक	08.11.2012 09.11.2012
45	साई रंगा विद्या संस्था रेजिडेंसियल स्कूल फॉर डेफ, न.764/ए, बी लेआऊट, बनीमंतप, मैसूर 570015, कर्नाटक	21.03.2013 22.03.2013
46	रंगाराव मेमोरियल स्कूल फॉर दी डिसेबल्ड् (रेजिडेंसियल स्कूल फॉर विजुएल इम्पेर्ड गर्लस्) 1/सी, के.आर.एस. रोड, मेटागली, मैसूर 570 016. कर्नाटक	20.03.2013 21.03.2013
47	डोटर ऑफ आवर लेडी ऑफ मर्सी डेफ एंड डम स्कूल स्पेशल स्कूल फॉर डेफ ओल्ड एच.डी.कोटे रोड, श्रीरामपुरा, एन.एच.पलाया पो.ओ., मैसूर 570023, कर्नाटक	23.03.2013 24.03.2013

उत्तर-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. स.	राज्य का नाम	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम की तिथि	लाभान्वित की संख्या
1	रा.मा.वि.सं. मुख्यालय	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय सहभगियों के लिए पुनर्वास मे परामर्श पर प्रशिक्षण कार्यक्रम - द्वारा डॉ.जी.श्रीकृष्णा, पुनर्वास मनोविज्ञान में व्याख्याता	29.10.2012 02.11.2012	20
2	अगरतला, त्रिपुरा	डी.डी.आर.सी. में मीडिया कार्मिकों के लिए अभिमुखी कार्यक्रम	26.11.12	59
		डी.डी.आर.सी. में सरकारी अधिकारियों के लिए अभिमुखी कार्यक्रम	26.11.12	18
		डी.डी.आर.सी. में सी.डी.पी.ओ. एवं पर्यवेक्षकों के लिए अभिमुखी कार्यक्रम	27.11.12	55
		डी.डी.आर.सी. में पर्यवेक्षकों एवं आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के लिए अभिमुखी कार्यक्रम	27.11.12	36
		डी.डी.आर.सी. में त्रिपुरा के सरकारी चिकित्सा व्यावसायिकों के लिए अभिमुखी कार्यक्रम	28.11.12	25
		डी.डी.आर.सी. में पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए अभिमुखी कार्यक्रम	28.11.12	60
		त्रिपुरा इंस्टिट्यूट ऑफ टेकनॉलॉजी के डिप्लोमा एवं स्नातक छात्रों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम	28.11.12	80
		डी.डी.आर.सी. में एस.एस.ए. शिक्षकों के लिए अभिमुखी कार्यक्रम	29.11.12	55
		डी.डी.आर.सी. में कालेज एवं यूनिर्वसिटी के शिक्षकों के लिए अभिमुखी कार्यक्रम	29.11.12	51
		केन्द्रीय विद्यालयों में सातवी कक्षा के चार सेक्शन के छात्रों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम	29.11.12	200
		डी.डी.आर.सी. में नियमित एवं एस.एस.ए. शिक्षकों के लिए अभिमुखी कार्यक्रम	30.11.12	67

क्र. स.	राज्य का नाम	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम की तिथि	लाभान्वित की संख्या
		डी.डी.आर.सी. में पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए अभिमुखी कार्यक्रम	30.11.12	72
		आठवी एवं नवी कक्षा के पांच सेक्शन के छात्रों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम	30.11.12	250
		बीर विक्रम कालेज में स्टाफ एवं छात्रों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम	30.11.12	120
		महिला कालेज के स्टाफ एवं छात्रों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम	30.11.12	150
		हिन्दी महाविद्यालय में हायर सैकंड्री छात्रों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम	30.11.12	150
		त्रिपुरा मेडिकल कालेज के फैकल्टी, नर्सिंग मेडिकल छात्रों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम	30.11.12	175
3	सिक्किम मंगन, सिक्किम	उत्तर सिक्किम में स्कूल और कालेज के छात्रो के लिए अक्षमता जागरूकता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	3-5 दिसम्बर, 2012	5 कार्यक्रम 250 लाभान्वित छात्र
	नमची, सिक्किम	दक्षिण सिक्किम में स्कूल और कॉलेज के छात्रो के लिए अक्षमता जागरूकता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	6-8 दिसम्बर, 2012	5 कार्यक्रम 172 लाभान्वित छात्र
	ग्यालसिंग, सिक्किम	दक्षिण सिक्किम में स्कूल और कालेज के छात्रो के लिए अक्षमता जागरूकता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	10-12 दिसम्बर, 2012	3 कार्यक्रम 1127 लाभान्वित छात्र

क्र. स.	राज्य का नाम	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम की तिथि	लाभान्वित की संख्या
	मंगन, उत्तर सिक्किम जिला	एसएसडब्ल्यू.एंड एस.डब्ल्यू. विभाग के कर्मचारियों, नियोक्ताओं व आईसीडीएस के गैरसरकारी संगठनों एवं रिपोर्टर्स के लिए भारत में उपलब्ध पुनर्वास प्रबंधन सेवाअॅ, विकलांगता के कारण व रोकथाम, जागरूकता निर्माण व रोकथाम प्रारंभिक पहचान एवं प्रारंभिक अंतराक्षेपण योजनाओं एवं लाभों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	3.12.2012	119
	मंगन, उत्तर सिक्किम जिला	अध्यक्ष, गांव प्रधान एवं आईसीडी, एसएसडब्ल्यू के लिए भारत में उपलब्ध पुनर्वास प्रबंधन सेवाअॅ, विकलांगता के कारण व रोकथाम, जागरूकता निर्माण व रोकथाम प्रारंभिक पहचान, एवं प्रारंभिक अंतराक्षेपण योजनाओं एवं लाभ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	4.12.2012	50
	मंगन, उत्तर सिक्किम जिला	शिक्षकों, मानसिक विकलांग पुनर्वास के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी अधिकारियों के लिए भारत में उपलब्ध पुनर्वास प्रबंधन सेवाअॅ, विकलांगता के कारण व रोकथाम, जागरूकता निर्माण व रोकथाम, प्रारंभिक पहचान एवं प्रारंभिक अंतराक्षेपण योजनाओं एवं लाभों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	5.12.2012	89
	नमची, दक्षिण सिक्किम जिला	अध्यक्ष, गांव प्रधान एवं आईसीडी, एसएसडब्ल्यू के लिए भारत में उपलब्ध पुनर्वास प्रबंधन सेवाअॅ, विकलांगता के कारण व रोकथाम, जागरूकता निर्माण व रोकथाम प्रारंभिक पहचान, एवं प्रारंभिक अंतराक्षेपण योजनाओं एवं लाभ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	6.12.2012	99
	नमची, साऊथ सिक्किम जिला	शिक्षकों, मानसिक विकलांग पुनर्वास के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी अधिकारियों के लिए भारत में उपलब्ध पुनर्वास प्रबंधन सेवाअॅ, विकलांगता के कारण व रोकथाम, जागरूकता निर्माण व रोकथाम, प्रारंभिक पहचान एवं प्रारंभिक अंतराक्षेपण योजनाओं एवं लाभों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	7.12.2012	104

क्र. स.	राज्य का नाम	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम की तिथि	लाभान्वित की संख्या
	निमची, साऊथ सिक्किम जिला	शिक्षकों, मानसिक विकलांग पुनर्वास के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी अधिकारियों के लिए भारत में उपलब्ध पुनर्वास प्रबंधन सेवाअॅ, विकलांगता के कारण व रोकथाम जागरूकता निर्माण व रोकथाम प्रारंभिक पहचान एवं प्रारंभिक अंतराक्षेपण योजनाए एवं लाभ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	8.12.2012	95
	गीसिंग, वेस्ट सिक्किम जिला	एसएसडब्ल्यू.एंड एस.डब्ल्यू. विभाग के कर्मचारियों, नियोक्ताओं व आईसीडीएस के गैरसरकारी संगठनों एवं रिपोर्टर्स के लिए भारत में उपलब्ध पुनर्वास प्रबंधन सेवाअॅ, विकलांगता के कारण व रोकथाम, जागरूकता निर्माण व रोकथाम प्रारंभिक पहचान एवं प्रारंभिक अंतराक्षेपण योजनाओं एवं लाभों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	10.12.2012	80
	गीसिंग, वेस्ट सिक्किम जिला	अध्यक्ष, गांव प्रधान एवं आईसीडी, एसएसडब्ल्यू के लिए भारत में उपलब्ध पुनर्वास प्रबंधन सेवाअॅ, विकलांगता के कारण व रोकथाम, जागरूकता निर्माण व रोकथाम प्रारंभिक पहचान, एवं प्रारंभिक अंतराक्षेपण योजनाओं एवं लाभ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	11.12.2012	108
4	अरूणाचल प्रदेश			
	बॉमडिला, अरूणाचल प्रदेश	सीडीपीओ एवं परिवेक्षकों के लिए अफिसर्स क्लब, बॉमडिला में अभिमुखी कार्यक्रम	21.1.2013	32
	बॉमडिला, अरूणाचल प्रदेश	शान्ति देवा विद्यालय में छात्र एवं शिक्षकों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम	21.1.2013	320
	बॉमडिला, अरूणाचल प्रदेश	अभिभावकों एवं संसाधन शिक्षकों के लिए अफिसर्स क्लब, बॉमडिला में अभिमुखी कार्यक्रम	22.1.2013	27
	बॉमडिला, अरूणाचल प्रदेश	गर्वेमेंट हाइयर सैकन्ड्री स्कूल, बॉमडिला में छात्रों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम	22.1.2013	100

क्र. स.	राज्य का नाम	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम की तिथि	लाभान्वित की संख्या
	बॉमडिला, अरूणाचल प्रदेश	शिक्षकों के लिए गर्वेमेंट हाइयर सैकन्ड्री स्कूल, बॉमडिला में अभिमुखीकरण कार्यक्रम	22.1.2013	18
	बॉमडिला, अरूणाचल प्रदेश	छात्रों एवं शिक्षकों के लिए गर्वेमेंट हाइयर सैकन्ड्री स्कूल, बॉमडिला में संवेदीकरण कार्यक्रम	22.1.2013	450
	बॉमडिला, अरूणाचल प्रदेश	12 वी कक्षा के छात्रों के लिए आफिसर्स क्लव बॉमडिला में संवेदीकरण कार्यक्रम	23.1.2013	54
	बॉमडिला, अरूणाचल प्रदेश	छात्रों एवं शिक्षकों के लिए पीने दले पब्लिक स्कूल, काकलिंग में संवेदीकरण कार्यक्रम	23.1.2013	140
	बॉमडिला, अरूणाचल प्रदेश	आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के लिए आफिसर्स क्लव में अभिमुखी कार्यक्रम	24.1.2013	45
	बॉमडिला, अरूणाचल प्रदेश	छात्रों एवं शिक्षकों के लिए सोनम अकादमि, बॉमडिलला में संवेदीकरण कार्यक्रम	24.1.2013	65
	बॉमडिला, अरूणाचल प्रदेश	डॉक्टर एवं स्टाफ नर्सो के लिए जिला अस्पताल, बॉमडिला में अभिमुखकरण कार्यक्रम	24.1.2013	16
	बॉमडिला, अरूणाचल प्रदेश	एस.एस.ए.शिक्षकों के लिए आफिसर्स क्लव में अभिमुखीकरण कार्यक्रम	25.1.2013	25
5	मणिपुर			
	इम्फाल, मणिपुर	मीडिया कार्मिकों/स्टेट सरकारी अधिकारियों के लिए मानसिक मंदन पर जागरूकता कार्यक्रम	26.2.2013	70
	उखरूल, मणिपुर	आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं अन्य ग्रास रूट लेवल कार्यकर्ताओं के लिए मानसिक मंदन पर जागरूकता कार्यक्रम	27.2.2013	207
	उखरूल, मणिपुर	एस.एस.ए.शिक्षकों, विशेष शिक्षकों एवं नियमित स्कूल शिक्षकों के लिए मानसिक मंदन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	27.2.2013	60

क्र. स.	राज्य का नाम	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम की तिथि	लाभान्वित की संख्या
	उखरूल, मणिपुर	हाई स्कूल के शिक्षकों के लिए मानसिक मंदन पर जागरूकता कार्यक्रम	27.2.2013	411
	उखरूल, मणिपुर	एस.एस.ए.शिक्षकों, विशेष शिक्षकों एवं नियमित स्कूल के शिक्षकों के लिए मानसिक मंदन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	28.2. 2013	38
	उखरूल, मणिपुर	हाई स्कूल के शिक्षकों के लिए मानसिक मंदन पर जागरूकता कार्यक्रम	28.2.2013	438
	थाऊबल, मणिपुर	एस.एस.ए.शिक्षकों, स्पेशल शिक्षकों एवं नियमित स्कूल शिक्षकों के लिए मानसिक मंदन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	1-2 , 2013	80
	थाऊबल, मणिपुर	हाई स्कूल के शिक्षकों के लिए मानसिक मंदन पर जागरूकता कार्यक्रम	1.3.2013	70
	थाऊबल, मणिपुर	मंद बुद्धि बच्चों के अभिभावक/गार्डियन्स के लिए अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम	2.3.2013	80
6	मिजोरम			
	चेम्पई, मिजोरम	मिजोरम राज्य, स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य अधिकारियों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए अक्षमता अभिमुखी कार्यक्रम	25.2.2013	52
	चेम्पई, मिजोरम	बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए अभिमुखी कार्यक्रम	26.2.2013	74
	चेम्पई, मिजोरम	शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं एस.एस.ए. के शिक्षकों के लिए अक्षमता पर अभिमुखी कार्यक्रम	27.2.2013	84
	चेम्पई, मिजोरम	कॉलेज के बच्चों के लिए अभिमुखी कार्यक्रम	27.2.2013	165
	चेम्पई, मिजोरम	आईसीडीएस अधिकारियों एवं समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों के लिए अक्षमता पर अभिमुखकरण कार्यक्रम	28.2.2013	59
	चेम्पई, मिजोरम	रिसोर्स रूम के लिए छात्र एवं शिक्षकों अभिमुख कार्यक्रम	28.2.2013	11

महापरिषद के सदस्यों की सूची

1. श्रीमती स्तुति कक्कड, आई.ए.एस. ..... अध्यक्ष
   सचिव, भारत सरकार
   अध्यक्ष महापरिषद, रा.मा.वि.सं.
   नि:शक्तजन कार्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
   शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110 001.

2. श्री पंकज जोशी, आई.ए.एस. ..... सदस्य
   संयुक्त सचिव, भारत सरकार
   नि:शक्तजन कार्य विभाग
   सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
   शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110 001.

3. श्री राकेश जैन, आई.ए. एवं ए.एस. ..... सदस्य
   संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
   भारत सरकार
   उर्जा मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली 110 001.

4. उप महानिदेशक ..... सदस्य
   (योजना पर्यवेक्षण एवं सांख्यिकी)
   शिक्षा विभाग
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   कमरा न.203, सी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110 001.

5. संयुक्त सचिव(प्रशासन) ..... सदस्य
   स्वास्थ्य विभाग,
   स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
   निर्माण भवन, ए-विंग, चौथा तल
   नई दिल्ली 110 001.

6. प्रधान सचिव, आँ.प्र. सरकार ..... सदस्य
   चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
   आँ.प्र.सचिवालय, एल.ब्लॉक, तीसरी मंजिल
   कमरा नं. 305, हैदराबाद 500 022

7. प्रधान सचिव, आँ.प्र. सरकार ..... सदस्य
महिला विकास एवं बाल कल्याण
आँ.प्र.सचिवालय
एल.ब्लॉक, दूसरी मंजिल, कमरा न.210
हैदराबाद 500 022.

8. महा निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण ..... सदस्य
श्रम मंत्रालय
भारत सरकार, कमरा न. 111, पहला तल
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली 110 001.

9. श्री अनिल कुमार मेहरा ..... सदस्य
सी-5, मोतिया खान डबल स्टोरी
पहाड गंज, नई दिल्ली

10. श्री गौरव अरोरा ..... सदस्य
एक्स-52, पश्चिम पटेल नगर, नई दिल्ली- 110 008.

11. श्रीमती इन्दुमती राव ..... सदस्य
क्षेत्रीय समन्वयक
सीबीआर, नेटवर्क (साऊथ एशिया)
134, 1 ब्लॉक, 6 मुख्य, 3 फेस, III स्टेज, बीएसके, बैंगलूर 560 085.

12. डॉ.एन.सी.पती, महा सचिव ..... सदस्य
(प्रोफसर मनोविज्ञान, उत्कल विश्वविद्यालय, उडिसा)
जुएल्स् इन्टरनेशनल
(चेतना इंस्टिट्यूट फॉर दी मेन्टली हैण्डीकेप्ड)
ए/3, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नजदीक होटल सोस्ती प्लाजा,
पो.ओ. आर.आर.एल.कैम्पस, भुवनेश्वर 751 013.

13. श्री राजीव रंजन कुशवाहा ..... सदस्य
मार्फत श्री पी.के.कुशवाहा
फ्लैट न.101, विंग-1, रजत हाईटस्, हेवनस् होटल के पास,
मनकपुर, शिंदवारा रोड, नागपुर, महाराष्ट्र

14. श्री टी.सी.शिवकुमार ..... सदस्य सचिव
निदेशक
राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान
मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद-500009

कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों की सूची

1. श्री पंकज जोशी, आई.ए.एस. ..... अध्यक्ष
   संयुक्त सचिव, भारत सरकार
   अध्यक्ष कार्यकारिणी परिषद्, रा.मा.वि.सं.
   नि:शक्तजन कार्य विभाग
   सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
   शास्त्री भवन
   नई दिल्ली 110 001.

2. श्री अजय नारायण झा, आई.ए.एस. ..... सदस्य
   संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
   भारत सरकार
   सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
   शास्त्री भवन
   नई दिल्ली 110 001

3. श्री टी.सी.शिवकुमार ..... सदस्य सचिव
   निदेशक
   राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान
   मनोविकास नगर
   सिकन्दराबाद-500009

शैक्षणिक समिति के सदस्यों की सूची

1 डॉ. बी.राजशेखर, एम.एएसी, पीएच.डी
डीन एवं प्रोफेसर, स्पीच एंड हियरिंग विभाग
मणि पाल कालेज ऑफ अलाईड हेल्थ सायंसेस
मणिपाल विश्वविद्यालय, मणिपाल

2. डॉ. उमा एच., एम.फिल, पीएच.डी
प्रो. चिकित्सा मनोविज्ञान
चिकित्सा मनोविज्ञान विभाग
निमहन्स, बैंगलूर

3. प्रो. अनिल कुमार टी.वी.
एमबीबीएस, डीपीएम, डीएनबी, एम.फिल, पीडीएफ
एसोसिएट प्रोफेसर
मनोचिकित्सा में आचार्या, त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालेज,
तिरूवनंतपूरम, केरल

4. डॉ. राधा कृष्णा, एमबीबीएस, डीसीएच
सहायक निदेशक
राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद

5. डॉ. ए.ज्योति, एमएस.सी., पीएच.डी.
निदेशक
इंस्टिट्यूट ऑफ जेनेटिक एंड हास्पिटल फॉर जेनेटिक डिसआर्डर
बेगमपेट, हैदराबाद

6. प्रो. एस.पी.के.जैना, एम.फिल, पीएच.डी.
एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान
दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

7. डॉ. नीरज जैन, एमएस.सी.पीएच.डी.
प्रो. एवं वैज्ञानिक VI
नेशनल ब्रेइन रीसर्च सेन्टर
एन.एच.-8, मानेसर, गुडगाँव-122050, हरियाणा

8. श्री टी.सी. शिवकुमार
निदेशक
राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान
मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद-500009

रा.मा.वि.सं. मुख्यालय के क्रियाकलाप

अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के दौरान रैली

विशेष कर्मचारियों की बैठक के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम

विशेष शिक्षा केन्द्र के छात्रो द्वारा धार्मिक पर्व समारोह

विशेष शिक्षा केन्द्र के छात्रो द्वारा धार्मिक पर्व समारोह

समुदाय में पीडब्ल्यूडी के आर्थिक पुनर्वास

बोधन जिले के जिला अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए रा.मा.वि.सं. के अधिकारी

रा.मा.वि.सं. में डॉ.भीम राव अम्बेडकर जन्म दिवस समारोह

रा.मा.वि.सं. विशेष शिक्षा केन्द्र के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव की भेंट

विशेष शिक्षा केन्द्र व डेयल विद्यार्थियों द्वारा गणतंत्र दिवस में परेड में सफलता समारोह

डॉ.ली. द्वारा भेंट

स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रा.मा.वि.सं. के द्वारा झाँकी प्रस्तुति (आँध्र प्रदेश, सरकार)

विश्व ऑटिज्म दिवस समारोह

क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली के क्रियाकलाप

रा.मा.वि.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली में बी.एड. एस.सी.(एम.आर.) के पहले बैच का उद्घाटन डॉ.जे.पी.सिंह, भूतपूर्व सदस्य सचिव, भारतीय पुनर्वास परिषद्

टी.एल.एम. के प्रयोग व विकास पर अल्पावधि कार्यक्रम

रा.मा.वि.सं. मॉडल स्पेशल एजुकेशन सेन्टर के स्टाफ व विद्यार्थियों ने जन जागरूकता रैली

सीखने में अक्षमता पर अल्पावधि कार्यक्रम

अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्षेत्रीय केन्द्र, नवी मुम्बई के क्रियाकलाप

वार्षिक दिवस समारोह

प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम के सहभागी

दीर्घावधि कार्यक्रम के लिए संगीत, नृत्य एवं नाट्क कार्यशाला

क्रिसमस समारोह

क्षेत्रीय अभिभावक बैठक मे सहभागी

निर्धारण शिविर

क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता के क्रियाकलाप

अल्पावधि कार्यक्रम के सहभागी

चलाई जा रही कक्षाएँ

पश्चिमी बंगाल के बंकुरा में जागरूकता कार्यक्रम

अभिमुखी कार्यक्रम के दौरान ई.आई.एस. कीट का वितरण

इंडियन साईंस कांग्रेस प्राईड़ एक्स्पो 2013 के दौरान रा.मा.वि.सं. प्रकाशनों का वितरण

समाविष्ट शिक्षण पर अभिमुखी कार्यक्रम

रा.मा.वि.सं. मॉडल स्पेशल एजुकेशन केन्द्र के क्रियाकलाप

रा.मा.वि.सं. एम.एस.ई.सी. : मट्रो स्टेशन पर एस्कलेटर का प्रयोग सीखते हुए छात्र

रा.मा.वि.सं. एम.एस.ई.सी. : अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर सेन्ट्रल मार्केट, लाजपत नगर में प्रदर्शन

रा.मा.वि.सं. एम.एस.ई.सी. : प्रौढ़ मानसिक मंद व्यक्तियों में कार्य व्यवहार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

रा.मा.वि.सं. एम.एस.ई.सी. कला एवं हस्तकला क्रियाकलाप

वार्षिक दिवस समारोह के अवसर पर साहिल द्वारा सोलो प्रदर्शन

अंतिम पृष्टः प्रशासन एवं संकाय ब्लाक, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान
ऊपरः प्रारंभिक अंतराक्षेपण क्रियाकलाप प्रगति पर

హైదరాబాద్ వార్త

మంగళవారం 4, డిసెంబరు 2012

16 పేజీలు

మానసిక వికలాంగుల్లో ఆత్మస్థైర్యాన్ని పెంచాలి : ప్రతాప్

ఈనాడు, డిసెంబరు 3 ప్రతాపవార్త: మానసిక వికలాంగుల్లో ఆత్మస్థైర్యాన్ని పెంపొందించేందుకు వివిధ సంస్థలు ముందుకు రావాలని కంటోన్మెంట్ బోర్డు సభ్యుడు జనక ప్రతాప్ పేర్కొన్నారు. సోమవారం అంతర్జాతీయ వికలాంగుల దినోత్సవ సందర్భంగా కంటోన్మెంట్ మాడోపార్కులోని మడ్‌పోర్టు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో వికలాంగ విద్యార్థులకు వీల్‌చైర్లు అందజేశారు. అనంతరం ప్రతాప్ మాట్లాడుతూ వికలాంగ విద్యార్థులకు వీల్‌చైర్ల కొరత తమవంతు సహకారాన్ని అందించగలమని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో కంటోన్మెంట్ బోర్డు సభ్యుడు వెంకటరావు, ఇంజనీరింగ్ అధికారి సుధాకర్, విద్యాధికారి విజయ్‌కుమార్, మోహన్‌కుమార్, అరుణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

ఎన్‌విఎంహెచ్ ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీ

జాతీయ మానసిక వికలాంగుల సంస్థ ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ వికలాంగుల దినోత్సవ సందర్భంగా సోమవారం ఎన్‌విఎంహెచ్ నుంచి చార్మినార్ గేట్ వరకు ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు భారీ ర్యాలీని నిర్వహించారు. ఈ ర్యాలీని ప్రముఖ సినీ నటుడు కృష్ణుడు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా కృష్ణుడు మాట్లాడుతూ జాతీయ మానసిక వికలాంగుల సంస్థ కార్యక్రమాలు తమ వంతు చేయూతనిస్తామని ప్రకటించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జాతీయ మానసిక వికలాంగుల సంస్థ అధికారులు రవికుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

మడ్‌పోర్టు ఉన్నత పాఠశాలలో వికలాంగ విద్యార్థులకు వీల్ చైర్లను అందజేస్తున్న బోర్డు సభ్యుడు ప్రతాప్ తదితరులు

వికలాంగులకు చేయూతనిద్దాం

11వ మెట్రో పోలీస్ జట్టి వరలక్ష్మి

గురువారం 11-10-2012

హైదరాబాద్ | 2013 | పేజీలు 20

ముందికి ఒక్క పోలీస్ 5

'పిల్లల్లో శారీరక, మానసిక వైఫల్యాలపై శ్రద్ధతీసుకోవాలి'

మానసిక వికలాంగులను

చేయూతనిద్దాం: కృష్ణుడు

శుక్రవారం 8. మార్చి

ముందస్తు జాగ్రత్తల వల్ల అంగవైకల్యం దూరం

నిలోఫర్ ఆసుపత్రి మెడికల్ సూపరిండెంటెంట్ డాక్టర్ డి.రంగనాథ్

జాతీయ మానసిక వికలాంగుల సంస్థలో నిర్వహించిన జాతీయ సదస్సులో పాల్గొన్న నిలోఫర్ ఆసుపత్రి మెడికల్ సూపరిండెంటెంట్ డాక్టర్ డి.రంగనాథ్ తదితరులు

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

(निःशक्तजन कार्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
(आई.एस.ओ. 9001:2008 संस्थान)
मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद - 500 009, आंध्र प्रदेश, भारत
फोन : 040-27751741-745 फैक्स : 040-27750198
ई-मेल : nimh.director@gmail.com
वेबसाइट : www.nimhindia.org; www.nimhindia.gov.in

National Institute for the Mentally Handicapped

(Department of Disability Affairs,
Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India)
(An ISO 9001:2008 Institution)
Manovikasnagar, Secunderabad -500 009,
Andhra Pradesh, INDIA.
Phone : 040-27751741- 745 Fax: 040-27750198
E-mail : nimh.director@gmail.com
Website : www.nimhindia.org; www.nimhindia.gov.in

nqa. ISO 9001 Registered